अंक–126

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट जन सुनवाई करते हुए।

राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह आरआरटीआई सभागार में निर्णय लेखन कार्यशाला के अवसर पर पुस्तिका ''विधिक प्रक्रिया संहिता'' का विमोचन करते हुए।

संरक्षक
श्री राजेश्वर सिंह
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री सीआर मीणा, सदस्य
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य
श्री भँवर सिंह सांदू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री सत्तार खां, सदस्य
श्री राकेश कुमार शर्मा, सदस्य
श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य
श्री गिरीश पाराशर, सदस्य

वरिष्ठ संपादक
श्री महावीर प्रसाद
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक
(प्रभारी अधिकारी, राविरा)
पवन कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (जनसंपर्क)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
गफूर अली
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर

राजस्व मण्डल राजस्थान
की त्रैमासिकी

अंक-126 रजि. क्रमांक 18119/70

अनुक्रमणिका

1. अध्यक्ष की कलम से
2. सम्पादकीय

लेख-सामग्री एवं विधिक जानकारी

3. कामकाजी महिलाएं: समस्याएं एवं समाधान 5-8
4. राजकीय भूमि संरक्षण और वर्तमान कानून 9-18
5. नव-सृजित गाँव भू-नक्शा अभिलेख प्रक्रिया 19-28

स्थायी स्तम्भ

6. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 29-70
7. सर्वश्रेष्ठ निबन्ध प्रतियोगिता में आम नागरिक श्रेणी से प्रथम स्थान पर चयनित प्रविष्टि 71-75
8. सर्वश्रेष्ठ निबन्ध प्रतियोगिता में अधिवक्ता श्रेणी से प्रथम स्थान पर चयनित प्रविष्टि 76-82
9. सर्वश्रेष्ठ निबन्ध प्रतियोगिता में संभाग स्तर पर चयनित प्रविष्टियाँ 83-144
10. राजस्व मंडल स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये वाद निस्तारण की समीक्षा 145-156
11. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि 157-220
12. राजस्व समाचार 221-229

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
राविरा में प्रकाशन हेतु आलेख, सफलता की कहानियां आदि सामग्री ई-मेल आईडी proboraj@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

अध्यक्ष की कलम से.....

राजस्थान में आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम रूप से न्याय सुलभ कराने को लेकर राजस्थान सरकार एवं राजस्व मंडल के स्तर पर कई प्रभावी प्रयास किए गए हैं।

राजस्थान के समस्त राजस्व न्यायालयों में भी अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया के अनुरूप हो सके इसके लिए राजस्व मंडल स्तर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भू अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं राजस्व वादों के विधि अनुरूप निस्तारण किये जाने को लेकर समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के लिये जारी किए गए हैं।

मंडल स्तर से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार को लेकर वर्ष 2021-22 वर्ष 2022-23 के तहत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की निर्णय लेखन कार्यशाला, विविध वर्गीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन करवाए गए। राजस्व न्यायालयों में न्यायिक निर्णयों को विधिसम्मत एवं त्रुटिविहीन रूप से पारित करने को लेकर आयोजित इन नवाचारी गतिविधियों से अपेक्षाकृत सुधार भी आया है। कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों की ओर से राजस्व वादों के निस्तारण में उपयोगी विधिक मापदंडों के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में विस्तार से विमर्श किया गया। निश्चय ही यह महत्वपूर्ण पहलू राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों को चाहिए कि वे भू अभिलेख निर्धारण में औचित्य, न्यायप्रियता, वैधानिकता एवं नियमितता का पूर्ण पालन करते हुए कार्य करें, इससे निश्चय ही राजस्व विवादों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आएगी एवं पक्षकारों को समुचित न्याय मिलने से अनावश्यक अपीलों की स्थिति भी नहीं बनेगी।

सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण मनोयोग एवं जवाबदेही से कार्य करें। निर्णय दिए जाने से पूर्व उसमें निहित सभी तथ्यों उद्धरणों एवं तनकियों का स्वयं मूल्यांकन करें। न्यायालय के आदेश अपने आप में स्पीकिंग ऑर्डर हो। निर्णय लेखन में गुणवत्ता सुधार के लिए न्यायालयों के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों का सतत अध्ययन किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों को हर साक्ष्य और पहलू को ध्यान में रखकर पूर्ण बौद्धिक क्षमता के आधार पर निर्णय इस प्रकार पारित करने चाहिए कि वे आदर्श निर्णय होकर अन्य न्यायालयों के लिए नजीर के रूप में जाने जाएं।

राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण राजस्व न्यायालयों के समक्ष बड़ी चुनौती है, आशा की जाती है कि आप अन्य दायित्वों के साथ साथ नियमित तौर पर राजस्व न्यायालयों के दायित्वों का भी समयबद्धता से निर्वहन करेंगे।

राजेश्वर सिंह

अध्यक्ष

संपादकीय.....

राजस्व न्यायालयों की बेहतरी एवं कृषक वर्ग हित में जारी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ त्रैमासिक पत्रिका राविरा का 126वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

इस अंक में राजस्व मंडल के स्तर पर राज्य के सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर पीठासीन अधिकारियों की सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता के तहत चयनित निर्णय, विविध वर्गीय श्रेष्ठ निबंध लेखन प्रतियोगिता में चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों के साथ ही राजस्व विषयक आलेख, मंडल के महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र, अधिसूचनाओं, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की ग्रेडिंग सहित अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री को समाहित किया गया है।

राजस्थान में कृषक/भूमिधारक वर्ग को राजस्व सेवाओं की सहज व सुगम उपलब्धता के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर राज्य की 385 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है, इससे इंटरनेट के जरिए आम जनता इन सेवाओं का लाभ सुलभ हो पा रहा है। राजस्व मंडल के स्तर से राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को गति प्रदान करने की दिशा में भी कई नवाचार किए जा रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि अपीलों की स्थिति में संबंधित न्यायालयों द्वारा पत्रावलियां मांगे जाने पर उन्हें संबंधित पत्रावलियां अविलंब उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी पीठासीन अधिकारियों से भी राजस्व मंडल से प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

राजस्व सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत चालू वित्तीय वर्ष के तहत 5000 वरिष्ठ पटवारी के पदों का सृजन किया जाकर पटवारी से वरिष्ठ पटवारी पदों पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया। इसी प्रकार सीधी भर्ती पटवार परीक्षा-2021 में चयनित 5584 पटवारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। साथ ही मंडल स्तर पर प्रत्येक संवर्ग में समयबद्ध पदोन्नतियों का लाभ भी कार्मिकों को दिया गया।

आप सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप श्रेष्ठतम सेवाएं प्रदान करते हुए राज्य की अलग पहचान बनाने में अपनी भागीदारी निभायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

महावीर प्रसाद

निबंधक

कविता

'जीवन'

–राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

जीवन है जीवन की यात्रा की शुरुआत,
जीवन है मस्तक का ममता भरा हाथ।
जीवन है गलती पर प्यार भरी झिड़की,
जीवन है खेलकूद, दोस्तों का साथ।।

जीवन है बचपन से यौवन का सफ़र,
जीवन है कठिन प्रतिस्पर्द्धा की डगर।
जीवन है जय और पराजय का स्वीकार,
जीवन है सुख का असमाप्त इंतजार।।

जीवन है आकांक्षा, प्रयास और सफलता,
जीवन है बार-बार मिलती विफलता।
जीवन है हर हाल में जीने का हौंसला,
हार मान लेने से कुछ भी न मिलता।।

जीवन है परिवेश की गहरी पहचान,
जीवन है जब समझ में आता इंसान।
जीवन है यत्न, सृजन, सिद्धि, सहभागिता,
जीवन है नियति के निर्णय का निमाण।।

जीवन है सुमधुर और प्रीतिकर अनुभूतियाँ,
जीवन है क्रूर और निर्मम परिस्थितियाँ।
जीवन है लाभ, लोभ, आतंक की परछाई,
अस्तित्व रक्षा के लिए मनुष्य की लड़ाई।।

जीवन है सहज, सुखद, सुन्दर परिवेश,
जीवन है सुस्वादु भोजन, आकर्षक वेश।
जीवन है फैला हुआ बस्ती और वन में,
प्रकृति में, प्रदूषण मुक्त जल और पवन में।।

जीवन है संगीत, साहित्य और संस्कृति,
जीवन है पत्थर और कागज की कलाकृति।
जीवन है भाव, विचार और संकल्पना,
रूप, रस, रंग, रमणीयता और आकृति।।

जीवन है जीवन में जीवन की तलाश,
जीवन है उपवन, मरुस्थल के पास।
जीवन है पानी का सोता अटूट,
जीवन है कभी भी न बुझने वाली प्यास।।

कामकाजी महिलाएंः समस्याएं एवं समाधान

श्रीमती ओमप्रभा
उप निबंधक,राजस्व मंडल राज. अजमेर

कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है–घरेलू एवं बाह्य अर्थात् उन्हें घर–परिवार एवं कार्यालय परिवार दोनों के साथ सामंजस्य बिठाना आवश्यक होता है। दोनों में से किसी भी पक्ष की उपेक्षा करना उनके मानसिक संतुलन को असंतुलित करता है। अपने देश में कामकाजी महिलाओं का इतिहास लंबा नहीं है। देश की स्वतंत्रता के बाद से ही संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों को सहारा बनाते हुए महिलाएं घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर कामकाजी महिलाओं के रूप में उभरी है। आजादी के समय महिला साक्षरता लगभग 8 प्रतिशत थी जो आज 70 प्रतिशत पहुंच चुकी है।

महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए या नहीं यह पुराना विवाद है, इस पर आज भी कोई सर्वमान्य राय नहीं है। उक्त विवाद का निर्णय समय ही कर पाएगा। हालांकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है एवं देश के प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम राष्ट्रपति भी महिला है एवं देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में भी पिछले वर्ष प्रथम तीन स्थान महिलाओं ने ही प्राप्त किए। उक्त तथ्य यह साबित करते हैं कि पितृसत्ता की बेड़ियां तोड़कर महिलाएं आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। देश में व्याप्त पूर्वाग्रही सोच को बदलने में कामकाजी महिलाओं को अग्रणी भूमिका है जो कि शुभ संकेत है।

देश में प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थितियाँ सम्मानजनक रही है यथा लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। मध्यकालीन युग जो कि भारतीय इतिहास का अनिश्चिताओं से भरा हुआ काल है जिसमें महिलाओं की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से कमी आई एवं औपनिवेशिक काल में भले ही मिशनरीज ने अंग्रेजी/पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया लेकिन वो केवल समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित रही एवं समाज के कमजोर तबकों में महिलाओं की स्थिति ओर बिगड़ती

गई। संविधान सभा के गठन में भी राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गा बाई देशमुख आदि ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं समानता व स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को शामिल करते हुए महिलाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले उत्प्रेरक तत्वः–

- स्त्री शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। स्त्रियां भी पढ़–लिखकर नौकरियां करने लगीं। कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग उदय हुआ व महानगरों में इनकी संख्या बढने लगी जो अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) की सुविधा से भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाएं आगे आई है।
- रहन–सहन के स्तर बढ़ने व पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं भी अछूती नहीं रही एवं आगे बढ़ने की चाह व प्रतिस्पर्धा के दौर में महिलाओं की मौलिक प्रतिभा ने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया।
- शिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति के इतिहास में स्त्रियों का योगदान बढ़ा एवं महिलाएं पुरुषों के बराबर कदम–ताल करने से आत्मविश्वास का संचार हुआ है। भारतीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को राजनीतिक स्तर पर भी प्रोत्साहित किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, विजयलक्ष्मी पंडित व किरण बेदी ने महिलाओं में नई सोच विकसित की है।
- चिकित्सा, समाज सेवा (मदर टेरेसा) एवं सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाने लगा है। सियाचीन ग्लेशियर जैसे दुर्गम स्थानों पर शिवा चौहान प्रथम महिला पदस्थापित हुई।

उक्त सकारात्मक उत्प्रेरकों से ही आज देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या करोड़ों में है। कृषि और निर्माण कार्यों में महिलाएं पहले से ही सक्रिय भूमिका में है, लेकिन आज हर तरफ इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ है। महिलाएं आज सेना, पर्वतारोहण, प्रशासन एवं उद्यम जैसे पुरुष प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। नर्सिंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को महिलाओं ने अपने समर्पण भाव व कार्यकुशलता से अपना सा बना लिया है। सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देकर व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ कामकाजी महिलाओं के कदम सराहनीय है।

कार्यस्थल पर आने वाली समस्याएं/परेशानियां–

- महिलाओं पर सहकर्मियों द्वारा अनावश्यक टिप्पणियां करना व असंगठित क्षेत्रों में यौन हिंसा के मामलों का बढ़ना (मी टू अभियान)।
- असंगठित क्षेत्रों में जैविक कार्यों (मातृत्व अवकाश इत्यादि) के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं मिलना।
- पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं कार्यालय कर्तव्यों के मध्य तालमेल का अभाव।
- असंगठित व गिग वर्कर्स के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को निम्न वेतन व रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्य करने में असुरक्षा का भाव व परिवहन के साधनों का अभाव।
- छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त पालने (क्रेच) की सुविधाओं का अभाव।

परम्परागत रूप से महिलाओं को घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा गया है एवं इस तरह की उम्मीद भी की जाती रही है। महिलाओं को करियर निर्माण में पुरुषों के मुकाबले दुगुनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में प्रख्यात उद्यमी श्री आनंद महिन्द्रा ने एक चित्र साझा किया –

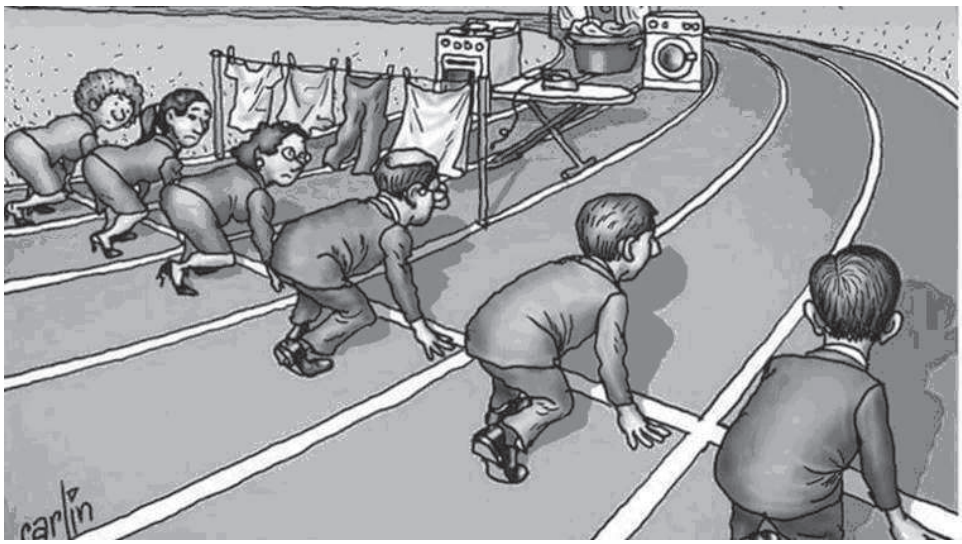

कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं के समाधान–

- घरेलू कार्यों में पुरुषों को महिलाओं के साथ बराबरी से काम में हाथ बंटाना चाहिए।

- घर से बाहर ''वीमन फ्रेंडली'' माहौल तैयार किए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिये।
- जैविक आवश्यकताओं के लिए संगठित क्षेत्रों की तरह असंठित क्षेत्रों में भी सुविधाएं की जानी चाहिए।
- डॉमेस्टिक हेल्प को विनियमित एवं सुरक्षित बनाया जाए।
- कार्यालयों में ''आंतरिक शिकायत समिति'' का गठन किया जाकर विशाखा गाइडलाइन (कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा निवारण अधिनियम, 2013) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावे।

भारतीय महिलाएं उक्त समस्याओं के बीच झूलते हुए भी कार्यालय एवं परिवार की जिम्मेदारियों को सजगता से निभाया है। महिलाओं ने अपने अनुकरणीय कार्यों से हर क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य किया है। महिलाओं ने रिश्तों के ताने–बाने को बुनते हुए परिवार एवं कार्यालय की गाड़ी के सभी पहियों को संतुलित रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाया है और डगमगाने से बचाया है। महिलाओं के बारे में एलिजाबेथ स्टानेने ने सही कहा है कि– "The Best Protection any woman can have is Courage".

⌘⌘⌘

राजकीय भूमि संरक्षण और वर्तमान कानून

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
अति. जिला कलक्टर जालौर

माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच द्वारा डी बी सिविल रिट पिटीशन (जनहित याचिका) संख्या–10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 30/01/2019 में दौसा जिले के चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया था। इस आदेश के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ" का गठन करवाए, जो चरागाह, तालाब, शमशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक रास्ते जोहड़, नदी आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर होने वाले अतिक्रमणों की शिकायतों की सच्चाई की जांच करवाए और गुणावगुण आधार पर प्रचलित प्रावधानों के तहत अतिक्रमण पाए जाने की स्थिति में अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे। उक्त आदेश को आधार बनाते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष पेश होने वाले सार्वजनिक भूमियों के अतिक्रमण के समस्त मामले बिना गुणावगुण पर विचार किए जिला स्तरीय "सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ "(PLPC) को भिजवाए जा रहे हैं। सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ गठन और उसकी मानक संचालन प्रक्रिया और निर्देश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24.04.2019 एवं 26.12.2019 को जारी किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28 जनवरी, 2011 का उल्लेख करते हुए "सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ" को इस निर्णय के दिशा निर्देश को भी ध्यान में रखने के लिए आदेशित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह के प्रकरण में पंजाब

राज्य के उस मामले पर विचार किया गया था जिसमें तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पटियाला कलेक्टर द्वारा भूमि कीमत लेकर नियमित करने के आदेश जारी किए गए थे।

आंशिक "जनहित" और आंशिक वैयक्तिक–वैमनस्य के कारण दायर ये जनहित याचिकाएं प्रशासन के लिए "मुसीबत" के रूप में सामने आ रही हैं। अतिक्रमण रोकने के लिए उत्तरदायी पूर्ववर्ती कार्मिकों और अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण अब यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है। कारण यह है कि सार्वजनिक उपयोग की इन भूमियों पर बरसों से कच्चे–पक्के निर्माण होकर आबादी और गांव के गांव बस चुके हैं। इस आबादी में प्रभावशाली लोगों के पक्के आवास और व्यवसायिक निर्माण के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब भूमिहीनों के कच्चे मकान और बाड़े भी शामिल हैं। अतिक्रमण किए गए मामलों में कार्यवाही के दौरान अतिक्रमियों द्वारा ग्राम पंचायत के प्रशासक या सरपंच या अन्य अधिकारी द्वारा जारी पट्टे और सनद पेश की जाती हैं। यहां इसी विषय–वस्तु से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डबल बेंच के एक अन्य प्रसिद्ध निर्णय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दिनांक 02 अगस्त, 2004 का उल्लेख करना भी समीचीन है। इस मुकदमे में प्रश्नगत एक गैर–मुमकिन नाडी भूमि पर कई राजकीय भवन पूर्व से निर्मित थे और स्थानीय सरपंच द्वारा बनवाए जा रहे राजकीय विद्यालय के भवन निर्माण पर रोक की मांग की गई थी, हालांकि इस भूखंड पर दिगर लोगों के अतिक्रमणों को हटा दिया गया था। इस मुकदमे के दौरान पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09/04/2003, जिसमें 15/08/1947 की स्थिति अनुसार जल भराव और जल प्रवाह (नदी, नाले आदि) को राजकीय भूमि घोषित करने और 15/08/1947 के बाद किया गए किसी भी भूमि रूपांतरण के मामलों को विधि अनुरूप गैर कानूनी घोषित करने के निर्देश सरकार को दिए गए थे, को दिनांक 02 अगस्त, 2004 को न्यायालय ने अंतिम कर दिया। उक्त वर्णित तीनों निर्णय यथा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और जगदीश मीणा बनाम राजस्थान राज्य, अब राजस्व महकमे के दफ्तर और राजस्व कार्मिकों के बीच चर्चा में रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार माननीय उच्च और उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित अधिनियम, नियम–विनियम

की वैधता की समीक्षा कर किसी धारा, नियम या खण्ड को अवैधानिक और असंवैधानिक घोषित कर सकती है, परंतु बड़े संतोष का विषय है कि उक्त निर्णयों की पालना करने में राजस्थान सरकार का न तो कोई अधिनियम या नियम या धारा अवैध घोषित हुई और न ही किसी संशोधन की आवश्यकता हुई। इससे स्पष्ट है कि हमारे वर्तमान अतिक्रमण निरोधी कानून इस समस्या से निजात पाने में सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह समर्थ हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षिप्त में एल०आर० एक्ट) के अध्याय 6 की धारा 88 और 103 के अनुसार राजकीय भूमि और भूमि को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि "समस्त सड़कें, गलियां, रास्ते आदि और समस्त भूमियां चाहे कहीं भी स्थित हैं और जो व्यक्तिगत अथवा विधिपूर्वक संपत्ति धारण करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की नहीं है, राज्य सरकार की संपत्ति होगी। एल०आर०एक्ट की धारा 91 के तहत ऐसी "भूमियां" जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रखा है तो उसे अतिक्रमी घोषित कर उसके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक राजकीय भूमि के संरक्षण का प्रश्न है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भूमिधारी तहसीलदार की होती है। यहाँ राजकीय भूमि में जमाबंदी के खाता संख्या 1 की सिवाय–चक (बिलानाम), चरागाह (गोचर) भूमि के साथ सरकार के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों की भूमियां आती हैं। इस अधिनियम की धारा 95 (7) के तहत तहसीलदार स्थानीय निकाय के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना प्रासंगिक है कि अब पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं अन्य स्थानीय निकायों के पृथक विशिष्ट अधिनियमों के अस्तित्व में आने के बाद इन निकायों के सक्षम अधिकारियों के द्वारा ही उनके स्वामित्व की भूमियों पर अतिचार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है। अतः स्थानीय निकाय और ऐसे विभाग जिनके स्वयं के अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बने हुए हैं, को छोड़कर शेष विभागों यथा–शिक्षा विभाग, सार्वजानिक निर्माण विभाग आदि के स्वामित्व वाली राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण की स्थिति में इनके आवेदन या स्वप्रेरणा से तहसीलदार न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। राजकीय भूमि की सुरक्षा निश्चित रूप से तहसीलदार का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। अतिक्रमित भूमि पर फसल की दशा में

तहसीलदार को फसल के नष्टीकरण या जब्त कर नीलाम करने के अधिकार दिए हुए हैं। हालाँकि इस प्रकार के निर्देश राज्य स्तर से जारी किये हुए हैं कि प्रारंभिक स्टेज पर फसल को नष्ट करवाया जा सकता है परन्तु पकी फसल को राजस्व आय प्राप्ति के दृष्टिगत नीलाम किया जाये। फिर भी यह एक्ट तहसीलदार को अपने विवेक से फसल के निस्तारण के अधिकार देता है। अतिक्रमित निर्माण या भवन को तहसीलदार ध्वस्त (dismantle) कर सकता है या जब्त कर सकता है। जब्ती की स्थिति में निस्तारण के लिए वह जिला कलेक्टर से निर्देश प्राप्त करेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार कार्यवाही के दौरान तहसीलदार आरोपी अतिक्रमी को विधिवत नोटिस तामील करा सुनवाई के लिए युक्तियुक्त समय प्रदान करेगा। यदि अतिक्रमी कोई अभ्यावेदन देता है तो उसकी जाँच और सुनवाई कर अंतिम निर्णय पारित करेगा। इस धारा के तहत अतिक्रमी सिद्ध होने पर अतिक्रमित क्षेत्रफल के भू–राजस्व के पचास गुना तक अर्थदंड के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम अतिचार की भौतिक बेदखली के पश्चात् पश्चातवर्ती अतिचार के लिए अतिक्रमी को तीन माह तक के सिविल कारावास की सजा के भी प्रावधान हैं। अधिकतर मामलों में भौतिक बेदखली के पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अपीलीय न्यायालयों में इस तरह के निर्णय अपास्त हो जाते हैं। अतिक्रमण यदि निर्माण के रूप में हो रहा हो और प्रारंभिक अवस्था में इसकी जानकारी हो जाये तो तहसीलदार और उसके अधीनस्थ कार्मिकों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे अतिक्रमण को बिना नोटिस के स्थापित (established) होने से पूर्व ही हटवाकर सामग्री और उपकरणों को जब्त कर लिया जाये। ऐसे ही एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह उल्लेखित किया है कि अतिक्रमण का प्रयास होते ही ताजा–ताजा (recent origin) के मामलों में नेचुरल जस्टिस की पालना आवश्यक नहीं है। कई प्रकरणों विशेषकर प्रथम अतिचार के वे मामले जिनमें कोई प्रभावशाली व्यक्ति राजकीय भूमि पर निर्माण आदि करता है और कानूनों की खामियों और राजकीय अवकाशों का फायदा उठाकर इन दिवसों में निर्माण जारी रखता है, वहां प्रशासन के इक़बाल के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे मामलों में उसके खिलाफ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षिप्त में टीनेंसी एक्ट) का उपयोग लाजिमी हो जाता है। धारा 212 के तहत अस्थायी व्यादेश जारी करने के बाद उसके

उल्लंघन या अवज्ञा की स्थिति में तहसीलदार न्यायालय को सिविल प्रकृति संहिता, 1908 (संक्षेप में सीपीसी) के आदेश 2 (क) के तहत अतिक्रमी को 3 माह तक जेल में निरुद्ध रखना संभव हो जाता है। धारा 91 के प्रावधानों में अस्थायी व्यादेश (temporary injunction) जारी करने के सम्बन्ध में सीधे उल्लेख नहीं होने से शायद ही कुछ तहसीलदार/नायब तहसीलदार धारा 91 एल०आर०एक्ट के साथ धारा 212 टीनेंसी एक्ट को उपयोग में लाते हैं। एल०आर०एक्ट की धारा 90(क) के अनुसार कृषि भूमि को विधिवत रूप से धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका अंतरिती उस भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही गैर–कृषि प्रयोजनार्थ ले सकता है। इस हेतु वह व्यक्ति सक्षम अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। उप धारा 5 के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना या अनुमति की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करने पर या ऐसी अनुमति अस्वीकार किए जाने की स्थिति में वह व्यक्ति अपनी उस भूमि पर अतिक्रमणकारी समझा जाएगा और धारा 91 एल०आर०एक्ट के तहत बेदखल किया जा सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि धारा 90(क) उपधारा 5 में तहसीलदार को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वह कार्यवाही के दौरान विचाराधीन भूमि को नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा अन्य प्रकार से अंतरण किए जाने के खतरे के मद्देनजर धारा 212 टीनेंसी एक्ट का प्रयोग भी कर सकेगा। टीनेंसी एक्ट की धारा 183 या इस अधिनियम के तहत अन्य धाराओं में कार्रवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय धारा 212 राजस्थान टेनेंसी एक्ट में उपलब्ध उपचार/अनुतोष के अंतर्गत भूमि के दुर्व्ययन (wasted), हानि (damaged) और अंतरित किये जाने (lienated) के खतरे की स्थिति में विवादग्रस्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा और रिसीवर तक की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब न्यायालय कृषि उपयोग की निजी खातेदारी के गैर कृषि उपयोग करने या दो निजी पक्षकारों की निजी भूमियों के सम्बन्ध में विचारण के दौरान निजी भूमियों की सुरक्षा कर सकता है तो वह (तहसीलदार या सहायक कलेक्टर) राजकीय भूमियों की सुरक्षा और संरक्षण करने में इस धारा (212) का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 182 (2) में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का समावेश किया गया है। अतः तहसीलदार धारा 91 के

अधीन न्यायालय के रूप में धारा 212 के अधीन आदेश जारी कर सकता है। (सन्दर्भ–एस के दत्त–पुस्तक राजस्थान काश्तकारी कानून–लेखक एस०के० दत्त–2019 –बाफना पब्लिशिंग हाउस जयपुर –पृष्ठ संख्या–468); अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा–जहाँ तहसीलदार ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) या धारा 91 के अधीन राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अस्थायी व्यादेश (temporary injunction) जारी किया गया तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपने द्वारा जारी किए गए अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा के लिए तहसीलदार को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 2(क) के अधीन आज्ञा पारित करने की अधिकारिता है। (वही–पृष्ठ संख्या–528); राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही में अतिक्रमण के मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1905 की धारा 151 में प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों के तहत विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार निषेधाज्ञा और रिसीवर नियुक्त करने हेतु अधिकृत है। (बाफना पब्लिशिंग हाउस जयपुर द्वारा प्रकाशित "तहसीलदार–एक हकीकत" संस्करण 2016 – पृष्ठ संख्या–122 एवं 298)

ऊपरवर्णित विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राजकीय भूमि की सुरक्षा हेतु तहसीलदार द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपयोग तार्किक भी है और वैधानिक भी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में उल्लेखित सार्वजनिक महत्व की भूमियों यथा सड़क, रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान चरागाह, सार्वजनिक कुँए, नदी, जोहड़ और तालाब आदि पर अतिचार की स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अन्तः स्थापित उप–धारा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस श्रेणी की भूमियों पर अतिचार सिद्ध होने पर अतिचारी को एक माह से तीन वर्ष के साधारण कारावास और बीस हज़ार तक के अर्थदंड का प्रावधान है। साथ ही इस उप–धारा के खंड (ख) में इस उप–धारा के तहत दंडनीय अपराध को रोकने में उपेक्षा करने और दुर्भावना के कारण उत्तरदायी राजकीय कार्मिक को दोष सिद्ध होने पर एक माह तक के साधारण कारावास और एक हज़ार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित करने के प्रावधान हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस उप–धारा के तहत मामले की जाँच

उप–पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है और आपराधिक न्यायालय (सिविल कोर्ट) में इसका विचारण किया जाता है। तहसीलदार को सबसे पहले आदेश पारित कर मामला प्राथमिकी के रूप में पुलिस की जाँच के लिए सुपुर्द करना होता है। तत्पश्चात तहसीलदार को पुलिस जाँच और न्यायालय कार्यवाही में उपस्थित होना पड़ता है। तहसीलदार एल०आर०एक्ट की उप–धारा 4(ii)(ख) के अंतर्गत अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमणकारी को हटाने का आदेश पारित कर राजस्व विभाग की भूमि होने की स्थिति में स्वयं या राजस्वकर्मियों को एवं अन्य विभागीय भूमि की स्थिति में उस विभाग के अधिकारी को उस भूमि का कब्ज़ा लेने हेतु प्रतिनियुक्त करता है। बेदखली की इस कार्यवाही के विरोध या बाधा डालने पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट कब्ज़ा दिलाना सुनिश्चित करेगा। यहाँ मजिस्ट्रेट से आशय कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है जिसमें तहसीलदार स्वयं पदेन कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने से पुलिस बल के सहयोग से कब्ज़ा हटवाने में सहायता करता है। अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस सहायता के सम्बन्ध राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश क्रमांक प. 6(8)राज–6/91/13 दिनांक 20–07–1994 जारी किया हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार यहाँ निर्णय प्रक्रिया में न्यायाधीश (पीठासीन अधिकारी), कब्ज़ा सुपुर्दगी में कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तिहरी भूमिका में होता है। वहीं एल०आर० एक्ट की धारा 91(6) में वह पीठासीन अधिकारी के रूप में सुनवाई कर मुस्तगीस (अभियोगी) बनकर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज़ कराता है।

सभी सरकारी विशेषकर सार्वजनिक महत्व की शामलाती भूमियों के सम्बन्ध में जारी न्यायिक निर्णयों और कानूनी प्रावधानों के होते हुए भी राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण की स्थिति भयावह बनी हुई है। प्रचलित विधिक प्रावधानों और अतिक्रमण की समस्या के विश्लेषण के पश्चात् व्यावहारिक समाधान और निष्कर्ष निम्नानुसार है–

1– अर्थदंड और फसल तथा जब्त सामग्री की नीलामी के साथ ही अतिक्रमण हटाने में व्यय होने वाले खर्चे को अतिक्रमी से वसूलने के स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए ताकि पीठासीन अधिकारी बेदखली के निर्णय में ही इस तथ्य का उल्लेख कर सके और इस राशि को भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जा सके।

2– एल०आर०एक्ट की धारा 91(2) में वर्णित अतिक्रमित क्षेत्रफल पर देय वार्षिक भू–राजस्व के 50 गुना राशि के स्थान पर यह शास्ति कृषिक प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के लिए प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 10000 रूपये और गैर कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण यथा आवासीय या व्यावसायिक आदि उपयोग या पक्की संरचना के लिए अतिक्रमित क्षेत्रफल पर प्रति वर्ग–फुट न्यूनतम 50 रूपये हो सकती है।

3– सक्षम और प्रभावशाली अतिक्रमियों द्वारा किये जाने वाले स्थायी प्रकृति के निर्माण को रोकने और इन्हें हतोत्साहित करने के लिए टीनेंसी एक्ट की धारा 212 के उपयोग को एल०आर०एक्ट के तहत स्पष्ट कर तहसीलदारों को निर्देश जारी होने चाहिए।

4– राज्य सरकार द्वारा एल०आर० एक्ट के लागू होने के पश्चात समय–समय पर आवासीय उपयोग और बाड़ों के लिए विभिन्न किस्म की भूमियों पर सनद जारी करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को जारी किये हुए हैं। इन विधिक आदेशों की पालना में जारी पट्टों को समुचित जाँच के बाद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज़ करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि सद्भावी और पात्र व्यक्ति अनावश्यक परेशान न हों।

5– धारा 91 की सुनवाई के दौरान अतिक्रमी/पक्षकार द्वारा विभिन्न प्रकार के लिखित साक्ष्य यथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पट्टे, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे आदि पेश किये जाते हैं तो न्यायहित में पीठासीन अधिकारी को ध्यानपूर्वक इन पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय करना चाहिए। ऐसा करने से अपील में तहसीलदार के निर्णय के अपास्त होने की सम्भावना लगभग ख़त्म हो सकती है। निर्णय के दौरान समय लगने की स्थिति में सीपीसी की धारा 151 की अन्तर्निहित शक्तियों या टीनेंसी एक्ट की धारा 212 को प्रयोग में लेकर अंतरिम आदेश, अस्थायी निषेधाज्ञा या रिसीवर या अंडरटेकिंग के माध्यम से भूमि और राज्य को होने वाली संभावित हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

6– सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में वर्ष 1992 में जोड़ी

गई उप–धारा 6 में वर्णित अर्थदंड की मात्रा और सिविल कारावास की अवधि अतिक्रमियों में भय उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त से भी अधिक (more than sufficient) है बशर्ते राजस्व कार्मिकों के पक्ष में इसकी प्रक्रिया में आंशिक संशोधन कर दिया जाये। यह किसी से छिपा नहीं है कि पुलिस जाँच और सिविल न्यायालय की विचारण प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इस दौरान सम्बंधित तहसीलदार स्थानांतरित हो चुका होता है। अपने वर्तमान पदस्थापन मुख्यालय से जाँच और गवाही के लिए प्रायः लम्बी यात्रा कर उपस्थित होना तथा विचारण न्यायालय के प्रक्रियागत कटु–अनुभवों के कारण अक्सर तहसीलदार इस उप–धारा के उपयोग करने से बचने का प्रयास करते हैं।

7– जिस प्रकार आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3/25 में जिला मजिस्ट्रेट को उनके द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश के लिए न्यायालय में गवाह के तौर पर शामिल नहीं करने और इनके स्थान पर जिला कार्यालय से सम्बंधित अनुभाग के मंत्रायलिक कार्मिक से दस्तावेज तस्दीक कराने के आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किये हुए हैं उसी अनुरूप एल०आर० एक्ट की धारा 91(6) में तहसीलदार द्वारा न्यायाधीश की हैसियत से पारित निर्णय और इस पत्रावली के दस्तावेजों को तत्कालीन तहसीलदार के बजाय स्थानीय तहसील कार्यालय के स्टाफ से तस्दीक कराने के शासनिक आदेश जारी करने या आवश्यकतानुसार सम्बंधित कानून में वांछित संशोधन के बाद तहसीलदार निश्चित रूप से एल०आर०एक्ट की धारा 91(6) अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेरित होंगे। यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 से जोड़ी गई धारा 291(क), जिसके तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार/एसडीएम) द्वारा संपत्ति और व्यक्ति की शिनाख्तगी रिपोर्ट को न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने और संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाने के विधिक प्रावधान के बावजूद भी पुलिस और अभियोजन अधिकारियों द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार और एसडीएम) को गवाह सूची में रखकर कोर्ट में साक्षी के तौर पर उपस्थिति हेतु समन करवाया जा रहा है। पुलिस और अभियोजन विभाग की इसी कार्य–प्रणाली के कारण राजस्व

अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) ऐसी कार्यवाहियों से यथासंभव बचने का प्रयास करते हैं। राज्य स्तर से इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है।

8– आबादी के आसपास के छोटे–छोटे रकबे के अतिक्रमण के ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पक्षकार अतिक्रमण के आरोप से इनकार कर यह कहता है कि अतिक्रमित बताई गई भूमि उसके स्वामित्व की ही भूमि है और रिपोर्टिंग कर्मचारी ने सही नाप नहीं किया है। ऐसे अभ्यावेदन पर विचार कर आवश्यक होने पर मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुए किसी संयुक्त जांच दल से भूमि की पैमाईश करवाने के बाद ही अंतिम निर्णय पारित करना चाहिए। अभ्यावेदक का क्लेम गलत साबित होने पर उससे पैमाइश फीस भी वसूली जा सकती है।

⌘ ⌘ ⌘

नव–सृजित गाँव
भू–नक्शा अभिलेख प्रक्रिया

डॉ. गिरवर सिंह राठौड़
आर.टी.एस.(रि.)

भारतीय भू–राजस्व प्रशासन का आधार ग्रामीण व्यवस्था है तथा ग्रामीण व्यवस्था व भूमि के मध्य अन्तर संबंध है। मनुष्य ने जब तक खेती करना नहीं सीखा था तब तक उसका जीवन घुमक्कड़ था। वह खाने पीने की वस्तुओं की खोज में भटकता फिरता और किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहता था। लेकिन शनैः शनैः खेती करना सीखने के साथ–साथ मनुष्य के व्यर्थ घूमने की आदत छूटने लगी। जहाँ–जहाँ उपजाऊ भूमि मिली वही लोग स्थायी रूप से बस गए और खेती करने लगे। इस तरह कुछ परिवारों के एक भू–खण्ड पर निवास करने से सुख –दुख में एक दूसरे का हाथ बँटाने से और परस्पर मिलकर प्राकृतिक शक्तियों के विरूद्ध संघर्ष करने में उनमें सामुदायिक भावना का जन्म और विकास हुआ तथा ग्रामीण समुदायों (Village community) की उत्पत्ति हुई। निरन्तर एक ही स्थान पर रहने से ग्रामीण समुदायों में स्वभावतः एक आर्थिक संगठन का विकास हुआ। शनैः शनैः व्यवहार एवं रहन–सहन के तथा सामाजिक संबंधों के कुछ नियम बने जो क्रमशः रीति–रिवाजों तथा परम्पराओं के रूप में दृढ़ हो गए। ग्रामीण समुदाय को समझाते हुए स्मिथ ने लिखा है ''कृषक ग्रामीण व्यवस्था का मूल आधार है।''

कृषक और ग्रामीण भारत में प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं।''

भू–राजस्व प्रशासन को जन्म देने वाली प्रशासनिक इकाई गांव ही है और जो निम्नतम इकाई है। गांव संस्कृत भाषा के शब्द ग्राम से परसियन भाषा का ''डीह'' (DEH) तथा बाद में इसे अरबी भाषा के शब्द ''मौजा'' कहा जाने लगा।

मौजा या गांव भू –राजस्व की मूलभूत इकाई रहा है। इसके अन्दर कृषि योग्य आबादी (आबाद क्षेत्र) तलैया, खांचे, नाले, जंगल तथा बंजर जमीनें सम्मिलित रही है। खेती की जाने वाली भूमि मेड़ों द्वारा टुकड़ों में बंटी होती है और पहचान के लिए किसान प्रत्येक टुकड़े (भू खण्ड) का एक विशेष नाम रखते हैं।

दक्षिण भारत में सामान्यतः ग्रामस कहा जाता है लेकिन कहीं–कहीं गांव के वर्ग व आकार के अनुसार पट्टी–कुरची, कोटाई, मंगलम, कुडी आदि नाम से भी जाना जाता है।

भारत में राजस्व प्रशासन के पितामाह व वैज्ञानिक वेडन पावेल (1907–11) के अनुसार गांव या मौजा से अभिप्राय जोतों का वह समूह जो एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से निवास करता है जिसकी अपनी सीमा और पहचान होती है तथा भू नक्शे में उस गांव विशेष का नाम सम्मिलित है राजस्व की भाषा में उस गांव को मौजा कहा जाता है।

जे.डी शुकला के अनुसार भू राजस्व व्यवस्था का गांवों पर महत्वूपर्ण प्रभाव पड़ा है। जब बंगाल में जमींदारी प्रथा (स्थायी भू प्रबन्ध) हुआ तो गांव अपना अस्तित्व खो बैठे जबकि रैयतबाड़ी प्रथा ने ना केवल जीवित रखा बल्कि एक इकाई का रूप दिया। वेडन पावेल पुनः लिखते हैं मौजा तकनीकी रूप से भू राजस्व की निम्नतम प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक गांव की निश्चित सीमायें होती है जिनका भू अभिलेख तैयार किया जाता है जिसमें ग्राम की आबादी रास्ता, वीहर, जंगल, पहाडी, तलाब, नलाखाल, बंजर, लाएक–ए–एजरता आदि का उल्लेख होता है।

<u>नए गांव के सृजन की आवश्यकता</u>ः–

प्राचीन समय से नये गांवों का निर्माण भी होता आया है। पावेल के अनुसार अतिरिक्त भूमि व परत भूमि से प्राचीन समय में होता था।

राजस्व ग्राम ना केवल राजस्व प्रशासन की मूल इकाई है बल्कि विकास एवं आयोजन के लिए भी महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है विभिन्न जन सुविधाओं एवं ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे जल प्रदाय योजना, विद्यालय स्थापना, सड़क, चिकित्सालय, विद्युतीकरण, डाक–घर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि की स्वीकृति के लिए राजस्व ग्राम आधार बिन्दु है।

कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार होने के कारण काश्तकारों ने मूल गांव की आबादी से दूर आबादी समूह में ढाणियां निर्मित की हैं।

प्रायः यह देखा जाता है कि उपर्युक्त विभिन्न विकास योजनाओं की सुविधायें मूल राजस्व ग्राम की आबादी में ही उपलब्ध कराई जाती है जबकि उसी राजस्व ग्राम में दूर बसी आबादी अथवा बिखरी हुई ढाणियों में निवास कर रही आबादी को पृथक राजस्व ग्राम घोषित ना होने के कारण विकास कार्य लाभों से वंचित रहना पड़ता है। अतः इन

ढाणियों में निवास कर रहे लोगों को भी विकास कार्यों का व उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि मूल गांव से दूर इन सुदूर बसी आबादी एवं बिखरी हुई ढाणियों को भी नया राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

<u>नवसृजित गांव के लिए विधिक प्रावधान</u> :–

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 (क) व (ख) राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह मूल गांव से पृथक कर भू–क्षेत्र को नया गांव घोषित कर सकें। इस अधिनियम में उक्त व्यवस्था राजस्व राजपत्र भाग 4क क्रमांक 8/1995 दिनांक 26.04.1995 में कर के की गई है। इससे स्पष्ट है कि नवीन गांव के सृजन की विधिक व्यवस्था 1995 से की गई। इसके उपरान्त नवीन गांव के सृजन की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने परिपत्रों/निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया। इसके उपरान्त राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) क्रमांक प.9(16)राज./ग्रुप–1/07 दिनांक 20 अगस्त 2008 को नये राजस्व ग्राम के सृजन हेतु समग्र परिपत्र जारी किया। जिसके आधार व दिशा निर्देश पर नवीन राजस्व ग्राम का सृजन किया जाता है।

<u>नवीन राजस्व ग्राम सृजन हेतु परिपत्र में निर्धारित मापदण्ड</u>:–

1. मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे जिन आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाना हो उस क्षेत्र की आबादी क्षेत्र में 250 से कम ना हो। लेकिन रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में आबादी 200 से कम नहीं होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम जिसकी आबादी 250 या 200 (यथास्थिति) होने के उपरान्त अगर मूल गांव की आबादी उपरोक्त संख्या से कम हो जाती है तो भी नये गांव का प्रस्ताव निर्मित नहीं होगा।
3. प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जो आबादी वर्तमान में निवास कर रही है उसकी दूरी मूल गांव की आबादी से कम से कम 1 कि0मी0 दूर होनी चाहिए।
4. नवीन राजस्व ग्राम प्रस्तावित करते समय उसके नाम का प्रस्ताव भी भिजवाया जाये। नाम का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम का नाम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति अथवा उप जाति के आधार पर नहीं हो। जहां तक सम्भव हो, ग्राम का नाम आम सहमति से प्रस्तावित किया जाये।
5. यदि प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की आबादी बिखरी हुई ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो तो प्रस्तावित नवीन ग्राम के लिए सुविधाजनक स्थान पर केन्द्र बिन्दु

का चयन किया जाये केन्द्र बिन्दु निर्धारित करते समय आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाये।

6. यदि नवीन ग्राम में आधारभूत सुविधाओं एवं इनके विस्तार के लिए पर्याप्त सिवाय चक, चारागाह अथवा अन्य भूमि उपलब्ध हो तो ऐसी भूमि को नवीन प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाओं तथा आबादी विस्तार के लिए आरक्षित कर दिया जाये। यदि पर्याप्त चारागाह या सिवाय चक भूमि उपलब्ध नहीं हो लेकिन स्थानीय व्यक्ति ग्राम की आबादी एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो तो उस भूमि को भी आरक्षित कर दिया जाये।
7. प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम में मुख्य आबादी का केन्द्र बिन्दु कहां रहेगा (खसरा नम्बर अंकित करें)।
8. भविष्य में आबादी विस्तार हेतु तथा उपलब्ध चरागाह भूमि का विवरण।
9. प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। (राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के पत्र क्रमांक : राम/भू.अ./जी–2/प–12/2019/12432 दिनांक 05.09.2019 के संदर्भ में)।
10. नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए जन प्रतिनिधियों/स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की जाये। अगर राजस्व अधिकारी यह महसूस करे कि ग्राम में जो ढाणियाँ बसी है वह मूल गांव से काफी दूर है तथा नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करती है तो उन पर भी विचार कर प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

<u>नव–सृजित गांव निर्माण की प्रक्रिया</u>

1. किसी भी बड़े गांव की जनसंख्या मूल गांव की आबादी से पृथक होकर गांव के दूर–दराज अपने खेतों में ढाणियों के रूप में आबाद (बस जाती है) हो जाती है तथा उन ढाणियों में जब जनसामान्य के कल्याण के लिए सुविधाओं का अभाव जैसे (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, डाक घर, पानी की व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव मूल गांव की आबादी जहां उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध है) दूर हो जाती है। इन ढाणियों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए

नवीन गांव का सृजन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जन सुविधाओं की उपलब्धता गांव को इकाई मानकर की जाती है।

2. नव सृजित गांव के निर्माण का प्रस्ताव ग्राम सभा, जनप्रतिनिधि या स्वयं राजस्व विभाग के कार्मिकों के द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

3. नव सृजित गांव का प्रस्ताव तहसील स्तर पर पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के माध्यम से किया जाता है। इसमें विशेष भूमिका उस क्षेत्र के पटवारी की ही होती है जो गांव के अभिलेखों के माध्यम से नव–सृजित गांव का प्रस्ताव तैयार करता है।

4. सर्वप्रथम पटवारी के द्वारा मूल गांव के राजस्व मानचित्र के द्वारा एक नया मानचित्र तैयार किया जाता है जिसमें प्रस्तावित नवसृजित गांव के भू भाग को पृथक से ट्रेस कर नक्शा तैयार किया जाता है। नीचे हमने चित्र संख्या–1 में एक काल्पनिक गांव का पूरा राजस्व नक्शा बताया है जबकि चित्र संख्या–2 में, चित्र संख्या –1 से पृथक होने वाले भू–भाग जिससे नया गांव सृजित किया जाता है, को ट्रेस करके बताया है।

क्योंकि राजस्थान में अब सारे गांव के मानचित्र डिजिटल हो गए है अतः उक्त प्रक्रिया को हम कम्प्यूटर के माध्यम से दोहराते हुए मुख्य गांव के मानचित्र से नव–सृजित होने वाले गांव के भू–भाग को पृथक कर सकते हैं।

(क) **चित्र संख्या –1** का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि मूल गांव में अन्तिम खसरा नम्बर 61 है (यह चित्र केवल समझाने के लिए बनाया गया है बड़े गांव में तो खसरा नम्बर 5000 – 10000 तक के भी सम्मिलित हो सकते हैं।)

(ख) **चित्र संख्या–1** मूल गांव में से चित्र संख्या–2 नव सृजित गांव में खसरा नम्बर 21, 22, 28 (आंशिक भाग), 29, 30, 31, 30/61, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और अन्तिम खसरा नम्बर 45 को लेकर बनाया गया है।

(ग) **चित्र संख्या –2** द्वारा प्रस्तावित नव–सृजित गांव के उपरोक्त खसरा नम्बर का खसरा गिरदावरी की नकल (वर्तमान में राजस्व अधिकारी ऐप) द्वारा प्राप्त कर कुल क्षेत्रफल का योग लगाया जाता है ताकि परिचयात्मक परिशिष्ट की पूर्ति की जा सकें।

चित्र संख्या–1

चित्र संख्या–2

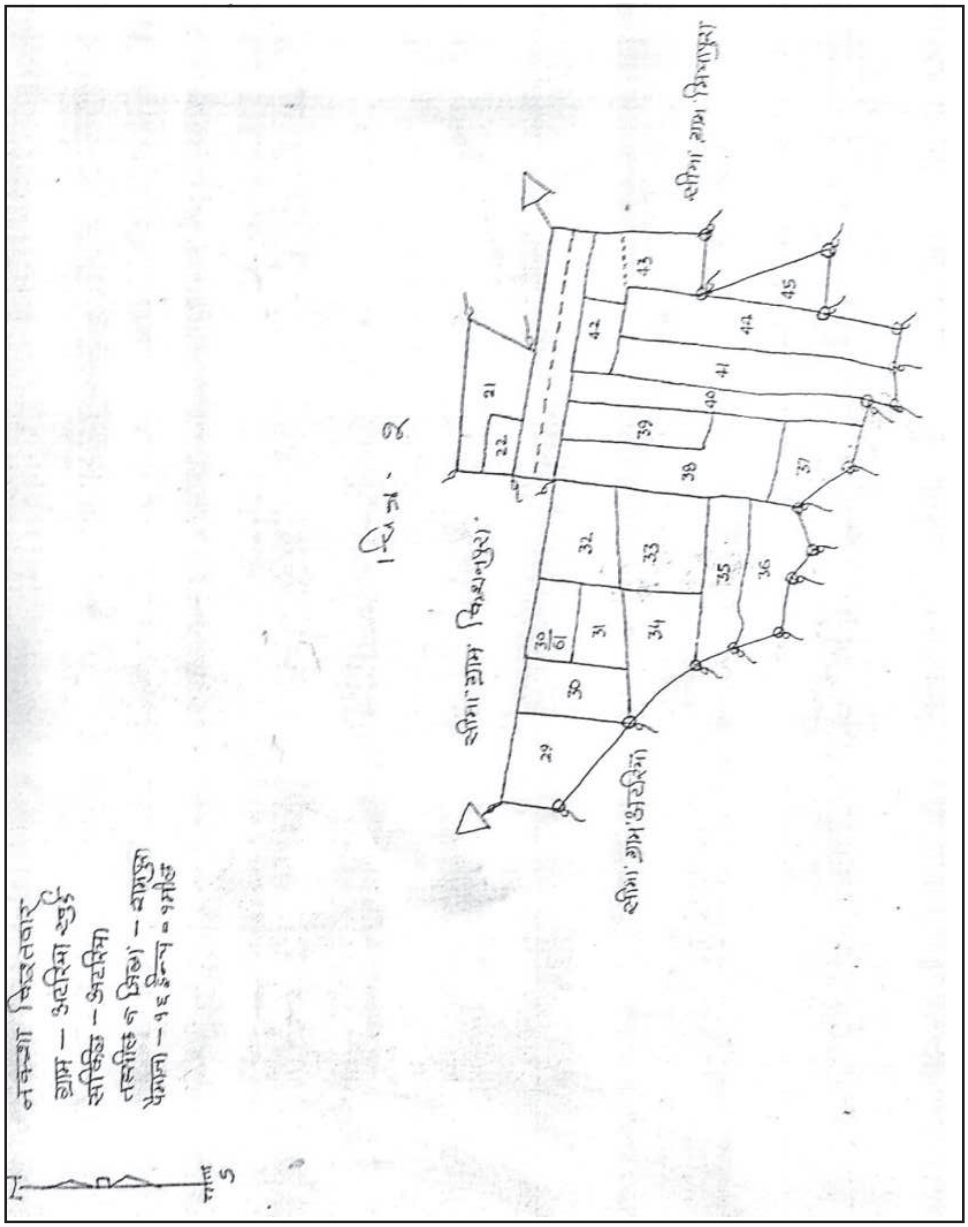

(घ) पटवारी के द्वारा नव सृजित गांव में आने वाले खसरा नम्बर की जमाबंदी की प्रति भी संलग्न की जाती है जिससे परिशिष्ट द्वितीय व तृतीय की पूर्ति होती है।

(ड) इस प्रकार पटवारी के द्वारा प्रस्तावित नव सृजित गांव के अन्तर्गत आने वाले भू भाग के **निम्न अभिलेख की प्रतियां तैयार की जाती है** –

1. प्रस्तावित नव सृजित गांव का राजस्व नक्शा
2. नव सृजित गांव के भू भाग के खसरा गिरदावरी की प्रति।
3. नव सृजित गांव में आने वाले खातेदार काश्तकार की जमाबंदी की नकल।
4. परिचयात्मक परिशिष्ट
5. परिशिष्ट प्रथम
6. परिशिष्ट द्वितीय
7. परिशिष्ट तृतीय

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या 7 तक अभिलेख/प्रपत्रों की चार–चार प्रतियां पटवारी के द्वारा तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तहसीलदार समस्त अभिलेखों को प्रमाणित कर चारों प्रतियां जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर देते हैं।

(च) जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित भू अभिलेख शाखा जिसके प्रभारी सदर कानूनगो होते हैं। अपने स्तर पर नव सृजित गांव के आये प्रस्तावों का विश्लेषण राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र 20 अगस्त 2009 में दिये गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण उपरान्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से तीन प्रतियों में प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाते हैं।

(छ) राजस्व मण्डल स्थित भू–अभिलेख शाखा के द्वारा प्राप्त नवसृजित गांव के प्रस्तावों की जांच व विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त पाये जाने पर राजस्व मण्डल प्राप्त प्रस्तावों की 2 प्रति राज्य सरकार के राजस्व विभाग को नव सृजित गांव की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रेषित कर देता है।

(ज) राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावित नव सृजित गांव का बिन्दुवार विश्लेषण किया जाता है और नव सृजित गांव की स्वीकृति देने के पूर्व इसकी स्वीकृति भारत सरकार के गृह–मंत्रालय से भी प्राप्त की जाती है। इसके उपरान्त नव–सृजित गांव को राज्य सरकार के द्वारा ''राज पत्र'' में अधिसूचना जारी कर घोषित किया जाता है और इस प्रकार नोटिफिकेशन के बाद मूल गांव से एक भू–भाग को पृथक कर नये गांव का सृजन किया जाता है।

<u>नव सृजित गांव की अधिसूचना के उपरान्त अभिलेखों के निर्माण की प्रक्रिया</u>

राज्य सरकार द्वारा नव सृजित गांव की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त तहसील प्रशासन द्वारा नव सृजित गांव का राजस्व नक्शा जो पूर्व में ही बनाकर प्रस्ताव के साथ भेजा गया था, को पुनः संशोधित किया जाता है अर्थात खसरे में नक्शा नम्बर नियमानुसार 1 से अन्तिम नम्बर तक डाला जाता है। नम्बर डालने में असुविधा इसलिए नहीं होती कि पूर्व नक्शे में मूल गांव के पुराने खसरा नम्बर जो नए गांव में आये हैं जैसे खसरा नम्बर 27 से 45 खसरा नम्बर तक 1 उसी क्रम में 1, 2, 3 नम्बर नक्शे में डाले जा सकते हैं। (चित्र संख्या –3 का अवलोकन करें) क्योंकि वर्तमान में राजस्व नक्शा डिजिटल हो गया है। अतः बड़ी आसानी से यह कार्य किया जा सकता है।

चित्र संख्या–3

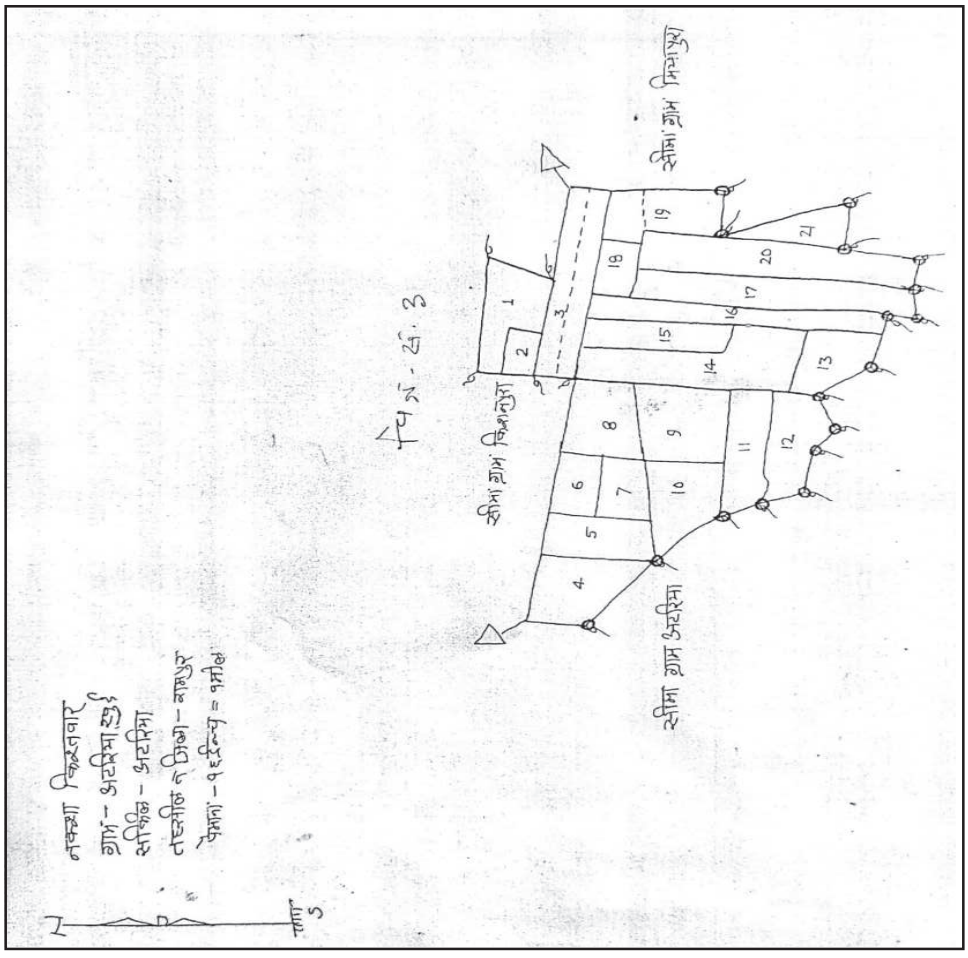

इसी प्रकार नये गांव की जमाबंदी भी नयी बनेगी। डिजिटलीकरण से पूर्व जब गांवों की जमाबंदी 4 साल बाद नयी बनती थी तो नये गांव की जमाबंदी का निर्माण मूल गांव की जमाबंदी के साथ ही किया जाता था, लेकिन क्योंकि अब जमाबंदियां स्थायी हो चुकी है (2018 से) अतः नये गांव की जमाबंदी का निर्माण तत्काल कर दिया जाएगा। लेकिन इस नयी जमाबंदी में जो प्रथम पृष्ठ होगा वह मिलान क्षेत्रफल का होना चाहिए जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर पूर्व के किस खसरा नम्बर से निर्मित हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि खातेदार काश्तकार को अपने पुराने नम्बरों के साथ नवीन नम्बरों का भी स्पष्ट ज्ञान हो सके।

उपर्युक्तानुसार यह आवश्यक हो गया है कि नवीन गांव का सृजन करने के लिए तैयार प्रस्ताव परिपत्रानुसार स्पष्ट होने चाहिए और अधिसूचना के बाद नये राजस्व नक्शे व जमाबंदी का निर्माण उपरोक्तानुसार राजस्व अधिकारियों की देखरेख व निर्देशन में पूर्ण किया जाना चाहिए। जब भी भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी पटवारी के अभिलेखों का निरीक्षण करें तो निरीक्षण में यह अवश्य देखें कि नियमानुसार सही तरीके से नव सृजित गांव का नक्शा व जमाबंदी का निर्माण हुआ है या नहीं।

⁂ ⁂ ⁂

पत्रिका विवरण

1. नाम	–	रावि‍रा त्रैमासिक अंक–126
2. आकार	–	रावि‍रा 6.2 × 9.2
3. मुद्रित प्रतियाँ	–	7500
4. प्रयुक्त कागज	–	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम (ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम (ग) साधारण कागज (मेपलिथो) 80 से 90 जी.एस.एम
5. प्रकाशक	–	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. मुद्रक	–	राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर
7. कवर पेज	–	4 पृष्ठ
8. रंगीन पृष्ठ	–	16 पृष्ठ
9. साधारण पृष्ठ	–	216 पृष्ठ

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

(W.R.)

प्रकरण संख्या–अपील / टी0ए0 / 4998 / 2021 / झुंझुनूं

होशियार सिंह .....**अपीलार्थीगण**

बनाम

हीरालाल व अन्य .....**प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित

श्री मोहम्मद ईकबाल, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय

दिनांकः 23.12.022

यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर दिनांक 06.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 के अंतर्गत पेश किया। जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2013 को आदेश जारी करते हुये प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय पारित कर तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रेषित करते हुये नामांतरकरण संख्या 5 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व यथास्थिति को कायम करने के आदेश दिये। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपील अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2021 से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह अपील मंडल के समक्ष पेश की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के अंकित तथ्यों को

दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का मुख्य आधार यह बनाया गया था कि अपीलांट द्वारा 14 वर्ष की देरी के बाद प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 का पेश किया गया था जो मियाद बाधित था जबकि निर्णय एवं डिक्री की पालना करने की समयसीमा 12 वर्ष है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.1995 के बाद रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 1161/1996 को निरस्त कर दी गई थी जो अदम तकमील में दिनांक 16.08.1999 को निरस्त कर दी गई थी। जिसे पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र एस0बी0 सिविल पीटीशन संख्या 699/2014 प्रस्तुत की जो दिनांक 26.09.2014 को निरस्त कर दी गई। जिसे बीच बीते समय में अप्रार्थीगण के द्वारा अलग–अलग दावे किये गये। जिसका वर्णन पूर्व में किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि इस प्रकार अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण दिनांक 26.09.2014 को हुआ, जिसके बाद प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 दिनांक 07.04.2015 को पेश किया जो पूर्ण रूप से मियाद में था और इस बाबत पेश समस्त दस्तावेज अभिलेख पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे परंतु रेस्पो0 को अपरिमेय लाभ देने की नियत से संपूर्ण निर्णय में किसी भी दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया था और मात्र तकनीकी बिन्दू पर अपील को स्वीकार किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 06.10.2021 काबिल निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा धारा 144 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में पेश नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये रेस्पो0 को नोटिस जारी नहीं किये और ना ही समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही मात्र अपीलांट को सुनकर आदेश पारित कर दिये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत ही आदेश पारित किये जाने चाहिये परंतु परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में ऐसा नहीं किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने

में कोई त्रुटि नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 मियाद बाहर 14 वर्ष के विलंब से पेश किया गया था जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आदेश की दिनांक से 12 वर्ष पश्चात उस आदेश की पालना नहीं करवाई जा सकती है। जिसे भी परीक्षण न्यायालय ने मियाद पर कोई निर्णय ना देते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कुछ पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है। विधि अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश विधिसम्मत नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 1965 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 1477, 1979 ए0आई0आर0 एच0सी0 पेज 63, 1989 आर0एल0डब्ल्यु0 (2) पेज 280, 2001 आर0एल0डब्ल्यु0 (3) एस0सी0 पेज 376, 2012 (3) आर0एल0डब्ल्यु एस0सी0 पेज 2168, 2012 ए0आई0आर0 जी0वि0जे0 एच0सी0 पेज 71 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से परीक्षण किया।

अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय अंतिम दो पैरा में अंकित किया है :–

''विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा धारा 144 सी0पी0सी0 का आवेदन निधार्रित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। रेस्पो0 द्वारा धारा 144 सी0पी0सी0 का आवेदन 14 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार 12 वर्ष बाद निर्णय की पालना नहीं करवा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर ही पृष्ठांकित आदेश पारित किया गया है। मूल आदेश निर्णय के कुछ पक्षकार फौत हो चुके हैं। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रार्थी रेस्पो0 नये सिरे से विधिक प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय नये सिरे से प्रस्तुत आवेदन पर विधिक प्रक्रिया अपनाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु स्वतंत्र है।''

इस प्रकार इस अपील के उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलांट प्रार्थी पक्ष द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, न्यायालय में धारा 144 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र Restitution की कार्यवाही के लिये दिनांक 15.04.2013 को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर दिनांक 15.04.2013 को उसी धारा 144 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर ही पृष्ठांकन करते हुये परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने पूर्व के नामांतरकरण को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति को कायम करने के आदेश पारित कर दिये गये थे। जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त धारा 144 सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी तामील के उपरांत उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही अपना निर्णय विधि अनुसार पारित किया जाना अपेक्षित था। परंतु उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ठांतों के अनुसार भी उक्त विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुये ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में कुछ पक्षकारों की मृत्यु भी हो गई थी। उनके विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेकर उनको सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही विधि अनुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो इस प्रकरण में पूर्ण नहीं किया गया।

अतः अधीनस्थ विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 में हम किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 बहाल रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष

(W.R.)

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री / टीए / 2010 / 34 / बाड़मेर

मथराराम उर्फ मिश्राराम पुत्र जवाराराम जाति माली निवासी विष्णु कॉलोनी बाड़मेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. देवाराम पुत्र जवाराराम जाति माली निवासी बलदेवनगर बाड़मेर।

.....रेस्पोण्डेण्ट्स

खण्डपीठ

श्री सी.आर. मीना, सदस्य

श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलांट की ओर से।

2. श्री अजयपाल ढिंढारिया, अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 10.06.2022

यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 32 / 2009 उनवान मथुराराम बनाम देवाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2440 / 290 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके स्थित बाड़मेर बाबत प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर, बाड़मेर ने दिनांक 29.06.2009 को अंतिम डिक्री पारित की जो प्राथमिक डिक्री के अनुसार एवं कब्जे एवं मौके के अनुसार पारित नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की जिसे पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2009 के द्वारा निरस्त कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होंने बहस में निवेदन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर, बाड़मेर ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट को बिना सुने अंतिम डिक्री पारित कर दी है जिसे निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी कथन किया है कि विभाजन प्रस्ताव एवं मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई वास्तविक कब्जे काश्त को अनदेखा करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जबकि अपीलांट का कब्जा एवं काश्त मौके पर अलग जगह पर है जिसे राजस्व अधिकारियों ने सही चिन्हित नहीं कर मात्र रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 के कहे अनुसार अंकित किये हैं जिससे विभाजन प्रस्ताव गलत एवं दूषित होने से विभाजन प्रस्ताव एवं आलोच्य निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अधिवक्ता महोदय ने यह भी निवेदन किया है कि तहसीलदार महोदय मौके पर नहीं गये तथा पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट/कुर्रेजात तैयार की गई जबकि प्राथमिक डिक्री में मौका कमिश्नर तहसीलदार बाड़मेर को नियुक्त किया गया है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय एवं डिक्री में यदि विद्वान तहसीलदार को मौका रिपोर्ट एवं कुर्रेजात हेतु निर्देशित किया गया है तो वह स्वयं को उपस्थित होकर तैयार करनी चाहिये अर्थात् पावर डेलिगेट नहीं किये जा सकते हैं उक्त कानूनी बिन्दु पर बिना गौर किये विद्वान सहायक कलक्टर, बाड़मेर ने अंतिम डिक्री पारित की जो गैर कानूनी है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में यह भी निवेदन किया है मौका फर्द एवं नक्शा तैयार किया गया है उस पर रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 के ही परिचित व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी है। अपीलांट की कोई सहमति या अंगूठा निशानी नहीं है। इसके बावजूद भी दोनों मातहत न्यायालयों ने बिना किसी आधार पर अपीलांट की सहमति मानकर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। जबकि आज भी मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त विद्यमान है एवं रेस्पोण्डेण्ट का कोई कब्जा एवं काश्त नहीं है क्येांकि रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 ने अपने हिस्से की 13 बिस्वा भूमि को दो व्यक्तियों को बेचान कर दी है साथ ही जहां पर अपीलांट का कब्जा काश्त है उस स्थान पर गलत रूप से नक्शे में एवं फर्द रिपोर्ट में रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 का दर्शाया गया है जो गैर कानूनी है इसलिये दोनों मातहत न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार कर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2009 एवं सहायक कलक्टर,

बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2009 निरस्त किया जावे एवं वास्तविक कब्जे काश्त अनुरूप विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर वास्तविक कब्जे एवं काश्त के अनुरूप विभाजन बंटवारा कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2007 पार्ट–1 पेज 125(एससी)व आरआरटी ।। 2008 पेज 1305 प्रस्तुत की।

अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट बहस करते हुए कथन किया कि पत्रावली पर शीघ्र सुनवाई करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.4.2009 की सूचना वादी अपीलांट के अधिवक्ता को थी और उनकी सहमति के आधार पर ही पत्रावली पर दिनांक 28.4.2009 को सुनवाई कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अंतिम डिक्री जारी की गई तथा मौके पर काबिज काश्त अनुसार ही तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव की सूचना देने के पश्चात् भी वादी अपीलांट मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिक्री जारी की जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यथावत रखते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादी मथरा एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी देवा का खसरा नंबर 360 रकबा 0.03 बीघा एवं खसरा नंबर 2440/290 रकबा 1.06 बीघा जमाबंदी संवत् 2062–2065 में बतौर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2009 को वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.05.2009 को मौका रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र दिनांक 15.06.2009 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर को प्रेषित की गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर रेस्पोण्डेण्ट/प्रतिवादी देवा पुत्र जवारा के नाम खसरा नंबर 360 रकबा 0–01–10 गैर मुमकिन एवं खसरा नंबर 240/290 रकबा 0–13–00 तथा अपीलांट/वादी मथरा पुत्र जवारा के नाम खसरा नंबर 360 रकबा 0–01–10 बिस्वा मुमकिन एवं खसरा नंबर 240/290 रकबा 0–13–00 बिस्वा का विभाजन स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में दर्शाये कब्जे अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा

दिनांक 29.06.2009 को अंतिम डिक्री जारी की गई।

विचारण न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2009 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 32/2009 उनवान मथराराम बनाम देवाराम प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां प्रस्तुत अपील मीमो के पैरा संख्या 12 में उल्लेख किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलकर्त्ता (मथराराम) के कब्जे की भूमि को गलत रूप से उत्तरदाता संख्या 1 (देवाराम) का कब्जा दर्शाया है जबकि उत्तरदाता 1 (देवाराम) ने अपनी हिस्से की भूमि को जरिये बेचान दिनांक 03.03.2009 को लक्ष्मी देवी के नाम विक्रय कर चुका है। लक्ष्मी देवी को बेचान कर देने से उत्तरदाता संख्या 1 (देवाराम) का कब्जा एवं काश्त मौके पर हो ही नहीं सकता है। राजस्व अधिकारियों ने जानबूझकर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उत्तरदाता संख्या 1 (देवाराम) का गलत कब्जा काश्त दर्शित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत अपील के अन्य पैरा में पटवारी बाड़मेर आगोर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर नहीं आकर घर बैठे ही रिपोर्ट तैयार की है। मौका फर्द में काट–छांट है। हरे रंग के दो ब्लॉक को काटकर फिर नया ब्लॉक बनाया गया है। काट–छांट पर किसी के लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते समय अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव से पूर्व मौका कमिश्नर शुल्क रूपये 300/– अपीलार्थी से प्राप्त नहीं किये हैं इससे भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव की सूचना अपीलार्थी को नहीं दी।

विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय दोनों की पत्रालियों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पोण्डेण्ट देवाराम द्वारा दिनांक 03–3–2009 को अपने हिस्से की भूमि का बेचान लक्ष्मी देवी को किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोण्डेण्ट देवाराम द्वारा लक्ष्मी देवी को खसरा नंबर 240 –290 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा में से 1/2 (आधा हिस्सा) यानि 13 बिस्वा जमीन का दिनांक 03.03.2009 को किये गये विक्रय का पंजीकृत बेचान दस्तावेज की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध थी इसके बावजूद भी अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.12.2009 में उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर अपना मत अभिव्यक्त नहीं किया है जो प्रश्नगत प्रकरण के न्यायोचित निर्णय हेतु आवश्यक था। दिनांक 3.3.2009 को

किये गये उक्त बेचान नामे के पश्चात् दिनांक 28.4.2009 को प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.5.2009 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव में भी रेस्पोण्डेण्ट देवाराम का कब्जा होना दर्शाया गया है जबकि रेस्पोण्डेण्ट देवाराम द्वारा खसरा नंबर 2440/290 में से अपने हिस्से की 1/2 सम्पूर्ण भूमि का बेचान लक्ष्मी देवी को दिनांक 03.03.2009 को कर दिया था। तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपनी भूमि का बेचान करने के बावजूद भी कब्जा दर्शाना प्रथमदृष्टया कब्जे की सत्यता के संदर्भ में संदेह उत्पन्न करता है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त बिन्दू पर भी अपना मत अभिव्यक्त नहीं किया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्व मण्डल नियम) 18 से 21 की पालना करना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। विभाजन प्रस्ताव में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि के विक्रय के पश्चात् मौका रिपोर्ट में क्रेता लक्ष्मी देवी का उल्लेख नहीं है। इससे यह परिलक्षित होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। आरबीजे 2017 पेज 299 में लार्जर बेंच द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक माना है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2009 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर जैसलमेर (मुख्यालय) जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2009 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी, प्रतिवादी एवं क्रेता की सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

पत्रावली तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य

(सी.आर. मीना)
सदस्य

(W.R.)

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./3570/2006/धौलपुर

1. मु. विमलादेवी बेवा गंगासिंह (नाम तर्क) **......अपीलांट्स**

बनाम

1. पोहपसिंह पुत्र तुरसनपाल मृतक जरिये वारिसान–
   1/1. राजवीरसिंह पुत्र पोहपसिंह
   1/2. श्यामवीरसिंह पुत्र पोहपसिंह
   1/3. बृजेश कुमार पुत्र पोहपसिंह
   1/4. श्री कृष्ण पुत्र पोहपसिंह
   1/5. कमल पुत्री पोहपसिंह
   1/6. गुड्डी पुत्री पोहपसिंह
   1/7. कानसिंह पुत्र पोहपसिंह मृतक जरिये वारिसान
      1/7/1. रणीया बेग पत्नी कानसिंह
      1/7/2. अनूप पुत्र कानसिंह
      1/7/3. श्याम पुत्र कानसिंह
      1/7/4. विश्वनाथ पुत्र कानसिंह
      1/7/5. प्रीति पुत्री कानसिंह
      समस्त जाति ठाकुर निवासी बरेठा उपतहसील मनियां तहसील व जिला धौलपुर।

.......रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित

श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट

श्री दूनीचन्द डिढारिया, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः **1.11.2022**

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प

धौलपुर द्वारा अपील संख्या 76/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो. सं.1 व उसकी माता रामश्री ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट्स व राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज की एवं उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो. 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 द्वारा स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का बहस में कथन है कि वादीगण/रेस्पो.सं. 1 का वाद भ्रमात्मक था। वादीगण/रेस्पो.सं.1 अपने वाद को साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे थे। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वाद व साक्ष्य को समझे बिना विचारण न्यायालय के स्वविवेकीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकारकरता का दुरूपयोग किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वादीगण के पूर्व पुरूष तुरसनपाल द्वारा मृतक सूरजभान व गयाराम से विवादित भूमि साबिक आराजी खसरा नंबर 1280/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को संवत् 2017 में शिकमी काश्त पर लिया था, जो असत्य है। प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रदर्श–पी में साबिक आराजी खसरा नंबर 1280/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सूरजभान व गयाराम की खुदकाश्त में अंकित है तथा इसी खसरा के कालम संख्या 41 में धारा 13 के तहत खातेदार अंकित करने का नोट लगा हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2019–23 प्रदर्श–पी 3 एवं जमाबन्दी संवत् 2033 के अनुसार भी सूरजभान व गयाराम बतौर खातेदार के रूप में अंकित है तथा तुरसनपाल संवत् 2017 में शिकमी के रूप में अंकित है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) (एए) के अनुसार वादीगण को

31–12–69 को अर्थात संवत् 2026 में शिकमी काश्तकार होना आवश्यक था व वादीगण द्वारा संवत् 2026 का कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्व पुरूष को धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन भी संवत् 2019 में आ चुका था और वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के कथनों में भी विरोधाभास होने के कारण व साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार शिकमी का अनुबन्ध हमेशा–हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता के आधार पर वादीगण का वाद न तो संधारण योग्य था तथा ना ही वाद कारण उत्पन्न हुआ था। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड व विधिक प्रावधानों के अनुसार सही रूप से निर्णित की थी लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी नंबर 1 को निर्णित करते समय यह अंकित कर कि वादीगण/अपीलांट्स एवं गवाहान से भी विवादित आराजी काश्त पर लेना जाहिर होता है, जाहिर होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) (एए) के अनुसार दिनांक 31–12–69 यानि संवत् 2026 के राजस्व रेकार्ड में तुरसनपाल के शिकमी काश्तकार दर्ज नहीं होते हुए दर्ज होना मानकर व वादीगण/रेस्पो0 द्वारा काबिज काश्त साबित नहीं किये जाने के बावजूद कयास के आधार पर कब्जा काश्त साबित मानकर तनकी नंबर 1 निर्णित करने में त्रुटि की है। तनकी नंबर 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण तनकी नंबर 2 को सिद्ध नहीं कर पाये। साबिक आराजी को संवत् 2017 से मृतक तुरसनपाल द्वारा एवं उसके देहान्त के बाद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करते रहने का कहा गया है तथा इस तनकी के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू–2 व पी.डब्ल्यू–3 के बयान करवाये गये। उक्त वादीगण के दोनों ही गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। पी.डब्लू–2 ने अपने बयानों में कथन किया है कि तुरसनपाल ने जमीन मोल खरीदी थी वहीं पी.डब्लू–3 ने अपने बयानों में कथन किया है कि तुसरनपाल ने गयाराम से जमीन ली थी, बेची होगी या गुपचुप दे दी होगी पता नहीं। इस प्रकार वादी/रेस्पो.सं. 1 अपने प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को साबित नहीं कर पाया। इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के कयास के आधार पर वादी/रेस्पो.सं. 1 का संवत् 2017 से कब्जा बदस्तूर मानकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर रेस्पो.सं. 1 को खातेदारी अधिकार

दिये गये है जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। वादी/रेस्पो. का वाद साबित नहीं होने से वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 में यह स्पष्ट निर्णित किया था कि वादी विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 3 पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री तनकी नंबर 3 पर अधूरा है व उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। तनकी संख्या 4 पर विचारण न्यायालय ने विस्तृत निर्णय पारित किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 4 पर कोई विवेचन नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण के वाद के कथन में विभिन्नता होने के कारण वाद काबिल डिक्री नहीं था। वादीगण/रेस्पो0 ने वाद में कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया तथा ना ही अपना कब्जा काश्त राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य से लगातार होना ही साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद दायरी के समय वादीगण का कब्जा नहीं होने से कब्जे रहित दादरसी के वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग्स् व उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन व मूल्यांकन किये बिना आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–4–2006 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–3–2003 की पुष्टि की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2019 RRD 449, 2017 (2) RRT 1139, 2018 (2) RRT 948, 2011 RBJ 387, 2015 RBJ 238 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में कथन किया कि रेस्पो. संवत् 2026 में शिकमी काश्तकार थे। इसलिए कानूनन धारा 19 (1)(एए) के तहत खातेदार हो चुके हैं। रेस्पो. का लम्बे समय कब्जा व इन्द्राज होने के कारण कानूनन प्रतिकूल कब्जे के

आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। किन्तु विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना वादी/रेस्पो. का वाद खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय था एवं जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया।

7. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा वादी/रेस्पो. का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो.सं. 1 पोहप सिंह द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 द्वारा रेस्पो.सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए वादी/रेस्पो. का दावा डिक्री करते हुए वादी/रेस्पो. को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं अपीलांट्स को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो./वादी का कब्जा काश्त संवत् 2017 से बदस्तूर जारी होना मानते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देय होना माना एवं दावा दायरी के समय रेस्पो./वादी का कब्जा काश्त होने से दावा पोषणीय होना माना। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पो./वादी को खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। साथ ही वादी/रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। वादी/रेस्पो. का वाद साबित नहीं होने से वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकियात कायम की गई उनमें मुख्य रूप से तनकी संख्या 1 इस आशय की थी कि– ''आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद में यह कथन किया कि उसके पूर्व पुरूष तुरसनपाल द्वारा सूरजभान व गयाराम से विवादित साबिक आराजी को संवत् 2017 में शिकमी काश्त पर लिया था ऐसे में तुरसनपाल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात को विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया कि–''नकल खसरा सं0 2016–19 प्रदर्श–पी 1 में साबिक ख0नं0 1280/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सूरजभान व ग्याराम का खुद काश्त में अंकित है तथा इसी खसरा के कालम सं0 41 में दफा 13 के तहत खातेदार अंकित करने का नोट लगा हुआ है जमाबन्दी सं0 2019–23 प्रदर्श–पी–3 एवं जमाबन्दी सं0 2023 प्रदर्श–पी–4 के अनुसार सूरजभान व ग्याराम बतौर खातेदार के रूप में अंकित है तथा तुरशनपाल सं0 2017 शिकमी के रूप में अंकित है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी एवं खसरा के अनुसार वादी के पूर्व पुरूष सं0 2019 से 2023 तक के रिकार्ड में सं0 2017 का शिकमी अंकित है किन्तु राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के धारा 19 (1)एए के अनुसार उसको दिनांक 31/12/69 को यानि सं0 2026 में शिकमी काश्तकार होना आवश्यक था वादी द्वारा सं0 2026 का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। इसके अलावा प्रति0 के पूर्व पुरुष को धारा 13 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे जिसका अंकन सं0 2019 में आ चुका है और वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी0डब्लू–1 में तथा स्वयं वादी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित आराजी हमेशा हमेशा के लिए काश्त पर ली गई थी किन्तु गवाह पी0डब्लू–2 का कथन है कि आराजी मौल खरीदी थी इस प्रकार स्वयं वादी के कथनो एवं उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास है इसके अलावा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार शिकमी का अनुबन्ध हमेशा हमेशा के लिये नहीं किया जा सकता अतः वादी विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होते है अतः यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।'' विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 पर पारित उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के

परिपेक्ष्य में पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

9. इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 2 इस आशय की थी कि –''आया वादी विकल्प में बाई एडवर्स पजेशन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को निर्णित करते हुए यह अंकित किया कि– ''वादी ने अपने कथनों में विवादित साबिक नम्बर को सं0 2017 से मृतक तुरसनपाल द्वारा एवं उसके देहान्त के बाद वादी द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करते चले आना कहा गया है तथा अपने कथनों में गवाह पी0डब्ल्यू–2 व पी0डब्ल्यू–3 कराये गये है उक्त दोनों ही गवाहों के बयानों में विरोधाभास है पी0डब्लू–2 कहता है कि तुरसनपाल कहता है कि तुरसनपाल ने जमीन मौल खरीदी थी वही पी0डब्लू–3 का कथन है कि तुरसनपाल ने गयाराम से जमीन ली थी बेची होगी गुपचुप में दे दी हो तो पता नहीं इस प्रकार वादी के दोनों गवाहों द्वारा वादी के प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने कथनों में साबिक ख0नं0 1280/2 का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 2143 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा बताया गया है किन्तु प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी 6 के अनुसार गत नम्बर 1280 मि0 जिससे हाल नम्बर 2143 बना है उसका साबिक रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल वादी के कथनो को स्पष्ट नहीं करता अतः वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होते है। यह तनकी भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।'' विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पर पारित उक्त अभिमत भी न्यायोचित है।

10. विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर वादी को विवादित आराजी में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होने से वादी स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए तनकी संख्या 3 को भी वादी के विरूद्ध तय किया है, जो उचित है।

11. तनकी संख्या 4 को निर्णित करते हुए विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया कि–''प्रकरण में प्रस्तुत नकल खसरा सं0 2016–17 प्रदर्स पी–1 के अनुसार सूरभान व ग्याराम को धारा 13 के तहत खातेदार दर्ज किया गया है तथा जमाबन्दी सं0 2019 प्रदर्श 3 में वह खातेदार के रूप में अंकित है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के

आधार पर यह सिद्ध होता है कि सूरभान व ग्याराम को कानून के अनुसार खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी अतः यह तनकी बहक प्रति0 तय की जाती है।''

12. तनकी सं. 5 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया कि–''घोषणात्मक वाद के लिये यह आवश्यक है कि दावा दायरी के वक्त वादी का विवादित आराजी पर कब्जा हो वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वक्त दायरी वाद वादी का विवादित आराजी पर कब्जा था अतः कब्जे के अभाव में दावा वादी पोषनीय नहीं रहता है।''

13. इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने पर वादी के वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा खारिज किया है, जो पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में न्यायसंगत है।

14. हमने अपीलांट पक्ष की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन किया, जो निम्नानुसार है–

2019 RRD 449 में मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Rajasthan Tenancy Act, Section 224- Trial Court dismissed suit for declaration- First appellate Court dismissed appeal against this order- Second appeal before Board- Held- No khatedari rights can claim by a person on the basis of adverse possession- Appellants are rank trespassers- Second appeal without force."

2017 (2) RRT 1139 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Code of Civil Procedure, 1908- Order 39 Rule 1 & 2- Temporary injunction- Application dismissed-Auction of plots-Petitioners are encroachers-Adverse possession-Land allocated to Municipal Council in the year 1989- Land declared to be abadi land long back-Petitioners also lost the revenue suit- No locus standi to challenge the light, title & possession of the municipal council- No provision in Tenancy Act for conferment of khatedari rights on the basis of adverse possession- Held, petition dismissed."

2011 RBJ 387 में मण्डल की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"Adverse possession - On the basis of adverse possession no khatedari rights accrues to any person on agricultural land."

2015 RBJ 238 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Code of Civil Procedure, 1908- Order 41 Rule 31 and Section 96- It is the duty of the first appellate Court to deal with all the issues and evidence led by the parties. In this case, first appellate Court did not deal all the issue and evidence of the parties. Whereas, it is mandatory that the first appellate court should deal all the issue and evidence led by the parties. Being the First Appellate Court, It was, therefore, the duty of the High Court to decide the first appeal keeping in view the scope and powers conferred on it under Section 96 read with Order XLI Rule 31 of the Code. It was unfortunately not done, thereby, causing prejudice to appellants whose valuable right to prosecute the first appeal on facts and law was adversely affected which. In turn, deprived them of a hearing in the appeal in accordance with law."

15. उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि रेस्पो./वादी द्वारा वाद में विरोधाभासी कथन किये गये। द्वितीय धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अवयस्क, विधवा की आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। दावा दायरी के दिन विमलादेवी वादग्रस्त आराजी की खातेदार दर्ज है ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तृतीय प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। साथ ही वादी/रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित कर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पो. के वाद को खारिज किया है, जो उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत है एवं जिससे हम पूर्णतया सहमत हैं। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली

पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति का विधिवत रूप से विवेचन व मूल्याकंन किये बिना, कयास के आधार पर वादी/रेस्पो. का संवत् 2017 से कब्जा बदस्तूर मानकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी/रेस्पो. का वाद डिक्री करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 निरस्त किये जाते हैं तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(W.R.)

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या–नजरसानी/अपील/डि/टी.ए./5089/2022/जैसलमेर

मेवे खां .....**अपीलार्थीगण**

बनाम

सरकार व अन्य .....**प्रत्यर्थीगण**

खण्डपीठ

श्री सी.आर. मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 15.09.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह नजरसानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत अपील संख्या 1937/2019 में खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–8–2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र को विचारार्थ ग्रहण करने के बिन्दू पर सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में नजरसानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश में रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि रही है, जिससे पारित निर्णय पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अपील जो अत्यधिक विलंब अर्थात् 4 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई, जिसके विलंब का कोई समुचित कारण न तो प्रस्तुत किया ना ही अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के महत्वपूर्ण बिन्दु को अपील निर्णित करने से पूर्व निर्णित किया जबकि अपीलीय न्यायालय का दायित्व था कि उनके समक्ष अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपील को निर्णित करने से पूर्व नियमानुसार सर्वप्रथम निर्णित करना चाहिये था तत्पश्चात् ही अपील पर नियमानुसार सुनवाई की जा

सकती थी। चूंकि मियाद बिन्दु को निर्णित किए बिना कानूनन अपील कॉम्पीटेन्ट नहीं थी। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आर0बी0जे0 23007 पेज 111, आर0आर0डी0 2009 पेज 166, आर0बी0जे0 1999 पेज 3, आर0बी0जे0 2010 पेज 52, आर0आर0टी0 2006 पेज 1092 हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 2008 पेज 526 एवं आर0बी0जे0 2012 पेज 113 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टांतों व मियाद अधिनियम में निहित प्रावधानों को अनदेखा कर नजरसानीधीन निर्णय पारित किया है जो कानूनी रूप से रिव्यू योग्य होने से रिव्यू कर पुनः अपील को नंबर पर लिये जाने के आदेश पारित कर मियाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश में रिकार्ड पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि रही है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को विचारार्थ ग्रहण किया जाकर मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 को निरस्त किया जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2019 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर को प्रतिप्रेषित कर मियाद के बिन्दु को सर्वप्रथम निर्णित करने के निर्देश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय मण्डल द्वारा अपील डिक्री/टी0ए0/2021/4719/जैसलमेर उनवान खेतपालसिंह व अन्य बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022, अपील/टी0ए0/2021/1992/जैसलमेर उनवान अजयपाल बनाम राज0 सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 एवं अपील/टी0ए0/2021/1992/जैसलमेर उनवान सुगनसिंह बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2022 के निर्णय की प्रतियां पेश की ।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कानून के प्रावधानों के तहत यह निर्विवाद स्थिति है कि नजरसानी प्रार्थनापत्र मात्र निम्न आधारों पर ही स्वीकार किया जा सकता है –

1. निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी जो कि पूर्व में सम्यक् तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, या

2. ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या
3. अन्य किसी पर्याप्त कारण के आधार पर

हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये है, उनके बाबत इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो हो सकते हैं किन्तु वे नजरसानी स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते है। नजरसानी की आड़ में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय खण्डपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन व पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही गुणावगुण पर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना संभव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी पी सी में प्रावधान दिये गये है। ए आई आर 1995 एस सी पेज 455, 2005 (1) आर आर टी 545 एस सी सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक श्रृंखला है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि नजरसानी का प्रावधान अपील का स्थान नहीं ले सकता है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर आर डी 2010 पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> *"(a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and it cannot be utilized as an instrument for re-writing the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.*
>
> *(b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same court. The scope permits only to correct the mistakes which are apparent on the face of the record. Hon'ble Supreme Court in Smt. Meera Bhanja*

Vs. Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455 clearly held that the error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The courts are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record. In Ajit Kumar Rath Vs. Orissa State AIR 2000 SC 85, the Hon'ble Apex Court has held that the power is not absolute and it is subject to restrictions indicated in Order 47 CPC. A review cannot be claimed as a remedy for a fresh hearing or for correction of an erroneous view taken earlier.

(c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana Vs. Mohinder Singh 2003 (I) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here:- "Civil Procedure Code O.47 Rule 1- Scope- Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of- High Court in hearing review as if it was rehearing whole petition overstepped its limits- Order of High Court set aside and original order restored."

2005(1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आरबीजे (12) पेज 290 में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and can not be allowed to be an appeal in disguise."

यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रेल, 2004 में भी प्रतिपादित किया गया है, जो आरआरटी 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है।

प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने पारित आदेश में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं बतला पाये है जिससे इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर स्वीकार किया जा सकें। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी नजरसानी में जो बिन्दु उठाये गये है उन पर खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 के बिन्दु संख्या 8 में विस्तृत एवं सकारण विवेचन किया जा चुका है। इसलिये उसी बिन्दु पर पुनः नजरसानी के माध्यम से विचार किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। हमारी सुविचारित राय में प्रकरण की तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः पारित

आदेश में नजरसानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति अपील पत्रावली में संलग्न की जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीणा)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर

(W.R.)

अपील डिक्री/टी.ए./11613/2008/चित्तौड़गढ़

1. पुरुषोत्तम लाल पुत्र गोविन्द लाल पुरोहित

......वादीगण/अपीलांट्स

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र भगवाना जाति अहीर

.....प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स

खण्ड-पीठ

श्री खजान सिंह, सदस्य

श्री एल. आर. गुगरवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अजीत लोढा अभिभाषक अपीलांट्स

श्री अशोक नाथ अभिभाषक रेस्पोटेंड्स

निर्णय

दिनांक : 30.06.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण/अपीलांट्स ने सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88-188 पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सिसोदिया का सांवता में वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 8 बीघा, 237 रकबा 9 बिस्वा, 226/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा होकर नवीन भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 365 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 366 रकबा 3.06 हैक्टेयर, 359/597 रकबा 0.65 हैक्टेयर बने हैं। नवीन भू प्रबंध में खसरा नम्बर 365 में रकबा 0.0164 हैक्टेयर कम दर्ज किया है और हाल आराजी नम्बर 366 के गत खसरा नंबर 237,236/1, 236/2 के मुकाबले में 0.14 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की है तथा खसरा नम्बर 359/597 में गत रकबे के मुकाबले में 13 ऐयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है, यह रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 366 में जोड़ा जाना चाहिए था। यह कि प्रतिवादी ने वादीगण की हाल सेटलमेंट आराजी खसरा नम्बर 359/597 एवं 366 के दक्षिणी हिस्से में करीब 0.9 एंयर भूमि अपने खाते में दर्ज करा ली है। अत:

प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 367 में से 0.9 रकबा कम किया जाकर वादीगण के खातेदारी में अंकित कराया जावे और प्रतिवादी का कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जेयाबी की डिक्री प्रदान की जावे।

3- परीक्षण न्यायालय में दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण ने प्रतिवाद पत्र पेश कर वाद पत्र के तथ्यों से इंकार किया और कथन किया कि सैटलमेंट द्वारा सही इन्द्राज किया गया है। वादीगण ने गलत दावा पेश किया है। अन्त में वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। इसके बाद दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में कुल 7 तनकीयात कायम की गयी। तदोपरान्त परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 2, 3, 4 व 5 वादीगण के विरुद्ध तथा तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित करते हुए वादीगण/अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश होने पर उन्होंने अपील को अपने निर्णय दिनांक 06.04.2004 के द्वारा खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध वादीगण/अपीलांट्स ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में पेश की गयी। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2001 द्वारा वादीगण/अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुन: विद्वान परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित कर दिया कि दोनों पक्षों की विवादग्रस्त आराजियात का मौका निरीक्षण कर, नाप करवा कर रिपोर्ट प्राप्त करें एवं पुराने व नये नक्शों के आधार पर पुन: विधिवत निर्णय पारित करें।

4- प्रकरण राजस्व मण्डल द्वारा प्रति प्रेषित किये जाने के बाद पुन: प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर, बाद सुनवाई वादीगण/अपीलांट्स का वाद दिनांक 6-04-2007 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण/अपीलांट्स ने पुन: विद्वान अपीलीय न्यायालय के यहाँ अपील पेश होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-8-2008 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स की ओर से हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

6- अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मीमो में वर्णित वाक्यात को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री स्वयं विरोधाभासी हैं एक तरफ तो तनकी संख्या 1 को वादीगण/अपीलांट के पक्ष में पारित कर रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट अंकित कर रहे हैं कि रकबा 0.02 हैक्टेयर कम दर्ज हुआ है एवं तनकी संख्या 1 में यह अंकित किया है कि

0.0164 है रकबा कम दर्ज हुआ है, परन्तु केवल यह मानकर कि रकबे का अन्तर नहीं के बराबर है और वाद को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है और विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने इस निर्णय को यथावत रखकर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है।

7- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने इस महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची 3 में बाद सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को है तथा जिला कलक्टर सक्षम न्यायालय को प्रकरण धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थानान्तरित कर सकते हैं तथा धारा 217 आरटीएक्ट में सहायक कलक्टर ही प्रकरण की सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार उक्त वाद में सुनवाई का अधिकार एक मात्र सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर को ही था जो वादीगण के वाद को निर्णित कर सकता था।

8- उनका आगे यह भी कथन है कि विद्वान जिला कलक्टर ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर वादीगण के वाद को खारिज किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर, वाद वादीगण/अपीलांट्स विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट्स की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में 2019 (1) आरआरटी 436 (एलबी), 2014 (1) आरआरटी 307 (डीबी), 2003 (1) आरआरटी 1395, सैक्शन-5 (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, सैक्शन-5 (7) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सैक्शन-5 (25) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सैक्शन-5 (40) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को उद्धरित किया, जिनका अवलोकन किया गया।

9- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो. की बहस रही है कि तनकी संख्या 2, 3, 4 के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि वादी की भूमि प्रतिवादी की भूमि में शामिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी के नये व पुराने खसरा नम्बरों की तुलना करने पर कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा के नई नाप में रकबा 3.80 हैक्टर बनता है। हाल सैटलमेंट ने वादी के नाम 3.78 हैक्टर रकबा दर्ज किया है। इस प्रकार वादी की खातेदारी में मात्र 0.02 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है लेकिन वादीगण यह बताने में सफल नहीं हुये हैं कि उक्त 0.02 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है लेकिन वादीगण यह बताने में सफल नहीं हुये हैं कि उक्त 0.02 हैक्टर रकबा किसके खाते में दर्ज हुआ है, क्योंकि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स की कुल भूमि 0.09 हैक्टेयर कम दर्ज की गई है। अपीलांट्स की ओर से यह कथन करने पर कि जिला कलक्टर को आर.डी. एक्ट, 1955 के तहत वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी वाद का निर्णय पारित करने में अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि की है,

रेस्पोडेंड्स के अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 के अनुसार जिला कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित कर सकते हैं अथवा स्वयं सुनवाई कर सकते हैं। जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर के न्यायालय से प्रत्याहरित करके स्वयं के न्यायालय में सुनवाई की है जो उनकी अधिकारिता में है। इसलिए अधिवक्ता अपीलांट की यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि माननीय राजस्थान मण्डल के निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर की ओर से तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की है, जिससे अपीलांट की ओर से उठाई गयी यह आपत्ति की राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं हुई है, मानने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि परीक्षण न्यायालय में कुल 7 तनकीयात कायम की गयी है, प्रत्येक तनकी पर जिला कलक्टर ने गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है, जिसकी पुष्टि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने की है। अन्त में निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं। अत: समवर्ती निर्णयों में हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपने कथनों की पुष्टि में 1989 आरआरडी-162, 2003 आरआरटी-263, 2003 आरआरडी-1395, 2003 आरआरडी-1395, 2010 आरआरडी-462, 2019 आरआरटी-436 (एलबी) न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन किया गया।

10- अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया, प्रस्तुत दृष्टान्तों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में 1 लगायत 7 तनकीयात कायम कर, विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज किया गया है।

11 (i)- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का दौराने बहस मुख्य कथन यह रहा है कि हस्तगत प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ में स्थानान्तरित होने पर जिला कलक्टर द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची 3 में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को है तथा जिला कलक्टर सक्षम न्यायालय को प्रकरण धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थानान्तरित कर सकते हैं तथा धारा 217 आरटीएक्ट में सहायक कलक्टर ही प्रकरण की सुनवाई कर सकता है। अर्थात् जिला कलक्टर धारा 88-188 आर.टी.एक्ट., 1955 के तहत निर्णय पारित करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है।

11 (ii)- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की दूसरी आपत्ति यह रही है कि न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय पारित करते समय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-12-2001 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गयी है।

11 (iii)- उनकी तीसरी आपत्ति यह रही है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करते समय सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों को नजर अन्दाज किया है और धारा 235 आर.टी.एक्ट का गलत रूप से विवेचन किया है और प्रकरण में रिजण्ड निर्णय पारित नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक एवं लिखिक दस्तावेजी साक्ष्यों का भी विवेचन नहीं किया है और बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये निर्णय पारित किया है।

12- सर्वप्रथम हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विवेचन करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 217, 218 एवं 235 का अवलोकन किया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

धारा-217- (1) विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की साधारण शक्तियाँ:- इस अधिनियम के अधीन वादों और आवेदनों का निपटारा करने के लिए सक्षम राजस्व न्यायालय की विभिन्न श्रेणियाँ होंगी जो तृतीय अनुसूची के सातवें स्तंभ में विनिर्दिष्ट की गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:-

1- तहसीलदार, 2-सहायक कलक्टर, 3-उपखण्ड अधिकारी, 4-अपीलीय न्यायालय

धारा 218- राजस्व न्यायालयों की अन्तर्निहित शक्तियाँ-पूर्ववर्ती धारा में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त:-

(i) राजस्व अपील प्राधिकारी को कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी,

(ii) कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी,

(iii) उपखण्ड अधिकारी को, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी और

(iv) सहायक कलक्टर को, तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

धारा-235- Transfer and withdrawal of cases by Collector or Sub-Divisional Officer- A Collector or a Sub-Divisional Officer may withdraw any case of class of cases from any revenue court sub-ordinate to him and may try such case or class of cases himself or transfer the same to any subordinate revenue court competent to deal with it.

13- धारा 217 एवं अनुसूची तृतीय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धारा 88, 188 आरटीएक्ट के तहत वादों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक एवं उपखण्ड अधिकारी में निहित हैं। साथ ही धारा 218 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी में निहित समस्त शक्तियाँ जिला कलक्टर को प्राप्त हैं और इन राजस्व अधिकारियों की समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर समस्त मामलों का निपटारा कर सकता है।

14- उक्त प्रावधानानुसार जिला कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ परीक्षण न्यायालयों से प्रकरण स्थानान्तरित करके स्वयं सुनवाई कर सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर ने सहायक कलक्टर के न्यायालय से स्वयं के न्यायालय में प्रकरण को हस्तान्तरित करके स्वयं ने सुनवाई की है जो उनके क्षेत्राधिकार में है।

15- अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2003 आरआरडी-263, 1395, 2003 आरआरडी-315 एवं 2010 आरआरडी 462 के प्रकरणों में जिला कलक्टर ने वाद को सुनवाई हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर को हस्तान्तरित किया, जिसे इन विधिक दृष्टान्तों में अमान्य किया है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर ने प्रकरण को स्वयं के न्यायालय में धारा 235 आरटीएक्ट, 1955 के प्रावधानों के तहत अंतरित करके स्वयं ने सुनवाई की है। कानूनन जिला कलक्टर स्वयं वाद का परीक्षण कर सकता है अथवा वाद को सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी को परीक्षण हेतु अंतरित कर सकता है। अत: उक्त प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

16- विद्वान अधिवक्ता अपीलाट्स की ओर से प्रस्तुत एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी-436 (वृहद-पीठ) का भी हमने अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में माननीय वृहद पीठ के समक्ष निम्न 5 कानूनी प्रश्न, उत्तर हेतु प्रस्तुत किये गये थे:-

1. What are the rights of inheritance gift, transfer of a khadamadar tenant in the kanoon Mal Mewar?
2. What are the rights of Temple (Muafi) lands with khadamdar under Rajasthan Tenancy Act, 1955?
3. Does the gift by a khadamdar tenant in a Muafi land accrue any rights on the person receiving the gift?
4. Is there any inconsistency between transfer/gift rights of khadamdar tenants and section 46 Rajasthan Tenancy Act?
5. Which of the 2 citation 1985 RRD 298 or 2013 RRD 756 will be applicable to khadamdar tenants inter alia to the Meera Mandir Samiti/Shri Murlidar Ji Sthan Deh?

माननीय वृहद–पीठ ने इन कानूनी प्रश्नों का परीक्षण एवं विवेचन करते हुए निम्नानुसार उत्तर दिये हैं:–

(1) The khadamdars are of two kinds viz. the khadamdars who hold the land in their individual capacity and the khadamdars who manage the affairs of the lands of the deity. The khadamdars holding the lands in their individual capacity have full rights of inheritance and alienation of the same whereas the khadamdars of the Hindu idol (deity) do not possess such rights and privileges.

(2) The Legal position in this regard is no mored res integra, as the same has already been settled by a Larger Bench of the Hon'ble Rajasthan High Court in Tara V/s. State of Rajasthan (supra). In view of the said settled position, we hold that a khadamdar would become khatedar tenant under section 15 of the Act of 1955 only when the disputed land were under his tenancy prior to the commencement of the Act. A khadamdar of deity would not acquire such a status.

(3) A Khadamdar could alienate the land by way of gift only if he was holding the same in his individual capacity. The land belonging to the Muafi of the idol could not be alienated by its khadamdar because he has no such powers. In such circumstances, no rights would accrue on the person receiving the gift.

(4) A khadamdar tenant holding land in individual capacity may alienate the land as per legal provisions however, khadamdar of the muafi land of the Murti Mandir/idol has no such rights in view of the provisions contained in Section 46 Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(5) In the instant case, the law laid down in 2013 RRD 756 State of Rajasthan Vs. Bheru Das & Ors. is applicable.

17. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में वृहद पीठ के समक्ष जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में न तो कोई प्रश्न मौजूद था और न ही विद्वान वृहद पीठ ने इस प्रश्न को निर्णीत किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण के तथ्य भी मौजूदा प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अत: विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की यह दलील कि जिला कलेक्टर को प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

18. अधिवक्ता अपीलांट्स की दूसरी आपत्ति यह है कि परीक्षण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-12-2001 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है और पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षण द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि अनुकूल नहीं है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलेक्टर ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्देशों की पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी है। उक्त मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक पांडोली द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार को प्रेषित की है और तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट को जिला कलक्टर को प्रेषित किया है। इससे स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-12-2001 में दिये गये निर्देशों की पूर्णत: पालना की गयी है क्योंकि भू अभिलेख निरीक्षक भी सक्षम राजस्व अधिकारी की श्रेणी में ही आता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उठाया गया उक्त ऐतराज भी न्यायोचित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकूल हैं।

19- जहाँ तक विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन अपील का उनके द्वारा निर्णय करते समय मौजूदा प्रकरण में सीपीसी के आदेश 43 नियम 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित न करने का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित तनकीवार निर्णय को विधिसम्मत मानते हुए उसमें सहमति दी है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ऐसी स्थिति में समवर्ती निष्कर्ष में सीपीसी के इस विधिक बिन्दु की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है।

20- अधीनस्थ परीक्षण न्याायलय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भाँति स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट्स की कुल 0-02 हैक्टर भूमि कम हुई है, लेकिन वे प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित कराने में पूर्णत: असफल रहे हैं कि उक्त कम की गई 0-02 हेक्टर भूमि किस खातेदार की खातेदारी में शामिल की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स के गत खसरा नम्बर 227, 231, 232 कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा (2.20 हैक्टेयर) था, जिसके हाल साबिक नम्बर 367 रकबा 2.09 हैक्टेयर बनाये गये हैं। इस प्रकार हाल रकबे में 0.09 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गयी है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में कुल 0-9 हेक्टर भूमि कम दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण अपीलांट्स यह साबित नहीं करवा सके कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में उनकी 0-02 हेक्टर भूमि को

शामिल किया गया है, विद्वान परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकूल हैं।

21- जहाँ तक प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उनकी भूमि में से कम की गई 0.02 हैक्टेयर भूमि किस खातेदार की भूमि में शामिल की गई है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में 0.09 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की गयी है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम की गयी हैं, उक्त सभी तनकियों पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुए वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया है, जिसके विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6-04-2004 का समर्थन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27-8-2008 द्वारा अपील अपीलांट्स खारिज कर, जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निर्णय पारित किया गया है। चूँकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती व विधि सम्मत होने से हम इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(एल.आर. गुगरवाल)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य

(W.R.)

न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर
अपील डिक्री/टी.ए./2007/7980/भरतपुर

1. गोविन्दा (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-
   1/1- हेमन्त कुमार पुत्र स्व. श्री भोलाराम पौत्र मृतक गोविन्दा
   1/2- ऋषभ पुत्र स्व. श्री भोलाराम पौत्र मृतक गोविन्दा
   1/3- श्रीमती सविता धर्म पत्नि स्व. श्री भोलाराम पुत्र वधू मृतक गोविन्दा उपरोक्त सभी जाति धीमर निवासी रारेह तहसील कुम्हेर जिला-भरतपुर

......अपीलांट्स

बनाम

1. मूली (मृतक) जरिये विधिक वारिसान :-
   1/1- श्रीमती बिरमा देवी पत्नी मृतक मूली
   1/2- भूदा पुत्र मृतक मूली
   1/3- सोना पुत्र मृतक मूली
   1/4- बलिया पुत्र मृतक मूली
   1/5- पूरण (मृतक पुत्र मूली जरिये विधिक वारिसान :-
      1/5/1- देवेन्द्र पुत्र मृतक पूरण
      1/5/2- रोहताश पुत्र मृतक पूरण

.....प्रतिवादीगण

खण्ड-पीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित :

श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स

श्री थानेश्वर शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 21-7-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे निर्णय दिनांक 31–3–2004 से डिक्री कर दिया जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री दिनांक 31–3–2004 को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रारह तहसील कुम्हेर खसरा नम्बर–2805 रकबा 0.22 व 2809/3647 रकबा 0.16 जिसके साबिक खसरा नम्बर 2350 रकबा 13 बिस्वा व 2338 का रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट्स/वादीगण के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है जो कि नत्थी के वारिसान हैं तथा हाल खसरा नंबर–2805 रकबा 0.22 हैक्टर व 2809/3647 पर बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण व निस्फ पर वादीगण अंकित कर दिया, जो गलत व खिलाफ मौका है। अपीलान्ट्स के पिता नत्थी का 1/2 व रेस्पोडेन्ट्स का 1/2 हिस्सा यानि की दोनों का बहिस्सा बराबर–बराबर अंकन दर्ज है जिसका राजस्व अभियान में आपसी सहमति से विभाजन करा लिया था और विभाजन के अनुसार नामान्तरकरण संख्या–1119, 1120 व 1161 तस्दीक किये गये जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना चाहिये था। जिसे त्रूटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट्स के स्थान पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में दर्ज कर दिया, जिसे दुरुस्त किये जाने का वाद प्रस्तुत किया। जवाबदावा प्रस्तुत करने पर तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर सुनवाई कर विधिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर ने विधिक निर्णय व डिक्री पारित किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड दस्तावेजात साक्ष्य सबूत के विपरीत जाकर त्रूटिपूर्ण रूप से पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत जाकर तनकीवार पारित नहीं कर विधिक भूल की है, जिसके कारण उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर ने तनकियों पर विधिक रूप से

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य तथा तनकीवार बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित किया था जिसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री व डिक्री से बिना किसी आधार के विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने निरस्त कर दिया और बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों को नहीं मानने का कोई भी कारण अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अंकित नहीं किया, जो विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरणकरण संख्या 1119, 1120 व 1161 को नहीं मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया जबकि इन नामान्तरकरण के विरुद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अत: अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31-3-2004 को बहाल रखा जावे।

5- प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का आलोच्य निर्णय दिनांक 21-7-2007 विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं तर्कसंगत है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31-3-2004 द्वारा बिना साक्ष्यों के आधार पर दावा अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री कर दिया था। चूँकि विवादित भूमि का पहले कभी विभाजन नहीं हुआ था इसलिए तथाकथित विभाजन को मानने का कोई आधार नहीं था और नामान्तरणकरण संख्या-1119, 1120 व 1161 आधारहीन होने के कारण मान्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने इन नामान्तरकरणों के आधार पर गलत डिक्री पारित कर दी, जो कि निरस्त किये जाने योग्य थी जिसे उभय पक्षों को सुनकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने उचित रूप से निरस्त कर दिया। इस अपील में कोई सारवान एवं ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये ये है इसलिये यह द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर ने वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की:-

1- आया आराजी हाल खसरा नम्बर-2805 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं 2809/3647 रकबा 0.16, साबिक खसरा नम्बर-2350 रकबा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर

2338 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम रारह वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज है।

2– आया साबिक खसरा नम्बर–2350 व 2338 के हाल खसरा नम्बर के निस्फ हिस्सों पर प्रतिवादी के नाम की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी है।

3– आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 30–11–2000 को आराजी मुद्दा से बेदखली की धमकी दी।

4– आया आराजी मुतनाजा का बँटवारा राजस्व अभियान रारह में सहमति के आधार पर हुआ।

5– आया वादी ने पूर्व में दावा दिनांक 10–11–1999 को प्रस्तुत किया जिससे आराजी मनबट के आधार पर आपसी बँटवारे का जिक्र किया गया।

6– आया दावा वादी ने आवश्यक पक्षकार को शामिल नहीं किया नुक्से अदम इस्तेमाल जरूरी होने के कारण दावा वादी काबिले खारिज है।

8– इस प्रकरण में मुख्य विवाद हाल खसरा नम्बर–2805 रकबा .022 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर–2809/3647 रकबा .016 हैक्टेयर का है जो कि साबिक खसरा नम्बर–2350 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर–2338 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से बनाये गये हैं। वादीगण का कथन है कि उक्त दोनों खसरा नम्बर पूर्व में राजस्व अभियान में हुये विभाजन के द्वारा इन खसरा नम्बरों को उनके पिता नत्थी पि. किल्लो के हिस्से में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये थे जिसकी पालना में नामान्तरणकरण संख्या–1120 खोल दिया गया था। प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध आदिनांक तक कहीं पर भी अपील प्रस्तुत नहीं की है। नामान्तरकरण में उनके पिता का नाम दर्ज होने के पश्चात् उक्त विवादित भूमि का सेटलमेन्ट हुआ और दोराने बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग को वादी के पिता के नाम की प्रविष्टियाँ राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखनी चाहिये थी। किन्तु उन्होंने त्रुटिवश उक्त दोनों खसरा नम्बरान के निस्फ हिस्से अर्थात् 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का नाम दर्ज कर दिया जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था।

9– राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने से एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत शजरा के अनुसार जो कि प्रकरण संख्या–67/99 गोविन्दा बनाम गुलाब सिंह में प्रस्तुत किया था, के अनुसार रतना के 3 पुत्र थे, सीता, मवासी एवं किल्लो। सीता लावल्द विला औरत फौत हो गया था। जमाबन्दी एक्जीविट डी–1 संवत् 2016 से 2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–2350 रकबा 13

बिस्वा पर अन्य 13 नम्बरों के साथ खातेदार के रूप में सीता वल्द रतना का नाम दर्ज है. एक्जीविट डी-2 जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-2338 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पर सीता वल्द रतना का नाम दर्ज है और इसी तरह एक्जीविट डी-1 जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-2350 रकबा 13 बिस्वा पर सीता वल्द रतना कौम धीमर साकिन देह गैर मौरूसी दर्ज है। चूँकि सीता लावल्द विला औरत फौत हो गया। इसलिये विवादित भूमि रतना के दोनों पुत्र मवासी एवं किल्लो के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक के निस्फ हिस्से में दर्ज कर दी गयी।

10- नामान्तरकरण संख्या-1120 में अंकित है कि ''श्रीमान् जी राजस्व अभियान के मुताबिक आदेश के कुर्रा के दाखिल खारिज दर्ज करके वास्ते मंजूरी पेश है।'' इस प्रकार नामान्तरकरण में उक्त इन्द्राज से यह साबित होता है कि राजस्व अभियान में विवादित भूमि का विभाजन हो चुका था और कुर्रे कायम कर उभय पक्षों के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित हो गया था। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर-2350 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर-2338 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा 6 अन्य खसरा नम्बरों के साथ नत्थी पुत्र किल्लो कौम धीमर के हिस्से में आई और इसके अनुसार नामान्तरणकरण संख्या-1120 तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज हो चुकी थी। बन्दोबस्त विभाग को चाहिये था कि वे उक्त प्रविष्टियों के अनुरूप ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ दर्ज करते। किन्तु उन्होंने मनमाने तरीके से उक्त दोनों खसरा नम्बरान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों का संयुक्त नाम दर्ज कर दोनों को निस्फ हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया। बन्दोबस्त विभाग को प्रविष्टियाँ बदलने का कोई अधिकार नहीं था इसलिये बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किया गया परिवर्तन विधिसम्मत नहीं होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

11- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर ने अपना निर्णय दिनांक 31-3-2004 तनकीवार विश्लेषण करने के उपरान्त पारित किया है किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय प्रत्येक तनकी का विश्लेषण करते हुए पारित करना चाहिये था। किन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने सीपीसी के आदेश-41 नियम-31 की अवहेलना करते हुए बिना तनकीवार विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है जिसे कि कानून की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

12- इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है:-

1- **तनकी संख्या**-1 आया आराजी खसरा नम्बर हाल 2805 रकबा 22 एयर, आराजी खसरा नम्बर-2809/3647 रकबा 16 एयर, साबिक आराजी नम्बर-2350 रकबा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर-2338 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से बने हैं जिस पर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं।

नकल मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट-2 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर-2805, साबिक आराजी खसरा नम्बर-2350 एवं 2338 से बने हैं। इसी तरह हाल आराजी खसरा नम्बर-2809/3647, साबिक आराजी खसरा नम्बर-2338 से बने हैं। पैरा संख्या-9 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड का सम्पूर्ण विश्लेषण किया जा चुका है। नामान्तरकरण संख्या-1120 के अनुसार उक्त दोनों विवादित आराजी खसरा नम्बर-2350 एवं 2338 आपसी सहमति से किये गये बंटवारे के अनुसार वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता नत्थी के हिस्से में आई थी इसलिये उक्त दोनों खसरा नम्बरानों पर नत्थी के वारिसों का नाम अर्थात् अपीलार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिये। भू प्रबन्ध विभाग की गलती का दण्ड किसी पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व की प्रविष्टियाँ दोहरानी चाहिये थी और उक्त दोनों खसरा नम्बरानों पर केवल वादीगण का नाम ही दर्ज किया जाना चाहिये था। इन खसरा नम्बर के आधे हिस्से पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर भू प्रबन्ध विभाग ने त्रुटि कारित की है। इस प्रकार तनकी वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होती है।

2- **तनकी संख्या-2** आया वादी साबिक खसरा नम्बर-2350 व 2338 के हाल खसरा नम्बर के निस्फ हिस्से पर प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी है।

उक्त तनकी का विश्लेषण तनकी संख्या-1 में किया जा चुका है इसलिये यह तनकी वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में की जाती है।

3- **तनकी संख्या-3** आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 30-11-2000 को आराजी मुद्दा से बेदखल करने की धमकी दी।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। पी.डब्ल्यू.-1 रामचरण के बयानों से यह भली भाँति सिद्ध है कि आराजी मुद्दा पर प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गयी और इस संबंध में एक एफआईआर भी वादीगण द्वारा दर्ज करवाई गई। इस प्रकार यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

4- **तनकी संख्या-4** आया आराजी मुतनाजा का बंटवारा राजस्व अभियान में सहमति के आधार पर हुआ। पैरा नम्बर-10 में इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी है कि नामान्तरकरण संख्या-1120 उभय पक्षों की राजस्व अभियान में सहमति के उपरान्त भी तस्दीक किया गया था जिसके विरुद्ध आदिनांक तक कोई अपील किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। इसलिये यह निर्विवाद सिद्ध है कि विवादित भूमि का बंटवारा राजस्व अभियान में सहमति के आधार पर हो गया था और उसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या-1120 भी तस्दीक कर दिया गया। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

5- **तनकी संख्या-5** आया वादी ने पूर्व में एक दावा दिनांक 10-11-1999 को प्रस्तुत किया था जिस पर आपसी मनबट के आधार पर आपसी बँटवारे का जिक्र किया गया।

पत्रावली में संलग्न एक्जीविट-3 वाद संख्या-67/99 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। इस वाद में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर-2350 एवं 2338 का कोई विवाद नहीं है। इसलिये उक्त वाद वर्तमान वाद पर बाध्यकारी नहीं है। अत: यह तनकी वादी के पक्ष में एक प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

6- **तनकी संख्या-6** आया वादी ने आवश्यक पक्षकार को शामिल नहीं किया। नुक्से अदम इस्तमाल जरूरू होने के कारण दावा वादी काबिल खारिज है।

प्रकरण में रतना के तीन वारिस थे, सीता, मवासी व कल्लो। सीता लावल्द औरत फौत हो गया था, इसलिये अब केवल दो पक्षकार बनते हैं मवासी एवं कल्लो। चूँकि जमाबन्दी में इन्द्राज नत्थी पुत्र कल्लो 1/2 हिस्सा एवं मूली, गुलाब सिंह, विजय सिंह पि. रामचन्द नाम दर्ज है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार बना लिया गया है, अन्य पक्षकारों की इसमें आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का यह एतराज निरस्त किया जाता है और यह तनकी भी वादी के हक में एव प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

13- इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से तनकीवार विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर ने सम्पूर्ण प्रकरण का भली भाँति विवेचन करने के उपरान्त तनकीवार निर्णय दिनांक 31-3-2004 पारित किया था वह पूर्णतया विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं तर्कसंगत निर्णय था जो कि पोषणीय निर्णय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का आलोच्य निर्णय दिनांक 21-7-2007

तनकीवार विश्लेषण किये बिना पारित किया गया है जो कि सीपीसी के आदेश–41, नियम–31 के अन्तर्गत उक्त विधिसम्मत निर्णय नहीं होने से पोषणीय नहीं है इसलिये यह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

15– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 21–7–2007 निरस्त किया जाता है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर का निर्णय दिनांक 31–3–2004 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सर्वश्रेष्ठ निबन्ध प्रतियोगिता में आम नागरिक श्रेणी से प्रथम स्थान पर चयनित प्रविष्टि)

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली : सुधार एवं नवाचार

मनोहर पुरी
आम नागरिक-किसान

1. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 2 की धारा 4 में राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड में निहित है तथा ऐसे समस्त राजस्व न्यायालय तथा अधिकारी बोर्ड के अधीनस्थ हैं।

2. राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के अध्याय 15 में राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता के प्रावधान उपलब्ध है।

3. राजस्व न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसमें किसी स्थानीय विधि के अन्तर्गत लगान, राजस्व, कृषि के लिए काम में लिए जाने वाली भूमि के लाभों से संबंधित दावे व कार्यवाही दर्ज करने व निर्णय करने का अधिकार है।

4. राजस्व न्यायालय को अनन्य अधिकारिता देने का प्रमुख कारण यह माना गया था कि राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामलों की अच्छी जानकारी होती है और सिविल न्यायालयों के मुकाबले राजस्व न्यायालयों में अधिक लचीली और सरसरी कार्यवाहियों की आवश्यकता भी है।

5. राजस्व न्यायालयों में कमियाँ या दोष जब तक जनता में फुसफुसाहट के रूप में चर्चा में होते हैं, तब तक उनका कोई महत्त्व नहीं होता तथा प्रशासन भी उसको गंभीरता से नहीं लेता है। किन्हीं कारणों से जब ये जगजाहिर हो जाते हैं तब आमूलचूल सुधारों की बातें होना प्रारंभ होती है। संदर्भ के लिए उल्लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जयपुर में राज्य प्रशासन सेवा के किसी आयोजन पर अपने उद्‌बोधन में कहा था कि राज्य प्रशासनिक सेवा राज्य की रीढ़ की हड्‌डी है, परन्तु अब इसमें थोड़ी स्लिपडिस्क हो गई है। बड़े मर्यादित रूप से संकेत उपलब्ध थे।

6- राजस्व न्यायालयों से प्रमुख रूप से राज्य का कृषक वर्ग जुड़ा हुआ है। न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए वरन् न्याय किया गया है, यह दिखना चाहिए।

राजस्व न्यायालयों में जब अपील में विनिश्चय करने का कार्य सौंपा गया हो या अन्य विधिक उपचार के लिए विनिश्चय का कार्य सौंपा गया हो तो, जिनको यह विनिश्चय करने वाले का कर्त्तव्य है उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से कार्य संपन्न करना चाहिए। उनके सम्मुख निर्दिष्ट प्रश्नों पर पक्षपात रहित ढंग से विचार करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को धन संबंधी पक्षपात से, व्यक्तिगत पक्षपात से तथा विषयवस्तु के पक्षपात से बचना चाहिए।

7– राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में कमियाँ–

(i) राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।

(ii) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की प्रोफेशनल दक्षता वांछित स्तर की नहीं है। उन्हें डील किये जाने वाले कानूनों का Updated ज्ञान में भी वांछित स्तर की कमी है। इसके समर्थन में राजस्व फैसलों के प्रकाशित जर्नल RRT 2011 (1) पेज 6 निर्णय दिनांक 06.08.2010 रामेश्वर बनाम रामेश्वर में पाया गया कि संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2005 के द्वारा SDO नवलगढ़ को राजस्व नक्शे में सुधार की कार्यवाही के निर्देश दिये। राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 369 में SDO कृषि भूमि के नक्शों में सुधार के लिए अधिकृत ही नहीं है। यह निर्णय राजस्व मंडल ने दिया। यहाँ पीठासीन अधिकारी ने नियमों में शक्तियां उपलब्ध नहीं होने के उपरांत भी नक्शे में सुधार के आदेश देकर त्रुटि कारित की है।

(iii) राजस्व न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। सामान्य नागरिक/कृषक जो जुगाड़ नहीं कर सकता है, उसे समय पर न्याय नहीं मिलता है। गाँवों में यह आम धारणा है कि राजस्व न्यायालयों के लिटीगेशन में कृषक काली दाढ़ी व पूरे दाँतों की बत्तीसी के साथ राजस्व लिटीगेशन में प्रवेश करता है तथा लिटीगेशन प्रक्रिया की समयावधि में उसकी दाढ़ी सफेद हो जाने तथा दो–तीन दाँत गिर जाने तक भी राजस्व लिटीगेशन से उसका पीछा नहीं छूटता है।

(iv) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों में प्रकरणों के न्यायपूर्ण निस्तारण में वांछित प्रतिबद्धता की कमी है। पीठासीन अधिकारी की प्रतिबद्धता बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आर.नारीमन के सेवानिवृत्ति पर माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय ने उनकी प्रतिबद्धता की खूब प्रशंसा की थी। पीठासीन

अधिकारियों के लिए यह Introspection का विषय है इस पर मनन करना चाहिए।

(v) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी मामलों का न्यायपूर्ण निस्तारण करने के बजाय तकनीकी निस्तारण करने में लगे रहते हैं। इससे आम नागरिक/कृषक को यथार्थ में न्याय नहीं मिलता है निरर्थक लौटा-फेरी चलती रहती है। इसके समर्थन में दीवानी निर्णय जर्नल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अमरसिंह जाट बनाम स्टेट 2013 (2) DNJ राज 924-1435 में निर्णय दिया कि धारा 232 सपठित 222 रेफरेन्स बोर्ड के एकल सदस्य ने रेफरेन्स स्वीकार किया और SDO द्वारा 267-1973 को पारित डिक्री तथा पश्चातवर्ती आदेश अपास्त किये। एकल सदस्य ने सम्पूर्ण 2375 बीघा 16 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का निर्णय दिया। एकल पीठ ने स्वयं विरोधाभासी निर्णय पारित किया। आदेश दिनांक 5.5.2005 संवहनीय नहीं है व अपास्त किया और तीन सदस्यों की पीठ द्वारा रेफरेन्स पुनः निर्णीत करने हेतु राजस्व मण्डल को मामला प्रतिप्रेषित किया। चालीस साल की यात्रा इस मामले ने की, हो सकता है वर्तमान में भी किसी न किसी स्तर पर लंबित हो?

(vi) राजस्व न्यायालयों के पारित आदेशों की गुणवता में कमी होने के कारण कई बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी भी की जाती है कि पारित आदेश अस्पष्ट है, वांछित कारण नहीं दिये गये हैं, आदेश में दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया है तथा यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया गया है।

(vii) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी फैसले नहीं लिखाते हैं, फैसले पेशकार लिखते हैं।

(viii) पुराने प्रकरणों को तथा अति विलष्ट मामलों को अपीलीय/रिवीजन राजस्व न्यायालय प्राथमिकता से निस्तारण करने में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं यथा संभव टालने का बहाना ढूँढा जाता है।

8- राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव-

(i) संपूर्ण राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में CCTV कैमरे लगाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(ii) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा फैसले खुद Dictation द्वारा देने चाहिए, इस संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान टेनेन्सी एक्ट को Rewrite करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(a) मामलों की प्रकृति को देखते हुए निस्तारण की समय-सीमा का प्रावधान कानून में किया जाना चाहिए।

(b) समय-सीमा में निस्तारित नहीं करने पर Deeming clause जोड़ा जाकर उसे स्वत: निस्तारित मानने का प्रावधान करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(iv) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों में भू-अभिलेख संधारण करने के संबंध विलष्ट शब्दावली के सामने हिन्दी अनुवाद लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये शब्द हैं-(i) आराजीए खालिस, (ii) आराजीए खिराजी, (iii) आराजीए मुतनाज, (iv) इंकिसाम, (v) इंफिकाक, (vi) अफशा करना, (vii) जिराअत, (viii) मुमकिनुज जराअत, (ix) रकबए गैर मजरूम, (x) सतहे मुस्तबी, (xi) सतहे हमवार, (xii) वाजिब उल अर्ज, (xiii) साबिक खसरा।

(iv) श्रीमद् भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश अमृत में कहा है।

''यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।''

श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा-जैसा कर्म करता है, साधारण मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वह जिसे श्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करता है, अन्य मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं।

सुधारों का प्रारंभ राजस्व मंडल से किया जाना चाहिए ताकि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय उनका अनुसरण कर सके।

(vi) सुधारों तथा नवाचारों का कहीं प्रभाव यह नहीं हो कि पीठासीन अधिकारी वाह-वाही लूटने के चक्कर में आम नागरिकों/कृषकों के खिलाफ फैसले कर दें तथा सरकार के पक्ष में फैसले कर देवे। यह पेरा अत्यन्त सजगता के सुझाव के बतौर लिखा जा रहा है।

(vii) न्याय पीठों का गठन डेली (दैनिक) हो पर विचार करना चाहिए।

(viii) सामयिक कार्यशाला का आयोजन किये जाने पर विचार करने का सुझाव दिया

जाता है, जिसमें आम नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाने पर विचार किया जावे।

(ix) गुणात्मक व अच्छे फैसले लिखे जाने के लिए सुझाव है कि राजस्व मंडल में लंबित मुकदमों का वर्गीकरण कानून की धाराओं के आधार पर, विवाद की प्रकृति के आधार पर, विवाद के सामान्य महत्त्व की प्रकृति के आधार पर या और अन्य आधार जो मुकदमों में निहित हो, के आधार पर करने पर विचार किया जाना चाहिए। जिन माननीय सदस्यों को Issues पर expertise हो, उस आधार पर बेंच गठित केस पर विचार किया जाना चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण फैसलों की उम्मीद बढ़ सकती है।

⌘ ⌘ ⌘

(सर्वश्रेष्ठ निबन्ध प्रतियोगिता में अधिवक्ता श्रेणी से प्रथम स्थान पर चयनित प्रविष्टि)

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली : सुधार हेतु सुझाव

तरुण कुमार त्रिवेदी
एडवोकेट

प्रस्तावना : भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि ही है। यही कारण है कि विधियों की शृंखला में कृषि सम्बन्धी विधि एवं उनको लागू करने में राजस्व न्यायालयों से सरोकार रखता है। कृषकों के हितों एवं अधिकारों को यही राजस्व न्यायालय सुनिश्चित करते हैं। कृषकों के हितों एवं अधिकारों को तथा उनको प्रदान करने वाले अनुतोषों हेतु राजस्व न्यायालय को सुरक्षा कवच भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उपरोक्त दोनों अधिनियम प्रक्रिया विधि एवं अधिष्ठायी विधि से सरोकार रखते हैं इनमें वर्णित अनुतोष राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। अगर सामान्य तौर पर भी देखें तो आमजन न्यायालयों को तीन वर्ग में रखते हैं-

(1) राजस्व न्यायालय

(2) सिविल न्यायालय/दीवानी न्यायालय

(3) फौजदारी/आपराधिक न्यायालय

इस आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि राजस्व न्यायालयों का कितना महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

अब सबसे पहले हमें राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली : सुधार हेतु सुझाव समझने से पहले यह जरूर समझना होगा कि राजस्व न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? राजस्व न्यायालय की परिभाषा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा 35 में निम्नलिखित दी गई है तथा बताई गई है-

धारा 5 (35) राजस्व न्यायालय

राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय या अधिकारी अभिप्रेत है जो कृषि काश्तकारी, भूमि से संबंधित लाभों और अन्य मामलों को या भूमि में किसी अधिकार या हित संबंधी ऐसे

वाद या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता है जिनमें ऐसे न्यायालय या अधिकारी का न्यायिक रूप से कार्य करना अभिप्रेत है, इसमें बोर्ड और उसका प्रत्येक सदस्य, राजस्व अपील प्राधिकारी, कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार या कोई भी अन्य राजस्व अधिकारी जबकि वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो, सम्मिलित है।

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली

राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को हम इस प्रकार विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं-

(1) **लम्बित मामलों इत्यादि के लिये कार्य प्रणाली**- सभी वाद, मामले, अपीलें, आवेदन, निर्देश और कार्यवाहियाँ जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित हो लम्बित हो, उनका विचारण सुनवाई और अवधारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विहित रीति से किया जाएगा और राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

किसी सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी वाद, आवेदन, मामले या कार्यवाही को जिनका राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण के योग्य होना धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषित किया जा चुका है ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने एवं उसका निपटारा करने के लिये सक्षम राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर दिया जायेगा।

(2) **केवल राजस्व न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन**-तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकार के सभी वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जायेंगे।

राजस्व न्यायालयों से भिन्न कोई न्यायालय किसी वाद या आवेदन का संज्ञान नहीं करेगा।

धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955.

(3) **सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना**- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध इस अधिनियम (काश्तकारी) के अधीन सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवाय-

(क) असंगत विषयों की सीमा तक,

(ख) बाहर के वादों और कार्यवाही के उपबंधों,

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची-I में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची-II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

(4) **ऐसा कोई अनुतोष अनुदत्त करना जिसका वादी हकदार है**-राजस्व न्यायालय किसी भी वाद या कार्यवाही में ऐसा अनुतोष अनुदत्त कर सकता है जिसका वादी हकदार हो तथा राजस्व न्यायालय अनुदत्त करने में सक्षम हो।

धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955.

(5) राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया/कार्यप्रणाली जब सद्भाव से किसी अन्य को संदाय करने का अभिवचन किया जाये- जब लगान की बकाया के लिये अभिचारी यह अभिवचन करे कि उसने जोत का उस अवधि का लगान किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, तो राजस्व न्यायालय ऐसे अभिधारी के खर्चे पर ऐसे अन्य व्यक्ति को वाद या कार्यवाही में पक्षकार बनायेगा तथा प्रश्न की जांच या उसका विनिश्चय करेगा।

(6) सह-अंशधारियों द्वारा वाद इत्यादि के सम्बन्ध में राजस्व-जब किसी अधिकार, हक अथवा हित से दो या अधिक सह-अंशधारी सम्बन्धित हो तब वे सभी बातें जो धारक से अपेक्षित हो या उसके द्वारा किये जाने को अनुज्ञात हों, उनके द्वारा संयुक्त की जायेगी सिवाय उस दशा के जब कि उन्होंने उन सब की ओर से कार्य करने हेतु किसी अभिकर्त्ता को नियुक्त कर दिया हो।

(7) व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध-राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ-पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि-

(क) किसी सम्पत्ति का किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन, नुकसान, अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) न्याय के उद्देश्यों को विफल करने से उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आराम रखता है तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा या यदि आवश्यक हो तो रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

(8) लगान की बकाया के लिये डिक्री के निष्पादन खातेदार अभिधारी के हित का विक्रय

(9) राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों में परिसीमा-तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाद और आवेदन उसमें उनके लिए विहित समय के भीतर संस्थित किये जायेंगे और इस प्रकार विहित परिसीमा की कालावधि के पर्यावसान के पश्चात् संस्थित ऐसा प्रत्येक वाद या किया गया आवेदन खारिज कर दिया जायेगा।

(10) संदेय न्यायालय फीस-संदेय न्यायालय फीस तृतीय अनुसूची के छठे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट फीस के अनुसार होगी।

(11) राजस्व न्यायालयों की बैठक-मामलों के निपटाने हेतु बोर्ड राज्य के किसी भी स्थान पर राजस्व अपील-प्राधिकारी ऐसे स्थानों पर बैठक करेगा जो राज्य सरकार निर्देश दे। कलक्टर,

उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर उस जिले उपखण्ड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में बैठक कर सकेंगे।

(12) विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की साधारण शक्तियाँ–वादों और आवेदनों का निपटारा करने के लिए सक्षम राजस्व न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियाँ वे होंगी, जो तृतीय अनुसूची के सातवें स्तम्भ में विनिर्दिष्ट की गई है।

(13) राजस्व न्यायालयों की अन्तर्निहित शक्तियाँ–

(i) राजस्व अपील प्राधिकारी को कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी,

(ii) कलक्टर को, उपखण्ड अधिकारी, सहायक और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(iii) उपखण्ड अधिकारी को सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(14) वे न्यायालय जिनमें कार्यवाही संस्थित की जानी है–तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त वाद और आवेदन सबसे नीचे के सक्षम न्यायालय में संस्थित किये जाएंगे।

(15) राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता–समस्त राजस्व न्यायालयों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा।

(16) मूल डिक्रियों की अपीलें-किसी मूल डिक्री की अपील–

(1) तहसीलदार द्वारा पारित की गई है तो कलक्टर को होगी।

(2) सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा पारित की गई है तो राजस्व अपील अधिकारी को होगी।

(17) अपीली डिक्रियों की अपील–

(i) कलक्टर द्वारा अपील में पारित डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी।

(ii) राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित डिक्री की अपील बोर्ड को होगी।

(18) आदेश की अपीलें–

(i) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की कलक्टर को,

(ii) सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा पारित आदेश की राजस्व अपील प्राधिकारी को,

(iii) राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की रेवेन्यु बोर्ड को।

(19) रेवेन्यु बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन करने की शक्ति-बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालय डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने में सक्षम होगा।

धारा 229 राज. काश्तकारी अधिनियम।

(20) मामलों को मँगवाने की बोर्ड की शक्ति-रेवेन्यु बोर्ड किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित किये गये मामले का अभिलेख मँगवा सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(21) अभिलेख मँगवाने और राजस्व बोर्ड को निर्देशित करने की शक्ति-कलक्टर अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित या लम्बित किसी वाद या कार्यवाही का अभिलेख बोर्ड को राय हेतु निर्देश प्रस्तुत कर सकेगा और बोर्ड ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझें।

(22) बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों को अन्तरित किया जा सकेगा।

(23) साम्पतिक अधिकार का अभिवचन उठाया जाए तब प्रक्रिया-यदि राजस्व न्यायालय के समक्ष साम्पतिक अधिकार के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाया जाता है तो राजस्व न्यायालय साम्पतिक अधिकार के प्रश्न पर एक विवाधक की विरचना करेगा और केवल उस प्रश्न पर विनिश्चय हेतु अभिलेख सक्षम सिविल न्यायालय को भेज देगा।

इस प्रकार अगर हम राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली देखें तो अच्छी है परन्तु समय की माँग देखें तो अभी कई सुधारों की आवश्यकता है जिससे कि भारतीय संविधान में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा प्रत्येक नागरिक को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय की प्राप्ति हो सके।

सुधार हेतु सुझाव-राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली के सुधार हेतु निम्नलिखित उपयोगी सुझाव साबित हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-

(1) राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासनिक कार्यो हेतु अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब नहीं हो।

(2) लोक अदालतों, शिविरों, ग्राम पंचायतों व पंच फैसलों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सके।

(3) राजस्व प्रकरणों की बेशुमार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अदालतों की संख्या में भी उसी अनुपात में न्यायिक न्यायालयों की भाँति वृद्धि की जानी चाहिए।

(4) बिना उचित कारणों के मुकदमे का स्थगन नहीं करना चाहिए एवं लम्बी-लम्बी तारीख पेशियां नहीं दी जानी चाहिए।

(5) राजस्व न्यायालयों के शनिवार के अवकाश पर रोक लगाने हेतु भी सुझाव दिये जा रहे हैं।

(6) विधायिका द्वारा कानून पारित करके अपील दर अपील (पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन सहित) के प्रावधानों को उचित सीमा तक सीमित कर देना चाहिए। जहाँ समय की माँग हो, वहां विधि से आमूलचूल परिवर्तन करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

(7) समन्स, वारण्ट्स व नोटिस वगैरा की तामिल शीघ्र एवं सही तरीके से होनी चाहिए।

(8) ऐसे आवेदन पत्र जो मात्र मुकदमे को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये जाते हैं उनको राजस्व न्यायालयों द्वारा भारी खर्चों के साथ, यथा सम्भव शीघ्र निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

(9) विधायिका द्वारा मुकदमों के अन्तिम निस्तारण हेतु अधिकतम अवधि-सीमा तय कर दी जानी चाहिए व उस अवधि में निस्तारण नहीं होने पर उचित कारणों का न्यायाधीशों से स्पष्टीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(10) संक्षिप्त लिखित बहस न्यायालय में प्रस्तुत करके न्यायालयों के सार्वजनिक समय की बचत की जा सकती है।

(11) अन्तिम बहस सुनने के पश्चात् निर्णय आवश्यक रूप से यथाशीघ्र पारित करने का राजस्व न्यायालयों का नियम बना देना चाहिए।

(12) लोक अदालतें बार-बार लगानी चाहिए तथा लोक अदालतों को व्यापक कानूनी अधिकार दिये जाने चाहिए।

(13) कानूनों की जटिलताओं एवं इसकी संख्या में कमी लानी चाहिए। इससे कानून की पहुंच जनसाधारण तक होकर कानून लोकप्रिय बन सके।

(14) लघु प्रकरणों में संक्षिप्त प्रक्रिया को व्यावहारिक धरातल पर उतारा जावे।

(15) अधिवक्ताओं, पक्षकारों इत्यादि को राजीनामा करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

(16) न्यायिक कर्मक्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजस्व न्याय क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य को वाणिज्य-व्यापार नहीं समझ कर मानव सेवा का 'नोबल प्रोफेशनल' समझना चाहिये तथा इसे धर्म, नीति व मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये।

(17) लोगों को राजस्व न्याय के सिद्धान्तों के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा विधिक साक्षरता हेतु शिविरों का आयोजन करना चाहिए एवं राज्य सरकार को भी सभी उचित आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

उपसंहार–राजस्व न्यायालयों की अगर कार्यप्रणाली देखें तो पिछले कुछ दशकों में काफी सुधार हुआ है। परन्तु फिर भी अभी काफी सकारात्मक सुधारों की आवश्यकता है जिससे संविधान में प्रदत्त प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। प्रत्येक भारतवासी यही अपेक्षा करता है कि उसे सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध हो। लम्बित मुकदमों की समस्याओं को शीघ्र निपटाने हेतु विधायिका, कार्यपालिका एवं अभिभाषकगण को कारगर कदम उठाने होंगे। पक्षकारों को सस्ता सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु इस दिशा में मन, वचन एवं कर्म से प्रयत्नशील होकर इसे अमलीजामा पहनाना होगा। न्याय मंदिरों का न केवल जीर्णोद्धार किया जावे, बल्कि नूतन एवं पुरातन समन्वय शैली से समय की माँग के अनुसार, इनका नव–निर्माण किया जावे। त्वरित एवं सुलभ न्याय देकर राजस्व न्यायालयों के न्यायदीप की टिमटिमाती ज्योति को प्रचण्ड मशाल के रूप में ज्योतिमय किया जा सकता है।

⁂ ⁂ ⁂

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग (अजमेर) पर चयनित प्रविष्टि)

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

(बइजलास श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या–129/2020

GCMS No. – 2020/00164

1. माँगीलाल पुत्र ठाकराराम जाति जाट
   निवासी बाडाणी तहसील व जिला नागौर

..... अपीलांट्स

बनाम

1. नेनाराम पुत्र ठाकराराम
2. हजारीराम पुत्र ठाकराराम
3. हिमताराम पुत्र ठाकराराम
4. बीरमाराम पुत्र ठाकराराम जातियान जाट निवासीगण बाडाणी तहसील व जिला नागौर
5. तहसीलदार (भू.अ.) नागौर
6. पटवारी हल्का (भू.अ.) गांगेलाव तहसील व जिला नागौर

.....रेस्पोडेंट्स

उपस्थित :

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री रूघाराम जोगपाल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास रेस्पोडेन्ट संख्या–5 व 6 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार नागौर के द्वारा धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में पारित आदेश क्रमांक भू.अ./रा.शि. 08/19/20.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

मयाद के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर

बहस में कथन किया कि पहले अपीलांट को कथित बंटवाड़ा आदेश धोखाधड़ी से त्रूटिपूर्वक कम ज्यादा रकबा बंट में रखते हुए पारित करवाया होने की जानकारी नहीं थी, हाल ही में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट को उसके वास्तविक बंट से बेदखल करने व अपीलांट के बंट में मात्र 14 बीघा भूमि ही रखी होने व दीगर भाई नेनाराम के बंट में 32.07 बीघा, हजारीराम के बंट में 32.05 बीघा, हिम्मताराम के बंट में 19.17 बीघा, वीरमाराम के बंट में 32.07 बीघा भूमि रखी होना बताया, तब अपीलांट ने पता करवा कर दिनांक 31.08.2020 को प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की, जिनको पढ़ाने पर सर्वप्रथम त्रुटिपूर्वक बंटवाड़ा आदेश की जानकारी होने से व उसके विरुद्ध अपील करने की कानूनी राय मिलने पर अधिवक्ता को सारे हालात बताकर दिनांक 01.09.2020 को अवकाश होने से दिनांक 07.09.2020 को यह अपील पेश की गई है जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु आवेदन मय शपथ पत्र पेश करने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील श्री श्याम कुमार व्यास ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से तहसीलदार नागौर के समक्ष कृषि भूमि के विभाजन हेतु आवेदन पेश किया एवं आपसी सहमति से ही वर्ष 2010 में ही तहसीलदार द्वारा भूमि विभाजन किया गया, जिसकी जानकारी वर्ष 2010 से ही अपीलान्ट को भली भाँति रही है, क्योंकि बंटवाड़ा की सम्पूर्ण कार्यवाही में अपीलान्ट स्वयं उपस्थित था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने का कथन गलत है एवं अपील 10 वर्ष देरीना पेश करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर प्रथमदृष्टया विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपीलान्ट्स की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम बाडाणी तहसील नागौर के खतौनी खाता संख्या 205 व 149 में दर्ज पक्षकारान के पुश्तैनी खेताय खसरा नं. 148 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नं. 339 रकबा 41.02 बीघा, खसरा नं. 349 रकबा 19.10 बीघा, खसरा नं. 351 रकबा 50.11 बीघा व खसरा नं. 603/348 रकबा 5.10 बीघा कुल रकबा 131 बीघा 05 बिस्वा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की सहखातेदारीसुदा कब्जासुद पुश्तैनी अविभाजित खेताय रहते चले आये थे तथा अपीलांट व

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 सगे भाई है। इस सभी का उक्त खसरान में बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा कानूनन हुआ, रहा व है जिसके अनुसार करीब 26 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट का बनता है व उसी अनुसार अपीलांट के दीगर भाईयों यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 प्रत्येक का एक हिस्सा बनता है।

कालान्तर में सन् 2010 में प्रशासन गाँवों के संग अभियान केम्प बाडाणी में आयोजित हुआ और उस दौरान अपीलांट के भाई रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने आपस में साँठ–गाँठ करते हुए व अपीलांट द्वारा अपने भाईयों पर किये जाने वाले अटूट विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर विश्वासघात करते हुए अपीलांट को यह बताया कि पंचायत में बंटवाड़ा का केम्प लगा हुआ है जिसके हमें पहले से जानकारी थी, हम हमारी भूमि का मौके पर पांचों भाईयों का बराबर–बराबर रकबा अनुसार मौखिक रूप से बंटी हुई है व सभी बंटों के रास्ता लगता है उसी अनुसार बंटवाड़ा फार्म आदि पटवारी से मिलकर तैयार करवा लिये हैं व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवा कर अलग–अलग खाते करवाने की पूरी तैयारी कर ली है आप तो सहमति के अंगुष्ठ निशान कर दो और कथित बंटवाड़ा करवाने का कह कर खाली फार्म पर अंगुष्ठ दुर्भावनापूर्वक करवा लिये व वाद में हल्का पटवारी से रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने अपनी मर्जी अनुसार अपीलांट के बंट में कम भूमि रखते हुए व अपने बंट में अधिक भूमि रखते हुए तथा रेस्पोडेन्टान के बंट की भूमि रास्ते के चिपती बताते हुए व अपीलांट के बंट की भूमि पीछे की तरफ बताते हुए जिसके कोई रास्ता भी नहीं लगता है, ऐसा बंट अपनी मर्जी अनुसार बताकर षड्यंत्रपूर्वक तरीके से छल कपट धोखाधड़ी करते हुए बंटवाड़ा आवेदन भरवा कर विवादित खेताय का अलग से उक्त केम्प व बंटवाड़ा आदेश से एक दिन पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को त्रूटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनवाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलांट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से धारा 53 राज. टि. एक्ट के तहत कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को स्वीकृत करवा लिया व वास्तविक तथ्य बताये बिना कथित त्रुटिपूर्वक आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 483, 535 दर्ज करवा लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 339, 718/339 अपीलांट के नाम व खसरा नं. 349 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नं. 715/349 रकबा 17.17 बीघा रेस्पोडेन्ट हजारीराम के नाम, खसरा नं. 719/351 रकबा 19.17 बीघा रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम के नाम, व खसरा नम्बर 716/339 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नं. 717/339 रकबा 26.07 बीघा रेस्पोडेन्ट बीरमाराम के नाम व खातेदारी में दर्ज है व अब उक्त त्रूटिपूर्वक बंटवाड़ा के आधार पर बनाये गये उक्त खसरान की भूमि को रेस्पोडेन्ट मनमर्जी से बेचान, हस्तान्तरण, गिरवी, रहन करने,

अपीलांट का बराबर हक हिस्सा नहीं रखा होने की बात बताने पर अपीलांट को बड़ा आश्चर्य हुआ व उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

कथित बंटवाड़ा आदेश केवल मात्र दिखावटी रूप से ही सहमति से किया हुआ है मगर वास्तविक रूप से ऐसा कोई बंटवाड़ा न तो कभी अपीलांट को स्वीकार था न सहमति इस बाबत अपीलांट की कभी रही थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलांट के साथ विश्वासघात व धोखा किया है व उस बंटवाड़ा की आड़ में अब अपीलांट के वास्तविक बंट जो 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि बंट की बनती है उससे बेदखल करने, अपीलांट का रास्ता बंद करने पर आमादा है तथा रेस्पोडेन्टान ने अपनी मर्जी अनुसार अपने बंट में अच्छी उपजाऊ व रास्ते के लगती भूमि बंट में गलत रूप से बताकर कथित बंटवाड़ा आदेश वाले अपीलांट की जानकारी के बिना स्वीकृत व पारित करवाया होने से विधिसम्मत नहीं है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष सहमति से आवेदन पेश करके काश्तकारों को पुश्तैनी भूमि के बंटवाड़ा करवाने का अधिकार अवश्य है तथा प्रावधान है लेकिन उसमें यह आवश्यक है कि सभी भाईयों के बंट में पुस्तैनी भूमि का रकबा बराबर-बराबर रखा जाता है यानि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बराबर हिस्सा बंट में होने पर ही ऐसा बंटवाड़ा आवेदन स्वीकार कर धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत स्वीकृत कर रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जा सकता है किसी एक भाई के बंट में बहुत कम रकबा व दीगर भाईयों के बंट में अधिक रकबा रखते हुए ऐसा बंटवाड़ा आवेदन स्वीकार कर आदेश पारित करने के तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नहीं होते हुए भी तहसीलदार नागौर ने राजस्व शिविर में केवल टारगेट पूरा करने के आशय से काश्तकार अपीलान्ट के हितों की अनदेखी करते हुए गलत तौर से कथित कम ज्यादा भूमि बंट में रखी होने से आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये आदेश अपास्त कर पत्रावली तहसीलदार नागौर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाना आवश्यक है कि उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की कथित बंटवाड़ा से पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुए उसके पश्चात् अपीलान्ट सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 यानि सभी पक्षों को सुनकर वास्तविक रूप से प्रत्येक खसरान में प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हिस्सा रास्ता के लगता हुआ बंट में रखते हुए पुनः विधिसम्मत बंटवाड़ा आदेश पारित करे, ऐसा आदेश/निर्देश प्रकरण हाजा में उपरोक्त परिस्थितियों अनुसार पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है क्योंकि कथित बंटवाड़ा आदेश त्रूटिपूर्वक है यदि सहमति से भूमि कम ज्यादा रखी जाती है तो उसका कारण/नोट बंटवाड़ा फार्म व स्वीकृति आदेश में अवश्य दर्ज होता है जो इस प्रकरण के बंटवाड़ा आवेदन व स्वीकृति आदेश में दर्ज

नहीं है, जिससे भी बंटवाड़ा आदेश छल कपट धोखाधड़ीपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने मिलीभगती से गलत तौर से स्वीकृत करवाया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 के पुश्तैनी सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की रही है तथा वास्तविक रूप से आज तक भौतिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रत्येक खातेदार के बंट में 26.6 बीघा के हिसाब से भूमि आती है व उसी अनुसार ही बंटवाड़ा हो सकता है, इसके बावजूद केवल केवल मात्र 13.15 बीघा व अंत में बीरमाराम के साथ 10 बिस्वा और बताकर यानि 26.5 के स्थान पर केवल 14 बीघा भूमि की अपीलान्ट के बंट में बताकर बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया गया है। ऐसे आदेश से खातेदार अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ व हो रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 उत्तरोत्तर राजस्व रेकर्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रशासन गाँवों के संग शिविर दिनांक 20.12.2010 को आयोजित हुआ था। लेकिन नजरी नक्शा हल्का पटवारी द्वारा 19.12.2010 को किसके आदेश से कथित बंटवाड़ा अनुसार पहले ही बना लिया। ऐसा कोई भी अंकन नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने पहले से ही पटवारी हल्का से मिलीभगती कर रखी थी और उसी अनुसार गलत तौर पर बंट बतौर आदेश पारित करवाया गया है जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि कथित विभाजन प्रस्ताव ही दिनांक 20.12.2010 के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुआ है तो उससे पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को ही नजरी नक्शा कैसे व किसके आदेश से कहाँ पर तैयार किया गया है यह बहुत गंभीर व विचारणीय बिन्दु है।

कथित बंटवाड़ा आदेश में रेस्पोडेन्ट हजारीराम के बंट में खसरा नम्बर 148 व 349 कुल रकबा 32.05 बीघा बताये गये हैं जो गलत है। क्योंकि खसरा नम्बर 148 व 349 के मध्य बालवा आम रोड़ है तथा बीरमाराम का जो बंट खसरा नम्बर 339 में बताया गया है उसके पूर्व में आम रोड़ बाराणी से पाबुजी के ओरण राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाना की ढाणी बाराणी तक जाता है। तात्पर्य यह है कि इन रेस्पोडेन्टान ने रोड़ के लगते खसरान को अपने बंट में अपनी मर्जी अनुसार बताकर आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित करवाया है जबकि इनका न तो इस कथित बंट अनुसार कभी कब्जा काश्त रहा न आज दिन है मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त शुरू से लेकर आज दिन तक सभी खसरान पर लगातार रहता चला आया है। इसके बावजूद अपीलान्ट का बंट मनमर्जी से पीछे की तरफ से बताकर गलत रूप से बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया गया है।

विधिक प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार

किया हुआ नहीं है बल्कि पटवारी द्वारा किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जाना आज्ञापक प्रावधान है और प्रकरण हाजा में उक्त नियमों की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार को प्राप्त शक्तियाँ अन्य किसी प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी आदेश जैर अपील विधि की दृष्टि में अवैध, शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का निवेदन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2010 को अपास्त कर उक्त आदेश के आधार पर विवादित खसरान के भरे गये नामान्तरकरण संख्या 535 से संबंधित राजस्व रेकर्ड हाल खसरा नम्बर 339, 718/349, 351, 148, 715/349, 719/351, 716/339 व 717/339 वाके मौजा बाडाणी तहसील नागौर की पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर तहसीलदार नागौर विकल्प में सहायक कलक्टर नागौर को पत्रावली रिमाण्ड कर वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलान्ट सहित रेस्पोडेन्ट्स सभी भाईयों के बंट में बराबर-बराबर भूमि सभी बंट के रास्ता लगते हुए रखकर भौतिक विभाजन कर खातेदारी अलग-अलग खाता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील श्री श्याम कुमार व्यास ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (1) पेज-283-285, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज-658-661 पेश किये।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम बाडाणी के वादग्रस्त खसरान भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 सह खातेदार रहे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 द्वारा आपसी सहमति से उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने अपने हक में खसरा नम्बर 339 व खसरा नम्बर 603/348 में से कुल रकबा 13-15 बीघा भूमि अपीलान्ट ने अपने बंट में रखने की सहमति दी है एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने अंगूठा निसान किये है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थीगण अर्थात् अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित हुए एवं इनके द्वारा उक्त बंटवारे से सहमति देने पर बंटवाड़ा आदेश जैर अपील दिनांक 20.12.2010 स्वीकार किया गया है, जो बंटवाड़ा आदेश का अवलोकन से भी स्पष्ट है। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने का अपीलान्ट का कथन पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है। उक्त बंटवाड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर करवा लेने बाबत जानकारी 10 वर्ष पश्चात् होना भी कतई विश्वसनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा आदेश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1

से 4 की उपस्थिति में इनकी सहमति से ही किया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट बंटवाड़ा आदेश अनुसार ही मौके पर काबिज है. अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि वह आज दिन अपीलान्ट अपने कथनानुसार 26-5 बीघा भूमि पर काबिज हो।

दौराने बहस वकील श्री श्याम कुमार व्यास बहस जारी रखते हुए कथन किया कि उक्त बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 से एक दिन पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को त्रूटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलान्ट को धोखे में रखकर व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्व शिविर दिनांक 20.12.2010 में हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने मिलकर एक दिन पूर्व अर्थात् 19.12.2010 को सम्पर्क किया था, तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त नक्शा की नकल तैयार की, जिस पर पटवारी गोगेलाव के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 19.12.10 अंकित की गई, जो सही है। परन्तु उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपने अंगूठा निशान तहसीलदार नागौर के समक्ष बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को ही किये गये हैं। उक्त नक्शा पर तहसीलदार नागौर द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। तहसीलदार नागौर के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.12.10 अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार नागौर ने भी उक्त नक्शा पर अपने हस्ताक्षर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अंगूठा निशान करने के बाद ही बंटवाड़ा आदेश की दिनाँक 20.12.2010 को ही अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अंगूठा निशान के नीचे भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसके अलावा उक्त नक्शा भी बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 के अनुसार ही होने से वकील अपीलान्ट द्वारा नक्शे के संबंध में उपर्युक्तानुसार किये गये कथन मिथ्या, गलत व बनावटी होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील श्री श्याम कुमार व्यास ने बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011 (1) पेज-57-64 पेश किया।

राजपैरोकार ने बहस में वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का समर्थन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील बंटवाड़ा अपीलान्ट की उपस्थिति में उसकी सहमति के आधार पर किया गया है, जो उचित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत

न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम बाड़ाणी के खसरा नम्बर 148, 339, 349, 351 व 603/348 किस्म बाराणी-2 कुल रकबा 131-05 बीघा भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 सहखातेदार रहे हैं। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने स्वयं के हक में खसरा नम्बर 339 व 603/348 में से कुल रकबा 13-15 बीघा भूमि अपीलान्ट ने अपने बंट में रखने की सहमति दी है एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने अंगूठा निशान किये हैं। पटवारी गोगेलाव व भू-अभिलेख निरीक्षक अलाय की रिपोर्ट के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थीगण अर्थात् अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित हुए एवं इनके द्वारा उक्त बँटवारे से सहमति देने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश जैर अपील दिनांक 20.12.2010 पारित किया गया है, जो आदेश जैर अपील बंटवाड़ा का अवलोकन से भी स्पष्ट है। इसलिए अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त बंटवाड़ा आदेश पारित होने के पश्चात् अब करीब 9 वर्ष बाद, अपीलान्ट द्वारा यह कथन करना कि उक्त बंटवाड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर करवा लिया है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा आदेश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 की उपस्थिति में इनकी सहमति से ही किया है, जो उचित है। अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि वह आज दिन माफिक बंटवाड़ा मौके पर काबिज नहीं होकर अपने कथनानुसार 26-5 बीघा भूमि पर काबिज हो। अपीलान्ट ने हस्तगत प्रकरण में आदेश जैर अपील बंटवाड़ा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा उसे धोखे में रखकर करवाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाणित कथनों/साक्ष्य से साबित नहीं किया है।

उक्त बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 से एक दिन पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को त्रुटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलान्ट को धोखे में रखकर व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम कुमार व्यास का कथन कि राजस्व शिविर दिनांक 20.12.2010 में हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने मिलकर एक दिन पूर्व अर्थात्

19.12.2010 को सम्पर्क किया था, तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त नक्शा की नकल तैयार की, जिस पर पटवारी गोगेलाव के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 19.12.10 अंकित की गई, जो सही है। परन्तु उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपने अंगूठा निशान तहसीलदार नागौर के समक्ष बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को ही किये गये हैं, उक्त नक्शा पर तहसीलदार नागौर द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये हैं, तहसीलदार नागौर के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.12.10 अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार नागौर ने भी उक्त नक्शा पर अपने हस्ताक्षर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अंगूठा निशान करने के बाद ही बंटवाड़ा आदेश की दिनांक 20.12.2010 को ही अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अंगूठा निशान के नीचे भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसके अलावा उक्त नक्शा भी बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 के अनुसार ही होने से वकील अपीलान्ट द्वारा नक्शे के संबंध में उपर्युक्तानुसार किये गये कथन मिथ्या, गलत व बनावटी होना बताया है। इस प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम कुमार व्यास का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील बंटवाड़ा उचित होने में से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकॉर्ड भिजवाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

ह0/-

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर, नागौर

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (भरतपुर) पर चयनित प्रविष्टि-1)

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 01/2020

GCMS ID - 2020/00001

तारीख रजु - 06.01.2020

आम नागरिक एवं वासिन्दान ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) जरिये

1. राजवीर सिंह पुत्र कमल सिंह आयु 65 साल जाति राजपूत
2. कुंवरपाल पुत्र जगदीश सिंह, आयु 49 साल जाति राजपूत
3. जोगेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, आयु 48 साल जाति राजपूत
4. मानसिंह पुत्र सुजान सिंह आयु 70 साल जाति राजपूत
5. गिर्राज प्रसाद पुत्र प्रभूलाल आयु 56 साल जाति ब्राह्मण
6. उदय सिंह पुत्र गुलाब सिंह आयु 70 साल जाति राजपूत
7. गोविन्द सिंह पुत्र जगदीश सिंह आयु 45 साल जाति राजपूत
8. विजयपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह आयु 45 साल जाति राजपूत
9. दुर्गा पुत्र चिरंजी आयु 70 साल जाति प्रजापत
10. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल आयु 58 साल जाति जाटव
11. विष्णु शर्मा पुत्र प्रहलाद आयु 35 साल जाति ब्राह्मण।

[सभी निवासीयान बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)]

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. विट्टी देवी पत्नी स्व. पूरनसिंह आयु 66 साल जाति राजपूत निवासी बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)
2. ग्राम पंचायत फतेहपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)
3. सचिव ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)

.....अप्रार्थीगण

निगरानी धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994 व नाराजगी पट्टा एवं आदेश दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत फतेहपुर पंचायत समिति करौली एवं रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 बाबत् भूमि खसरा नंबर 2677 ग्राम बखतपुरा व ग्राम पंचायत फतेहपुर तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.)

निर्णय

दिनांक : 01.12.2020

यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 2677 किस्म आबादी बाके ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील मासलपुर जिला करौली में ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा पंचायतीराज नियमों के नियम 157 (1) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थियान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति मय टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति निगरानी प्रार्थना पत्र पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर जिसकी पंचायत समिति करौली जिला करौली है, का पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2019 की पालना में अप्रार्थी नं. 1 विट्टी देवी पत्नी स्व. पूरनसिंह जाति राजपूत निवासी बखतपुरा के हक में खसरा नंबर 2677 की भूमि का 133.33 वर्गगज भूमि का जारी किया गया है, वह पूर्णतया विधि विरुद्ध, आर्वीट्रेरी है, सही नहीं है, अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 विट्टी देवी 66 वर्ष की अवस्था की है और वह अपने पुश्तैनी भवन में जो अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व. पूरन सिंह का पुस्तैनी है, विवाह के बाद से ही निवास करती आ रही है। आज भी उसी भवन में निवास कर रही है। वह गृहहीन नहीं है एवं ग्राम बखतपुरा में उसकी खातेदारी की कृषि भूमि भी है जिन पर वह काबिज है। अप्रार्थी नं. 1 विट्टी देवी के पति का स्वर्गवास हो गया है। अप्रार्थी नं. 1 भवनहीन नहीं है। वह अपने पति के साथ विवाह के बाद से ही जगदीश सिंह व फतेह सिंह के मकान के पास में जो भवन अप्रार्थी नं. 1 है, उसमें रह रही है। वह भवन पट्टाकृत भूमि से करीब एक किलोमीटर दूरी पर है। पट्टाकृत भूमि में कोई भवन पचासों वर्षों से निर्मित नहीं रहा है और यह भूमि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा निवास के उपयोग में नहीं रही है। इस भूमि में कोई पुराना भवन नहीं है ना ही कभी रहा है अप्रार्थी

नं. 1 के हक में जारी पट्टा नियम 157 (1) के तहत पूर्णतया अवैध है, मनमाना है, सही नहीं है। पट्टा बहक अप्रार्थी नं. 1 विट्टी देवी अपास्त किये जाने योग्य है। नियम 145 एवं 146 एवं 148 राजस्थान पंचायतीराज नियम की कोई पालना विधिवत् तौर पर नहीं की गयी है ना ही नियम 157 की कोई पालना की गयी है। इस प्रकार पट्टा जारी दिनांक 20.09.2019 ग्राम पंचायत फतेहपुर अप्रार्थी संख्या 2 अवैध होने से सही नहीं होने से मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अवैध आदेश बाबत् जारी किये जाने पट्टा है। तब रजिस्ट्रेशन ऐसे वैध पट्टे का हो जाने से वह पट्टा विधिवत् नहीं हो जाता है, सही नहीं हो जाता है। इस पट्टे का रजिस्ट्रेशन ऐसी स्थिति में कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है, कोई महत्त्व नहीं रखता है। वैसे भी पट्टे का रजिस्टर्ड होना राजस्थान में आवश्यक नहीं है। ऐसी मान्यता माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रदान की है। अप्रार्थी संख्या 1 विट्टी देवी स्वयं ही 66 वर्ष की है तब उसका 50 वर्ष से अधिक का 70 वर्ष का सन् 2016 में कब्जा होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं अप्रार्थी नं. 1 की शादी को हुये अभी 40 साल ही हुये है। नियम 157 की भी कोई पालना विधिवत तौर पर पट्टा जारी होने में नहीं की गयी है। पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2019 भी पूर्णतया अवैध है, सही नहीं है, मनमाना है। पट्टाकृत भूमि में कोई पुराना भवन नहीं है अप्रार्थी नं. 1 द्वारा 1996 से 50 वर्ष पूर्व निर्माण करने का कोई प्रश्न नहीं है। दिनांक 20.09.2019 के दिवस पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत नियम 145 से 149 एवं 157 की विधिवत् पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी नं. 1 के हक में जारी पट्टा भूमि एवं उसके पुत्र वीरभान सिंह पुत्र स्व. पूरनसिंह के हक में जारी पट्टाकृत भूमि ग्राम बखतपुरा की आम नागरिकगण के सार्वजनिक उपयोग में 50 वर्ष पूर्व से आ रही है जिसमें मोहल्ले में आने वाली बारातों को ठहरने के लिये ग्रामीणों द्वारा सामूहिक उपयोग के लिये एवं बारातों के भोजन के उपयोग के लिये, गाँव में होने वाली मीटिंग के लिये, पड़ौस में स्थित विद्यालय के विद्यार्थियों के खेलने के लिये सभी नागरिकगण के उपयोग में सार्वजनिक हित में आ रही है एवं कुंवरपाल सिंह वगै. की कृषि भूमि का आवागमन भी इसी भूमि में होकर है। इस आवंटन से ग्राम बखतपुरा के नागरिकगण भी प्रभावित है, उनके हक हकूक आहत है। अप्रार्थी नं. 1 ने व अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र वीरभान सिंह ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से साजिश कर यह साजिशी पट्टे प्राप्त किये है। ग्राम पंचायत ने इस स्थिति को भी नजरअंदाज कर पट्टा जारी किया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। श्रीमान् को किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर एवं स्वप्रेरणा से भी ऐसे अवैध पट्टा व आदेश के विरुद्ध रिकॉर्ड तलब कर निगरानी सुनवाई का अधिकार हासिल है। इस भूमि के बगल में दुर्गा प्रजापत, विष्णु ब्राह्मण की मकानीयत है एवं राजवीर सिंह की भी भूमि स्थित है। इस पट्टा की भूमि आम नागरिकगण एवं मौहल्ला प्रजापत जाति के सभी नागरिकगण के सार्वजनिक उपयोग

की भूमि है। इस पट्टाकृत भूमि में कभी भी कोई भवन व निवास विपक्षी नं. 1 का नहीं रहा है। उक्त पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 विट्टी देवी व उसके पति इसी प्रकार से भूमियों का आवंटन कराकर विक्रय करते रहे हैं और अनुचित धन लाभ अर्जित करते रहे हैं। प्रार्थीगण को उक्त पट्टा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 के दिवस सबरजिस्ट्रार मासलपुर में होने के बाद दिनांक 17.12..2019 को जानकारी हुयी और दिनांक 18.12.2019 को इस पट्टा दिनांक 20.09.2019 मय रजिस्ट्रेशन नकल प्राप्त की है, दिनांक 20.09.2019 के दिवस से दिनांक 18.12.2019 तक की अवधि की जानकारी के अभाव में कण्डौन (क्षम्य) किये जाने योग्य है और रजिस्ट्रेशन दिवस दिनांक 13.12.2019 होने पर एवं जानकारी पट्टा दिनांक 18.12.2019 से यह निगरानी अंदर मियाद प्रस्तुत है। मामला मैरिट पर निगरानी मजबूत है स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण इस पट्टाकृत भूमि को दीगर व्यक्तियों को बलशाली व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थी नं. 1 ने लोगों से विक्रय की बातचीत प्रारंभ कर दी है। निगरानी के निर्णय होने में समय लगेगा, तब तक विपक्षी नं. 1 को उक्त पट्टाकृत भूमि को हस्तांतरण नहीं करने व हस्तांतरण दस्तावेज पंजीयन नहीं कराने को निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीयान ने उक्त अवैध पट्टा जारी होने की स्थिति से निवेदन किया है, श्रीमान् द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुर से इस पट्टा बाबत आवेदन एवं उसके बाद की गयी समस्त कार्यवाही संकल्प रजिस्टर आदि तलब कर विपक्षी नं. 1 से असल पट्टा रजिस्ट्रेशन दस्तावेज असल तलब कर पट्टा दिनांक 20.09.2019 रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.12.2019 के बाबत समुचित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने आपत्ति निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नं. 2677 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। अप्रार्थिया विवादित खसरा नं. पर अपने ससुर व पति पूरन सिंह के समय से उक्त आबादी भूमि पर काबिज है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है और पट्टा जारी करते समय धारा 157 की पूर्ण पालना की जाकर पट्टा जारी किया गया है जो वैधानिक है। अपने भवन से 1 किलोमीटर दूरी का कोई प्रमाण न होते हुए भी तथा दूरी के आधार पर पट्टा निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टा रजिस्टर्ड है। इसको वैधानिक तौर पर निरस्त करने का एक मात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। अदालत हाजा तो अख्तयार समाअत के बाहर है। निगरानी कर्त्ता के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। केवल राजनैतिक द्वेषता के कारण गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद पट्टा रजिस्टर्ड कराया है। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की भूमि बाबत्

दीगर किसी व्यक्ति का कब्जे के आधार पर आवेदन न होने पर धारा 197 के आधार पर आवश्यक फीस जमा कर विधिवत् पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त निगरानी धारा 137 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत क्षमा योग्य नहीं है। आम ग्रामवासी बखतपुरा वालों के कोई हित प्रभावित नहीं होते हैं। अप्रार्थीया बी.पी.एल. की सदस्य है। इस तथ्य को ग्राम पंचायत द्वारा मद्देनजर रखते हुए विधिवत पट्टा जारी किया गया है। निगरानी के दर्ज तथ्यों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं करने के कारण भी निगरानी खारिज होने योग्य है। धारा 97 के अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियों को जिला कलक्टर को भी प्रत्यायोजित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 139 (5) परावि/शिक्षा/2000/294, दिनांक 01.02.2002 के द्वारा पूर्व अधिसूचना जिसके तहत जिला कलेक्टर को धारा 97 के अंतर्गत शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी, को अधिक्रमित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप जिला कलक्टर 01.02.2000 के पश्चात् धारा 97 के अंतर्गत शक्तियाँ प्रयोग करने के लिये अधिकृत नहीं है। आम वासिन्दा के ये लोग निगरानीकर्त्ता भूमाफिया है तथा गरीबों की जमीन को हड़पने पर तुले हैं। उक्त निगरानी में कोई बल नहीं पाया जाता है। इसलिये निगरानी हर हाल में निरस्त योग्य है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का कथन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली को संबोधित पत्र क्रमांक-एस.पी.एल. 2 दिनांक 22.09.2020 में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा दिनांक 20.09.2019 को खसरा संख्या 2677 में 133.33 वर्गगज आवासीय भूमि का पट्टा जारी नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। पट्टाकृत भूमि का निरीक्षण दिनांक 18.09.2020 को ग्राम रोजगार सेवक श्री धर्मेन्द्र सिंह जादौन के साथ करने पर मौके पर एक अस्थाई टीनशैड झोंपड़ी टाइप बनी हुई है जिसकी बिना सीमेन्ट बजरी के सूखी चुनाई की दीवार बना रखी है। पटवारी से भूमि की पहचान के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि को आबादी भूमि में बताया है। जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की छायाप्रति संलग्न है। नियम 145 के अंतर्गत क्रय के लिए आवेदन नियम 146 के अंतर्गत स्थल निरीक्षण एवं नियम 148 के अंतर्गत आक्षेप आमंत्रण का नोटिस जारी करने का प्रावधान है। आवेदन पत्र स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं आपत्ति आह्वान पत्र आदि संलग्न है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली ने पत्रांक-पंसक/कोर्टकेस/2020/1122, दिनांक 21.10.2020 से सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली द्वारा दिनांक 21.10.2020 को की गई जाँच की रिपोर्ट प्रेषित की है जिसके अनुसार अनुसार सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के साथ दिनांक 21.10.2020

को मौका देखा गया। मौके पर उपस्थित लोगों विरजू पुत्र चिरंजी प्रजापत व महेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत निवासी बखतपुरा के बयान दर्ज किये गये। ग्रामवासियों के बयान, मौका निरीक्षण तथा ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार–1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी दोनों पट्टों में आम रास्ता पूर्व दिशा में दिखाया गया जबकि मौके पर आम रास्ता उत्तर दिशा में है। 2. स्थानीय निवासी दुर्गा प्रजापत के घर को जाने वाला रास्ता पश्चिम दिशा में है जबकि पट्टे में यह प्रदर्शित नहीं है। इससे विवादित भूमि के दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों का रास्ता बाधित होता है। विवादित भूमि पर विट्टी देवी/पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी बखतपुरा एवं वीरभानसिंह पुत्र पूरण सिंह जाति राजपूत निवासी बखतपुरा काबिज है। उक्त जारी किये गये पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। नियम 157 (1) की पालना नहीं करते हैं।

आराजी खसरा नं. 2677 किस्म आबादी बाके ग्राम बखतपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुर, तहसील मासलपुर जिला करौली में ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है एवं दिनांक 13.12.2019 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है। उक्त पट्टे के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है उक्त धारा के तहत शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के अधिकार को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 139 (5) परावि/शिक्षा/2000/294, दिनांक 01.02.2002 के द्वारा अधिक्रमित कर लिया गया है एवं दिनांक 01.02.2002 के पश्चात् जिला कलक्टर धारा 97 के अंतर्गत शक्तियाँ प्रयोग करने के लिये अधिकृत नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ. 4 (10) पंरावि/विधि/संशोधन/2004/3690,दिनांक 31.12.2004 के द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 01.02.2002 द्वारा अधिक्रमित की धारा 97 की शक्तियाँ (पंचों को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा) पुन: उसी दिनांक 01.02.2002 से पुनर्स्थापित कर दी गई हैं। अत: इस प्रकरण में जिला कलक्टर को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार है। विवादित भूमि, आबादी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास अन्य भवन है जिसमें वह निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 की शादी को लगभग 40 वर्ष हुए हैं जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा 50 वर्ष पूर्व का नहीं हो सकता। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली की जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी दोनों पट्टों में आम रास्ता पूर्व दिशा में दिखाया गया जबकि मौके पर आम रास्ता उत्तर दिशा में है। स्थानीय निवासी दुर्गा प्रजापत के घर को जाने वाला रास्ता पश्चिम दिशा में है जबकि पट्टे में यह प्रदर्शित नहीं है। इससे विवादित

भूमि के दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों का रास्ता बाधित होता है। उक्त जारी किये गये पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार जारी नहीं किये गये हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय नक्शा सही नहीं बनाया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम 157 (1) की पूर्ण पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हम पट्टे को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अत: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया पट्टा संख्या 2 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह0/-
(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (भरतपुर) पर चयनित प्रविष्टि-2)

न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 27/2016

GCMS ID - 2016/00075

तारीख रजु - 09.11.2016

राजेन्द्र सिंह पुत्र उदयसिंह उम्र 55 साल जाति जाट निवासी हुकमीखेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) हिण्डौन जिला करौली (राज.)
2. अतरसिंह पुत्र राजाराम उम्र 82 साल जाति जाट निवासी हुकमीखेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)

.....प्रत्यर्थीगण

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 27.09.2016 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलक्टर) हिण्डौनसिटी तहत धारा 23 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

निर्णय

दिनांक : 15.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी की भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेड़ा की मतदाता सूची में तत्कालीन समय में क्रम संख्या 550 पर दर्ज स्वयं के नाम में स्वयं की बल्दियत (पिता का नाम राजाराम के स्थान पर प्रभु) संशोधित करवाये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी के कार्यालय में प्ररूप 8 में आवेदन पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आवेदन को दिनांक 30.12.2013 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का आदेश अपास्त किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29.12.2014 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण की पुनः सुनवाई की गई एवं अपने आदेश दिनांक 27.09.2016 में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपने पूर्ववर्ती

आदेश दिनांक 3012.2013 को यथावत रखा गया। उक्त आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हिण्डौन सिटी के द्वारा रेस्पोंडेण्ट नं. 2 अतरसिंह की मतदाता सूची ग्राम हुकमीखेड़ा भाग संख्या 42 के क्रमांक संख्या 550 में अतरसिंह की बल्दीयत (सन ऑफ) राजाराम के स्थान पर प्रभू संशोधन किया है। वह आदेश दिनांक 30.12.2013 जो प्रारूप 8 नियम 13 (3) पर दिया गया है, उसे यथावत् रखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। यह आदेश पूर्णतया आरबिट्रेरी है। पत्रावली पर जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसके विपरीत है। अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम है। अतरसिंह के पिता का नाम प्रभू सिंह नहीं है। पूर्व अपील राजेन्द्रसिंह बनाम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में प्रकरण संख्या 038/2014 में अपीलाण्ट ने दस्तावेज पेश किये हैं जो अपील स्वीकार कर रिमाण्ड हुई है। पूर्व में भी ऐसे आवेदन रेस्पोंडेण्ट अतरसिंह वर्ष 1965, 1969 में 1973 में वर्ष 2007 में वर्ष 2010 में खारिज किये गये हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.12.2013 को निरस्त नहीं करने में, यथावत् रखने में, कानूनी भूल की है। पूर्व में भी दिनांक 23.02.2004 को निर्णय अपील से हुआ था। दिनांक 08.03.2004 को अपील अतरसिंह खारिज हुई है। अपील संख्या 76/2004, दिनांक 29.05.2005 के दिवस वापिस की गई। वर्ष 2007, 2009, 2008, 2010, 2011, 2012 एवं 2014 की नामावली निर्वाचन में अतरसिंह की बल्दियत (सन् ऑफ राजाराम) ही दर्ज है। इस प्रकार दिनांक 27.09.2016 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय आरबिट्रेरी है। विधिसम्मत नहीं है। अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बी.एल.ओ. की राय लिये बगैर सहमति के फार्म 8 को स्वीकार किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। निर्वाचन नियमों के विपरीत है। अपास्त योग्य है। दिनांक 27.09.2016 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विवेचन निर्णय किया है जो मात्र वसीयत के आधार पर है जो भौती बेवा राजाराम जाट की वसीयत के संबंध में है जो पूर्णतया असत्य है क्योंकि यह वसीयत अतरसिंह की जन्मदाता माता ने की है जो माँ-बेटा की षड्यन्त्र से की गई कार्यवाही है। अतरसिंह एवं उसकी माता भौती दोनों ही मिलकर प्रभु की जायदाद जमीन को हड़पना चाहती है जबकि सन् 1965 में स्वयं अतरसिंह ने अपने आपको राजाराम का पुत्र माना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज अपनी अपील में पेश किये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं, उनका अपने निर्णय में लेश मात्र भी विवेचन नहीं किया है जिससे स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय आरबिट्रेरी तौर पर रेस्पोंडेण्ड नंबर 2 को परिवरिश करते हुए पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने

योग्य है। जब एक बार प्रारूप-8 निरस्त हो गया, तब दोबारा हर बार वही स्थिति पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। प्रभू का पुत्र होने का कोई जन्म प्रमाण-पत्र अतरसिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतरसिंह का पिता प्रभू नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने उक्त प्रकरण जैर अपील को अन्यत्र न्यायालय स्थानांतरण करने का आवेदन किया हुआ था कि अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आरबिट्रेरी तौर पर संभावना रखते हुए निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.09.2016 के दिवस का है। नकल निर्णय को आवेदन दिनांक 04.10.2016 की दिवस किया गया है। नकल दिनांक 16.10.2016 को तैयार होकर दिनांक 17.10.2016 को प्राप्त हुयी है। नकल में लगने वाले समय को अपवर्जित करते हुए अपील अंदर मियाद पेश है। अंत में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2016 अपास्त किया जाकर रेस्पोंडेण्ट नंबर 1 द्वारा प्रारूप 8 मतदाता सूची शुद्धिकरण आदेश दिनांक 30.12.2013 जो रेस्पोंडेण्ट नंबर 2 के आवेदन पर किया गया है, उसे भी अपास्त किया जाकर रेस्पोंडेण्ट नंबर 1 को आदेशित किया जावे कि वह मतदाता सूची विधानसभा वर्ष 2014 एवं भविष्य में किये गये इन्द्राज विधानसभा क्षेत्र 082 हिण्डौन की भाग संख्या 42 क्रमांक 550 पर दर्ज किये गये हैं उन्हें निरस्त किया जाकर अतरसिंह की बल्दियत राजाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मियाद के बिन्दु पर ऐतराज पेश करते हुए निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपीलान्ट ने दिनांक 27.09.2016 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपजिला कलक्टर हिण्डौन सिटी के आदेश के विरुद्ध पेश की है। अपीलाण्ट के वकील श्री रमेश गुप्ता एडवोकेट हिण्डौन सिटी ने आदेश दिनांक 27.09.2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि आवेदन पत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 04.10.2016 को पेश किया गया था जिस पर संबंधित न्यायालय के कार्यालय ने दिनांक 06.10.2016 को प्रतिलिपि तैयार होने पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराये। दिनांक 06.10.2016 को नकल तैयार होने की तारीख को अपीलाण्ट एवं तेजसिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह ने साज कर दिनांक 06.10.2016 नकल तैयार करने की तारीख को जालसाजी से पहले 6 को एक बनाने की कोशिश की, फिर 6 के पीछे 1 बढ़ाकर 16 व 11 तारीख म्याद की दृष्टि से वैल्यूएबिल राईट प्राप्त करने की दृष्टि से जालसाजी की है। इसकी नकल में दिनांक 16.10.2016 को रविवार का अवकाश था।

हकीकत यह है कि दिनांक 06.10.2016 को तैयार नकल पर अपीलाण्ट व उसके ताऊ के लड़के तेजसिंह ने मिलकर फर्जी कार्यवाही की है। मूल प्रार्थना पत्र नकल अपीलाण्ट चुनाव शाखा हिण्डौन की कस्टडी में है। अंत में इस जालसाजी की रिपोर्ट मय मूल दस्तावेज मंगाकर अपील में मियाद के बिन्दु पर बहस सुनकर आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

उक्त ऐतराज पर अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 वेग व निराधार है। मुकदमे को देरीना करने को पेश किया है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 की प्रमाणित प्रति जो पेश की है इसमें अपीलाण्ट व उसके भतीजे तेजसिंह द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है जो नकल जैसी अपीलाण्ट को मिली है वह उसने पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर नहीं होकर मियाद में है। आवेदन रेस्पोंडेण्ट नं. 2 खारिज किये जाने योग्य है। अत: जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदन रेस्पोंडेण्ट नं. 2 खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि माननीय न्यायालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 23.02.2004 को यह निर्णय पारित किया गया है कि अतरसिंह, राजाराम का ही पुत्र है। इस निर्णय की अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की गई जो अभी तक विचाराधीन है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु स्वीकार किया गया जिसकी अपील किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त आदेश को अपास्त कर उभयपक्षकारान को पुन: सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु आदेशित किया जाकर पुन: निर्णय पारित किये जाने के लिए आदेशित किया गया, जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह के पिता का नाम प्रभु ही यथावत् रखा गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 23.02.2004 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम स्वीकार किया गया है। इसलिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2016 Res-Judicata की श्रेणी में आता है। सिविल कोर्ट ने अपने आदेश को सहकारी समिति में की गई प्रविष्ठियों तक ही सीमित रखा है। सिविल कोर्ट के निर्णय की अपील की जा चुकी है जो अभी लंबित है। सन् 1959 की सहकारी समिति की मतदाता सूची एवं सहकारी समिति से लिये गये ऋण दस्तावेजों में भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता

का नाम राजाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम ही है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान कथन किया है कि मतदाता रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के नियम 13 (3) के तहत मतदाता सूची में की गई प्रविष्ठियों में वही व्यक्ति आक्षेप कर सकता है जिससे वह प्रविष्ठि संबंधित हो। विधानसभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी के भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेड़ा की तत्कालीन मतदाता सूची की क्रम संख्या 550 का अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं है। इसलिये अपीलार्थी को उक्त प्रविष्ठि पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। सन् 1971 से 1999 तक की मतदाता सूचियों में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह की बल्दियत (पिता का नाम) प्रभु ही रहा है। अपीलार्थी द्वारा कई बार बल्दियत में नाम संशोधित करने हेतु (प्रभु के स्थान पर राजाराम) आवेदन किये गये लेकिन वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा खारिज किये हैं। इसी संबंध में सन् 1999 व 2000 के निर्णय भी अपीलार्थी के विरुद्ध रहे हैं जिनकी कोई अपील अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। इसलिये इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा किये गये संशोधन भी Res Judicata की श्रेणी में आते हैं। राजाराम एवं प्रभु भाई रहे हैं। राजाराम के केवल एक ही पुत्री रही है एवं कोई पुत्र नहीं रहा है। राजाराम की पत्नी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम वसीयत की है जिसे अपीलार्थी गोदनामा बताता रहा है। राजाराम की पत्नी ने भी अपने वसीयत में प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने पति के भाई का पुत्र ही माना है। स्वयं का पुत्र नहीं माना है। दिनांक 23.02.2004 के निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सन् 1971 से 1999 तक की मतदाता सूचियों में प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम अतरसिंह पुत्र प्रभु ही रहा है। सहकारी समिति में की गई प्रविष्ठियों का निर्वाचन मतदाता सूची की प्रविष्ठि पर प्रभाव लागू नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह को राजाराम द्वारा गोद लिया गया हो। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मियाद बाहर जाकर अपील पेश की गई है जिससे यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये गये योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस के उपरान्त अपीलार्थी ने लिखित पेश कर निवेदन किया है कि निर्वाचन अधिकारी हिण्डौन के समक्ष विपक्षी अतरसिंह ने अपने पुत्र कुँवर सिंह पटवारी (राजस्व पद) जो हिण्डौन तहसील में कार्यरत रहते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया। ट्रेप के बाद जिसका पदस्थापन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय करौली के भू-अभिलेख अनुभाग कमरा नं. 132 में किया गया। इसके उपरांत अपने पिता अतरसिंह के द्वारा प्रार्थियों पर

किये गये झूंठे केसों में साँठ–गांठ कर जुगाड़ बैठाना तथा उसके बाद तहसील व मुंसिफ कोर्टों के चक्कर लगाता रहता, के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी से मिलीभगत कर गलत तथ्य प्रस्तुत करके एवं प्रस्तुत पूर्व में किये गये प्रार्थी के पक्ष में श्रीमान् जिला कलेक्टरों के निर्णयों को एवं निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को छिपाकर आनन–फानन में विधि विरुद्ध निर्णय पारित कराकर न्यायोचित कार्य नहीं किया गया है। निर्वाचन विभाग में सभी पुरानी निर्वाचक नामावलियों में जैसे सहकारी समिति हुक्मीखेडा की वोटरलिस्ट की क्रम सं. 361 पर दिनांक 15.12.59 में, निर्वाचक नामावली पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 की क्र.सं. 71 पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति की वोटर लिस्ट क्र.सं. 22 एवं खाता संख्या 32 पर वर्ष 2006 की ऋणी सदस्यों की वोटरलिस्ट ओ.बी.सी. वर्ग में, हुक्मीखेडा के राजस्व नामांतरकरण संख्या 60 पर दिनांक 12.12.59 से, राजस्व जमाबंदी हुक्मीखेडा सम्वत् 2018 से 2021 में अतरसिंह पुत्र राजाराम है। इसी क्रम में निर्वाचक नामावलियों में भी अतरसिंह पुत्र राजाराम लगातार चला आ रहा है। अत: रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के बावजूद निर्वाचन अधिकारी द्वारा इससे पूर्व श्रीमान् जिला कलेक्टरों के निर्णय प्रार्थी के पक्ष में होते हुए भी तथा अपने पूर्व निर्वाचन अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.02.2004 प्रार्थी के पक्ष में होते हुए भी प्रार्थी के विरुद्ध वद्यांति पूर्वक नया निर्णय देकर अपने पद पर दुरुपयोग कर घोर अन्याय किया है। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा शुरू से ही निर्वाचक अधिकारियों के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जिनमें पिछले 65 वर्षों से लगातार अतरसिंह ने अपने पिता का नाम सभी उपरोक्त दस्तावेजों में राजाराम लिखाया जाकर समस्त कार्य उसी आधार पर किये है। अत: रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विरुद्ध जाकर निर्णय के कारण निर्णय करने के कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2016 खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी अतरसिंह बचपन में ही राजाराम के गोद चला गया था। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने के बाद अपने प्राकृतिक पिता प्रभु की सम्पत्ति में से प्रार्थियों से पूर्व साजिश के तहत बेईमानी करके जमीन को हड़पना चाहता है। इसलिए षड्यंत्र रचकर कभी ग्राम सेवा सहकारी समिति हुक्मीखेड़ा के रिकॉर्ड में, कभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के यहाँ निर्वाचक नामावली में नाम बदलवाने हेतु फार्म 8 भरकर अतरसिंह पुत्र राजाराम के स्थान पर अतरसिंह पुत्र प्रभु करवाया। इससे पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन की अदालत में मुकदमा नं. 454/06 में अतरसिंह बनाम मलूकचंद में श्रीमान् न्यायिक मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब हिण्डौन ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2010 में अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत यथावत रखी गई। अपने जीवित काल में ही सहकारी समिति हुक्मीखेडा का रिकॉर्ड न्यायालय में तलब करके मलूक चंद के समय में ही फैसला सुनाया गया। आक्षेप फार्म 8 के विरुद्ध अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह ने जिला कलक्टर करौली के समक्ष अपील संख्या 9/02 प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर

साहब ने दिनांक 02.09.2002 में प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाकर पुन: निर्वाचन अधिकारी को प्रकरण की सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया जिसमें सभी दस्तावेजों तथा साक्ष्य लेकर श्रीमान् निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हिण्डौन ने अपनी अपील संख्या 01/2002 में विस्तृत निर्णय दिनांक 23.02.2004 प्रार्थी के पक्ष में अतरसिंह पुत्र राजाराम किया गया। इस आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका 2960/04 अतरसिंह बनाम जिला कलेक्टर करौली वगैरह प्रस्तुत की जिसमें श्रीमान् के एस. राठौड़ जज साहब ने निर्णय दिनांक 25.01.05 में अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय सुनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पुन: निर्वाचक अधिकारी ने अपने नोटशीट दिनांक 15.03.2005 में अतरसिंह की बल्दियत राजाराम के आदेश दिये गये थे और याचिका आज तक लम्बित (पैंडिंग) है। इस प्रकार अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जावेगा। ऐसी परिस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय कोई न्यायालय नहीं कर सकता परन्तु वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ निर्वाचक अधिकारी (एस.डी.एम.) हिण्डौन सिटी के अपील आदेश दिनांक 27.09.2016 गैर कानूनी होने से खारिज होने योग्य है। निर्वाचक अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण गैर कानूनी निर्णय कर अपने पद का दुरुपयोग किया है क्योंकि दिनांक 05.12.2007, 24.06.2010 तथा 14.11.2010 को अतरसिंह द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 8 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण के आधार पर ही निर्वाचक अधिकारी ने खारिज किये गये हैं। उसके बाद 30.12.2013 को फॉर्म नं. 8 किस आधार पर स्वीकार कर लिया गया था। अतरसिंह के लड़के कुँवर सिंह पटवारी के द्वारा जानबूझकर एवं गुमराह कर अपनी ही राईटिंग से प्रार्थना पत्र में लिखा गया कि ''श्रीमान्जी कुछ दिन पूर्व मेरे पिता की बल्दियत गलत कर दी गई हैं व गलत चल रही है'' जबकि बल्दियत का निर्णय कोर्टों के निर्णय से चल रहा था लेकिन बल्दियत किस आधार पर बदली गई, ये समझ से परे है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर के यहाँ अपील संख्या 38/2014 प्रस्तुत की गई जिसमें निर्वाचक अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.12.13 खारिज कर श्रीमान्जी द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.14 को सुनाया जाकर पुन: निर्वाचक अधिकारी को प्रकरण की सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया लेकिन श्रीमान्जी के निर्णय की पालना में पुन: बल्दियत राजाराम नहीं की गई उसके बाद सुनवाई की जाती। श्रीमान्जी के निर्णय दिनांक 29.12.14 के पूर्व जो अतर सिंह के लड़के कुँवर सिंह पटवारी के द्वारा पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार के माध्यम से जो जाँच रिपोर्ट सबूत वास्ते फर्जी बनाकर पेश की गई तथा इसी प्रकार 08.12.14 में आक्षेप फॉर्म भी फर्जी है क्योंकि ज्वाला सिंह बनाम अतर सिंह में राजेन्द्र को उपस्थित बता रखा है तथा राजेन्द्र सिंह बनाम अतर सिंह में ज्वाला को उपस्थित बता रखा है। ये

सब मिलीभगत कर एक फर्जी दस्तावेज इकट्ठा कर एक मोटी फाईल कर अधिकारी को भ्रमित कर गुमराह करने का एक षड्यंत्र मात्र है। इसलिए श्रीमान्जी के निर्णय दिनांक 29.12.2014 में निरस्त है। इसलिए निर्वाचक अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड के विरुद्ध जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग कर 27.09.16 को गैर कानूनी निर्णय पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है। दिनांक 26.09.2016 को तारीख के दिन बहस होने के बाद प्रार्थी को शक हो गया तो उसी दिन ट्रांसफर एप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र लगा दिया और निर्वाचक अधिकारी ने कहा कि जब ट्रांसफर ऐप्लीकेशन लग गई तो मैं क्यों सुनूँगा लेकिन निर्णय की तारीख भी दिनांक 27.09.2016 दे दी गई लेकिन प्रार्थी ने भी अगले दिन श्रीमान्जी की अदालत में ट्रांसफर ऐप्लीकेशन लगा दी गई और प्रार्थी द्वारा निर्वाचक अधिकारी से बार-बार पूछने पर कहा कि मैं निर्णय नहीं करता लेकिन 10-12 दिन बाद मिलीभगत कर दिनांक 27.09.2016 में अपने ही किये गये निर्णय दिनांक 23.02.2004 का उल्लंघन कर साजकर पद के विरुद्ध निर्णय दिया गया जो एक अधिकारी की कार्यशैली व बद्यांति को उजागर करता है। दिनांक 27.09.2016 खारिज करने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय पूर्व में निर्वाचक अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा दिनांक 23.02.2014 को किया जा चुका है। जब तक उच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं करता, तब तक निर्वाचक अधिकारी द्वारा दुबारा सुनवाई करना, न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि सिविल प्रक्रिया की धारा 11 के अनुसार (रेस जुडिकेट) का निर्णय का उल्लंघन करना है। अत: कानूनी रूप से निर्वाचक अधिकारी द्वारा अतरसिंह की बल्दियत के संबंध में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि बिना अधिकार के पारित निर्णय प्रभावहीन है। अत: न्यायहित में निर्णय खारिज करने योग्य है। अतरसिंह पुत्र राजाराम द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.12 की प्रति पेश की है जिसका कोई औचित्य नहीं है। केस को भ्रमित एवं गुमराह करने की साजिश की जा रही है जब इस केस को उसका कोई संबंध नहीं है। चूंकि पूर्व में श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 08.03.2004 को एवं निर्वाचक अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 23.02.04 को विस्तृत निर्णय राजाराम की बल्दियत का हो चुका है तथा वर्तमान में अभी भी रिट याचिका सं. 2960/04 हाईकोर्ट में लंबित (पेंडिंग) है। क्योंकि अतरसिंह पुत्र राजाराम ने सन् 2008 में अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति हुक्मीखेडा से मिलकर के विरुद्ध इस आशय का किया गया था कि मेरे पिता का नाम सोसायटी के रिकॉर्ड में राजाराम गलत चल रहा है। प्रभु किया जावे लेकिन पिछले 65 वर्षों से यानि सन् 1959 से स्वयं के द्वारा अतरसिंह पुत्र

राजाराम के नाम से लगातार लोन लेता और जमा कराता रहा है और इसी बल्दियत राजाराम के नाम से अन्य कार्य भी किये गये हैं। अत: सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय में स्पष्ट करते हुए आदेश दिया गया है कि ग्राम सेवा सहकारी सोसायटी हुक्मीखेड़ा के रिकॉर्ड के अलावा अन्य किसी भी मुकदमे में विधिक या दीवानी अधिकार सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि सिविल कोर्ट के निर्णय दिनांक 10.11.20 का कहीं भी किसी भी मुकदमे में उपयोग नहीं कर सकता। जबकि सिविल कोर्ट हिण्डौन में प्रार्थी ने गोदनामा भी पेश किया गया था लेकिन न जाने क्यों श्रीमान्जी ने केस में नजरअंदाज किया गया। यानि ये निर्णय केवल सोसायटी तक ही सीमित है। यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण हैं कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.20 के विरुद्ध ए.डी.जे. साहब हिण्डौन में अपील संख्या 21/20 में निर्णय को चुनौती दी गई है। अत: उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय हिण्डौन सिटी का आदेश विपक्षी अतरसिंह की कोई मदद नहीं कर सकता है। अत: कानूनी तौर पर श्रीमान् के समक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोई विवाद लंबित नहीं है और जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 2960/04 अतरसिंह बनाम जिला कलक्टर करौली में कोई निर्णय नहीं करता तब तक सिविल न्यायालय का निर्णय प्रभावहीन है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.09.20 तारीख पेशी के दिन निवेदन किया कि साहब बहस सुन ले, क्योंकि ये मुकदमा 2016 से लंबित है। विपक्षी इसको लंबा खींचना चाहता है और दिनांक 07.09.20 के दिन अपील की कार्यवाही स्थगित करने का प्रार्थना-पत्र अतरसिंह द्वारा लगा दिया और यही हुआ सिविल कोर्ट के इस मुकदमे से कोई ताल्लुकात नहीं था और छ: महीने के मुकदमे का विपक्षी अतरसिंह ने देरी ना करने की गरज से प्रार्थी की नहीं सुनकर लंबा कर दिया जबकि रीडर को काफी निवेदन किया कि साहब सुन लें लेकिन अनसुना कर कहा कि साहब बिजी हैं। अत: तारीख पेशी दिनांक 02.02.2021 के दिन प्रार्थी के वकील के द्वारा दिनांक 10.11.20 के निर्णय के विरुद्ध निवेदन किया गया है कि ए.डी.जे. साहब हिण्डौन के यहाँ मुकदमा नं. 21/20 की अपील की गई है। अपील व स्टे की कॉपी भी पेश की गई और कहा कि साहब इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है क्योंकि हिण्डौन सिटी का रिकॉर्ड डी.जे. साहब करौली के यहाँ जमा हो गया है। इसलिये समय लग सकता है और विपक्षी अतरसिंह ने 6 महीने आगे का स्थगित करने का प्रार्थना-पत्र देकर नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिये हमें भी समय देकर मौका दिया जावे। इसलिये निर्णय नहीं सुना जाकर आगे निर्णय की तारीख दे दी जावे। विपक्षी अतरसिंह अपने स्वार्थ की खातिर जमीन को हड़पने के लिए नित नये केस कर प्रार्थियों को परेशान कर तथा

इसका लड़का कुँवरसिंह पटवारी राजस्व पद का फायदा उठाकर पूर्व के किये गये निर्णय को छिपाकर अधिकारियों से सांठ-सांठ कर नुकसान पहुँचा रहा है जबकि अतरसिंह नि:संतान राजाराम के गोद चला गया तो प्राकृतिक पिता प्रभु की सम्पत्ति में से कैसे हक माँग सकता है। 65 वर्ष पुराने दस्तावेजों में अतरसिंह की बल्दियत राजाराम को बदलवा कर गुमराह करना चाहता है तो जो न्याय संगत नहीं है। इसलिए 27.09.16 का निर्णय खारिज करने योग्य है। उपरोक्त परिस्थिति में अपील स्वीकार कर निर्वाचक अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डौन सिटी द्वारा पारित गैर कानूनी आक्षेपित आदेश में दिनांक 27.09.2016 खारिज करने योग्य है। निर्वाचक अधिकारी द्वारा अनुचित प्रभाव में आकर अपने पद का दुरुपयोग कर तथ्यों के विरुद्ध जानबूझकर गलत निर्णय किया है। पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2004 प्रभाव में है। अत: उसके विरुद्ध नया निर्णय करना न्यायालय की अवमानना हैं जिसके लिए अधिकारी हिण्डौन सिटी को दण्डित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अत: अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2016 को खारिज करने की कृपा करें तथा भविष्य के लिए पाबंद करें।

तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिखित बहस का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस बिल्कुल सारहीन है। रेस्पोंडेण्ट अतरसिंह के पुत्र कुंवरसिंह पर निजी हमले किये गये हैं। कोई कानूनी मुद्दा लिखित बहस में नहीं उठाया गया है। आज की तारीख तक समस्त मतदाता सूचियों में रेस्पोंडेण्ट के पिता का नाम सही ''प्रभु'' ही दर्ज है। अपीलाण्ट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का निर्णय दिनांक 23.02.2004 के विरुद्ध अभी तक हमारी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 2 को गोदपुत्र बताते हैं परन्तु आज दिन तक कोई गोदनामा पेश नहीं किया गया। सिविल कोर्ट ने भी अतरसिंह को गोदपुत्र नहीं माना। ट्रांसफर एप्लिकेशन जजमेण्ट सुनाने के बाद लगाई गई थी जो खारिज हुई थी। Res Judicata का सिद्धान्त निर्वाचक नामावली पर लागू नहीं होता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचक नामावली अद्यतन की जाती है। गलती होने पर आपत्तियाँ सुनी जाती हैं। सबसे पहले वर्ष 25.11.2000, 13.12.2000 के निर्णय अतरसिंह के पक्ष में निर्णित हुए। अतरसिंह के पिता का नाम सभी जगह प्रभु दर्ज है। सोसायटी के रिकॉर्ड में जो गलती हुई है, उसे दुरूस्ती का आदेश सिविल कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है जिस पर कोई शर्त नहीं है। शेष आरोप गलत हैं।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का यह तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है।

1. प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी की भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेडा की मतदाता सूची में तत्कालीन समय में क्रम संख्या 550 पर दर्ज स्वयं के नाम में स्वयं की बल्दियत (पिता का नाम राजाराम के स्थान पर प्रभु) संशोधित करवाये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी के कार्यालय में प्ररूप 8 में आवेदन पेश किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा उक्त आवेदन को दिनांक 30.12.2013 को स्वीकार किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाजा में किये जाने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उभय पक्षकारान को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उभय पक्षकारान को सुना जाकर विस्तृत आदेश दिनांक 27.09.2016 को पारित किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु स्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि अपीलाण्ट के वकील श्री रमेश गुप्ता एडवोकेट हिण्डौन सिटी ने आदेश दिनांक 27.09.2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि आवेदन पत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 04.10.2016 को पेश किया था जिस पर संबंधित न्यायालय के कार्यालय ने दिनांक 06.10.2016 को प्रतिलिपि तैयार होने पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराये। दिनांक 06.10.2016 को नकल तैयार होने की तारीख को अपीलाण्ट एवं तेजसिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह ने साज कर दिनांक 06.10.2016 नकल तैयार करने की तारीख को जालसाजी से पहले 6 को एक बनाने की कोशिश की फिर 6 के पीछे 1 बढ़ाकर 16 व 11 तारीख म्याद की दृष्टि से वैल्यूएबिल राईट प्राप्त करने की दृष्टि से जालसाजी की है। इसकी नकल में दिनांक 16.10.2016 को लिखकर रमेश एडवोकेट के मुंशी ओमप्रकाश के जाली हस्ताक्षर ओमी कर जालसाजी की है। दिनांक 11.10.2016 को दशहरे का अवकाश था तथा दिनांक 16.10.2016 को रविवार का अवकाश था। हकीकत यह है कि दिनांक 06.10.2016 को तैयार नकल पर अपीलाण्ट व उसके ताऊ के लड़के तेजसिंह ने मिलकर अर्जी कार्यवाही की है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क है कि प्रार्थी अपीलाण्ट

द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 की प्रमाणित प्रति जो पेश की है इसमें अपीलाण्ट व उसके भतीजे तेजसिंह द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है। जो नकल जैसी अपीलाण्ट को मिली है, वह उसने पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा पेश मियाद बाहर नहीं होकर मियाद में है। उक्त संबंध में इस न्यायालय का मत है कि मूल रिकॉर्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के कार्यालय में है व उन्हीं के द्वारा नकल जारी की गई है। अतः इस संबंध में जाँच हेतु एवं अनियमितता/जालसाजी पाये जाने पर पृथक से नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी को अधिकृत किया जाना उचित है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था। सहकारी समिति हुक्मीखेड़ा में अतरसिंह की वल्दियत राजाराम दर्ज है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 का कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया गया है। सहकारी समिति हुक्मीखेड़ा में प्रत्यर्थी संख्या 2 की वल्दियत गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसको दुरुस्त करवाने की कार्यवाही सहकारी समिति, हुक्मीखेड़ा व उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ करौली कार्यालय में की गई परंतु विफल रहने पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौनसिटी में दावा दायर किया जिसमें दिनांक 10.11.2020 को दावा स्वीकार करते हुए सहकारी समिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह पुत्र राजाराम के स्थान पर अतरसिंह पुत्र प्रभु संशोधित करने के आदेश पारित किये हैं। उभय पक्षकारों की बहस एवं सिविल न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर मनन किया गया। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौनसिटी के निर्णय दिनांक 10.11.2020 में यह विवेचना है कि–

> **''27. उपरोक्त दोनों पक्षों के साक्ष्यों के सम्मिलित रूप से विवेचन विश्लेषण से यह समक्ष आता है कि वादी निश्चित रूप से प्रभु का ही प्राकृतिक पुत्र है, जो कि दोनों पक्षों के स्वीकृत होने से अविवादित तथ्य है। यद्यपि प्रतिवादी पक्ष का यह तथ्य रहा कि वादी अतरसिंह अपने ताऊ राजाराम के गोद चला गया था जो कि सन् 1950 में ही गोद की रस्म हो गयी थी। परन्तु उक्त कथित गोदनामे के नाम तो कोई गवाह प्रस्तुत हैं ना ही कोई लिखा-पढ़ी पेश की गई है तथा यहाँ यह प्रश्न भी अनुत्तरित रहता है कि यदि वर्ष 1950 में ही वादी अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था तो उसके समस्त अहम दस्तावेजों में उसकी वल्दियत में प्रभु का**

नाम किस प्रकार दर्ज है। और यह भी साक्ष्यों से समक्ष आता है कि वादी सहकारी समिति के अभिलेख में भी अपने पिता का नाम की दुरुस्ती प्रारंभ से ही चाहता था और इस हेतु उसने सहकारी समिति में भी कार्यवाही की थी परन्तु जब सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा उसके पिता का नाम सही नहीं किया गया, तब वादी ने यह दावा सहकारी समिति के अभिलेख में पिता के नाम के संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेज में पूर्व से ही उसके पिता का नाम प्रभु होना साबित है। जैसा कि वादी स्वयं कहता है कि उसके समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों में पिता का नाम प्रभु ही दर्ज है व प्रतिवादी ज्वालासिंह भी अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि वादी के राशनकार्ड व बैंक खातों में उसके पिता का नाम प्रभु दर्ज है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह प्रभु का नैसर्गिक पुत्र है और वादी के राजाराम के गोद जाने से तथ्य को प्रतिवादी पक्ष दृढ़ साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया है। जबकि वह इसी आधार पर दावे में संयोजित हुआ था कि वादी राजाराम के गोद गया है और उसका दत्तक पुत्र होने से वह अपने पिता का नाम प्रभु दुरुस्त कराने का अधिकारी नहीं है।

28. उपरोक्त विवेचनानुसार यह पाया जाता है कि वादी अपने अभिवचनों के अनुसार इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि सहकारी समिति के अभिलेख में उसके पिता का नाम राजाराम गलती से दर्ज हुआ था और वह उसकी दुरुस्तीकरण का अधिकारी है। जबकि वादी अतरसिंह के राजाराम का दत्तक पुत्र होने बाबत् तथ्य को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 साबित करने में असफल रहते हैं। अतः विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरुद्ध तय किये जाते हैं।''

इस प्रकार अपीलार्थी सिविल न्यायालय में भी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था। सिविल न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह, प्रभु का ही नैसर्गिक पुत्र है जो कि सिविल न्यायालय व इस न्यायालय में उभय पक्षकारान का स्वीकृत तथ्य है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि पूर्व में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी द्वारा दिनांक 23.02.2004 को आदेश पारित किया गया

था जिसमें ग्राम हुक्मीखेड़ा की मतदाता सूची में अतरसिंह की वल्दियत राजाराम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई थी जो दिनांक 08.03.2004 को खारिज हुई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई थी जो आज दिनांक तक लंबित है। चूंकि उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2004 आज तक प्रभाव में है, इसलिये उसी प्रकरण में उसी न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि Res Judicata का सिद्धान्त निर्वाचक नामावली कर लागू नहीं होता है। निर्वाचन नामावली को अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चुनाव से पूर्व निर्वाचन नामावली को अद्यतन किया जाता है। निर्वाचक नामावली में गलती होने पर आपत्तियां सुनी जाती हैं। सबसे पहले दिनांक 25.11.2000 एवं 13.12.2000 के निर्णय अतरसिंह के पक्ष में निर्णित हुए हैं। फिर किस आधार पर दिनांक 23.02.2004 का निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय का मत है कि निर्वाचक मतदाता सूची तैयार करना एक सतत् प्रक्रिया हैं जो प्रत्येक चुनाव से पहले एवं मध्य में भी चुनाव आयोग के कार्यक्रम अनुसार अद्यतन की जाती है जिसमें दावे व आपत्तियाँ प्राप्त की जाकर उनका निस्तारण किया जाता है। मतदाता सूची नाम, पिता का नाम आदि की घोषणा नहीं है और ना ही मतदाता सूची में दर्ज गलत प्रविष्ठियों के संशोधन हेतु पेश की जाने वाली आपत्ति उनकी घोषणा का दावा है। मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्ठियों का लाभ मतदाता सूची तक ही सीमित रहता है। अन्य दीवानी मामलों में उसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2020 में भी यह सिद्धान्त दिया है कि-

''विवाद्यक संख्या 03

29. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का था। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि वादी की वल्दियत के बाबत् राजस्व न्यायालय व निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियाँ हुई हैं। तथा कई आदेशों के द्वारा राजस्व न्यायालय व निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वादी के पिता नाम राजाराम माना है और उक्त आदेश वादी द्वारा दावा पेश किये जाने से पूर्व के हैं। अतः वादी का दावा पूर्व न्याय सिद्धान्त के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इसके विरोध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि दिनांक 30.12.2013 के राजस्व न्यायालय के आदेश से वादी की वल्दियत प्रभु अंकित की गई थी और उक्त आदेश प्रतिवादीगण के

बताये गये आदेशों से पूर्व का है। अतः पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही राजस्व न्यायालय के वर्ष 2004 से पूर्व के आदेशों से यह तथ्य साबित है कि वादी के पिता का नाम प्रभु है और प्रतिवादीगण द्वारा की गई समस्त आपत्तियाँ व वर्ष 2004 में हुए राजस्व न्यायालय के आदेश पूर्व न्याय की सिद्धांत के अनुसार चलने योग्य नहीं हैं।

30. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व इस संबंध में विधिक प्रावधानों व कानूनी स्थिति का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई बिन्दु/विवाद्यक किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत कर दिया गया हो तो उस बिन्दु का पश्चातवर्ती न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जावेगा, यदि वह बिन्दु/विवाद्यक प्रत्यक्षतः और सारतः पूर्ववर्ती वाद में मौजूद हो और दोनों वादों के समान पक्षकार हों। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष में हुई कार्यवाहियाँ यद्यपि वादी की वल्दियत से संबंधित थीं, परन्तु उक्त कार्यवाहियाँ दावा नहीं थीं और उक्त कार्यवाहियाँ जो कि मात्र निर्वाचन नामावली में पिता के नाम में दुरुस्ती हेतु की गई थीं, पूर्ववर्ती वाद नहीं मानी जा सकती। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जहाँ किसी पक्षकार के दीवानी अधिकारों का प्रश्न होता है तो वह मामला राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित/निर्णीत नहीं किया जा सकता, बल्कि दीवानी न्यायालय ही पक्षकार के दीवानी अधिकारों के बाबत् अंतिम निर्णय पारित करने में सक्षम हैं। अतः राजस्व न्यायालय/निर्वाचक पदाधिकारी द्वारा किये गये आदेश निर्वाचक नामावली की हद तक ही प्रभावी व प्रासंगिक हैं। उनका इस दीवानी न्यायालय पर कोई प्रभाव विधि अनुसार नहीं होगा। अतः उक्त विवाद्यक को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरुद्ध व वादी के पक्ष में तय किया जाता है।''

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि निर्वाचक नामावली के अद्यतन की प्रक्रिया सतत् होने, प्रत्येक चुनाव से पूर्व निर्वाचक नामावली को अद्यतन किये जाने, निर्वाचक नामावली के घोषणा का दावा नहीं होने के कारण निर्वाचक नामावली पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के कार्यालय में पेश किये गये दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र 18.11.1995, मूल निवास प्रमाण पत्र 14.08.1989, अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र 05.12.2011, राशनकार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 1 नया ग्राम हुक्मीखेड़ा संवत् 2067-70 आदि सभी दस्तावेजों में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु दर्ज है। अत: सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2020 में दिये गये तथ्यों व तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2016 यथावत् रखा जाता है। लेकिन यह आदेश केवल निर्वाचक नामावली में अद्यतन हेतु ही लागू होगा। इस निर्णय के आधार पर अन्य दीवानी व विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की नकल जारी करने में हुई अनियमितता की जाँच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी को अधिकृत किया जाता है। यदि जाँच में कोई अनियमितता पायी जाती है तो उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी संबंधित के विरुद्ध पृथक से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। निर्णय की अप्रमाणित प्रति के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/-

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर

करौली

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (बीकानेर) पर चयनित प्रविष्टि)

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

(बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर)

मुकदमा संख्या 30/19 राजस्व विविध
मोहनलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मालूवास सत्तासर तहसील छतरगढ़
जिला बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ जरिये सैक्रेट्री सरफेस ट्रान्सपोर्ट एवं नेशनल हाईवे, नई दिल्ली।
2. भारतीय नेशनल हाईवे जरिये जनरल मैनेजर 5 व 6 सेक्टर, 10, द्वारका, नई दिल्ली।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, 191, कोर्ट रोड़, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
5. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 'जी' नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956
सपठित धारा 64 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत

उपस्थितः-

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरीश कोठारी।
2. एन. एच. की तरफ से अधिवक्ता श्री अजय ओझा।
3. स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता गणेश माली।

निर्णय

दिनांक : 18.06.21

1. प्रार्थी ने भारतमाला परियोजना हेतु बीकानेर जिले में एन एच 754 के किसी 184.478 से किमी. 244.381 बीकानेर तक सड़क चौड़ी करने/पैण्ड शोल्डर बनाने एवं सड़क का 2 लेन या 4 लेन का निर्माण करने के लिए भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड दिनांक 21.06.19 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 09.09.19 अंतर्गत राष्ट्रीय हाईवे एक्ट, 1956 की

धारा 3 (जी) सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के विरुद्ध प्रस्तुत भूमि की संपरिवर्तित भूमि की किस्म व अन्य माँगों के अनुसार अवार्ड निर्धारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि उनके नाम वाके ग्राम नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर में खसरा नं. 1148 (1148/19) तादादी 0.2500 हैक्टर यानि 2500 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू संपरिवर्तन भूमि का वर्णन है। उक्त भूमि 2500 वर्गमीटर संपरिवर्तित भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक श्रेणी की एवं 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय श्रेणी की भूमि है। उक्त 2500 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक श्रेणी में भू संपरिवर्तन दिनांक 31.07.2018 को सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा स्वीकृत किया गया था।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। उपस्थित पक्षकारों की बहस दिनांक 15.03.21 एवं 07.06.21 के सुनी गई।

3. प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन व अध्ययन के पश्चात् न्यायालय के समक्ष भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अवार्ड 21.06.19 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 09.09.19 के संबंध में निर्णय किए जाने हेतु निम्न 5 बिन्दू है:-

i. अवार्ड दिनांक 09.09.19 में ली गयी आवासीय दर 540 रुपये प्रति वर्ग मीटर (सड़क से दूर मानते हुए) को प्रार्थी के कथनानुसार अवाप्त भूमि को सड़क पर मानते हुए अवार्ड का निर्धारण आवासीय दर 720 रुपये प्रति वर्ग मीटर से किये जाने बाबत्।

ii. अवाप्त भूमि की किस्म व्यावसायिक रूपांतरित होने से व्यवसायिक दर (आवासीय दर की तीन गुणा) से प्राप्त करने बाबत्।

iii. प्रार्थी के स्वामित्व की कुल भूमि 2500 वर्ग मीटर में से अवाप्ति से शेष रही 68 वर्गमीटर व्यवसायिक एवं 500 वर्ग मीटर आवासीय भूमि को भी अवाप्त किया जाकर अवार्ड में शामिल किये जाने बाबत्।

iv. अवार्ड दिनांक 09.09.19 में लिये गये Village Multiplication Factor 1.5 गुणांक को 1.75 गुणांक से किये जाने बाबत्।

v. अवार्ड में ली गयी सोलेशियम राशि पर भी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना किये जाने बाबत्।

I. बिन्दू संख्या I के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 व 5 में ग्राम नौरंगदेसर की उक्त प्रश्नगत अवाप्ताधीन भूमि की आवासीय डीएलसी दर 720 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित होने के कथन किए है। प्रार्थी के द्वारा बहस के दौरान यह कथन किये गये कि उक्त भूमि रोड़ पर स्थित होने के कारण कार्यालय उप पंजीयक-द्वितीय, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.03.19 के अनुसार नोरंगदेसर की 'सड़क पर' की आवासीय भूमि की दर 720 रुपये वर्गमीटर से अवार्ड बनाया जाना चाहिए न कि 'सड़क से दूर' की दर जो कि 540 रुपये वर्गमीटर है। दौरान-ए-बहस प्रार्थी का कथन भी उक्तानुसार ही रहे। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किये गये कि उक्त भूमि 18 फीट चौड़ी ग्रामीण ग्रेवल सड़क पर मौजूद है।

उक्त बिन्दू के संबंध में अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से उनके जवाब पत्र के बिन्दू सं. 4 में अस्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि सड़क के पास न होकर सड़क से दूर स्थित है। इसलिए प्रार्थी को 540 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से ही अवार्ड की गणना की गयी है जो विधि अनुसार सही एवं उचित हैं। दौरान-ए-बहस भी उनके कथन उक्तानुसार ही रहे।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन व मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के परिपत्र दिनांक 17.06.15 के बिन्दू सं. 9 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित संपत्ति को सड़क से दूर माना जावे। अत: उक्त बिन्दू के संबंध में प्रार्थी के कथन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाते है तथा अवार्ड दिनांक 09.09.19 में ली गयी आवासीय दर 540 रुपये प्रति वर्गमीटर को सही पाते है। अवार्ड में ली गई डीएलसी दर में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

II. बिन्दू संख्या II केसंदर्भ में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 व 5 में कथन किया है कि प्रार्थी की भूमि व्यावसायिक श्रेणी में संपरिवर्तन का आदेश दिनांक 31.07.18 को हो गया था तथा इन्तकाल भी व्यावसायिक श्रेणी में दर्ज कर जमाबंदी में भी इन्द्राज हो गया था। जबकि धारा 3 (ए) एन.एच. एक्ट का नोटिफिकेशन दिनांक 21.08.2018 को

हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी अपनी कुल व्यावसायिक एवं आवासीय भूमि का मुआवजा उस ग्राम की आवासीय डीएलसी दर 720 रुपये प्रति वर्गमीटर से एवं व्यावसायिक भूमि का मुआवजा 2160/- रुपये प्रति वर्गमीटर (आवासीय का तीन गुणा) की दर से प्राप्त करने का हकदार है। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 21.06.2019 को अन्तिम अवार्ड जारी कर दिया जिसका प्रकाशन दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20.07.19 को किया गया है। उक्त अवार्ड की सूची में क्रम सं. 220 पर प्रार्थी का नाम अंकित है तथा अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजे का निर्धारण किया गया है। उसमें मुआवजा आवासीय प्रयोजनार्थ की डीएलसी दर से जारी किया गया है जबकि मुआवजा उस ग्राम की आवासीय डीएलसी दर से एवं व्यावसायिक होने की दशा में उस ग्राम की आवासीय डीएलसी दर की 3 गुणा दर से निर्धारित किया जाना चाहिए था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया मुआवजा किसी भी रूप में सही नहीं है, क्योंकि प्रार्थी की भूमि व्यावसायिक श्रेणी की है तथा सड़क पर स्थित है। उस ग्राम की आवासीय डीएलसी दर अलग से निर्धारित है तथा जहाँ व्यावसायिक डीएलसी दर निर्धारित नहीं हो, वहाँ आवासीय डीएलसी दर का 3 गुणा व्यवसायिक श्रेणी की डीएलसी दर मानी जाती है। आपत्तियों के साथ समस्त रेकार्ड प्रस्तुत करने के बावजूद व्यवसायिक श्रेणी की डीएलसी दर उस ग्राम की आवासीय डीएलसी दर से 3 गुणा तय किया जाकर अवार्ड जारी नहीं किया गया है जो कानूनन जारी किया जाना चाहिए था। दौरान-ए-बहस भी इनके कथन उपरोक्तानुसार ही रहे तथा प्रार्थी द्वारा धारा 3ए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत जारी नोटिफिकेशन से पूर्व हुए व्यावसायिक संपरिवर्तन के अनुरूप अवार्ड निर्धारण किया जाना विधिसम्मत है। उनके द्वारा यह भी कथन किये गए कि अवार्ड में उक्त भूमि को व्यावसायिक दर्शाया है परन्तु मुआवजा राशि आवासीय दर से लगाई गई है। अवाप्ताधीन व्यावसायिक भूमि का आवासीय दर से निर्धारण किया जाना किसी भी दृष्टि से विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अत: व्यावसायिक दर (आवासीय दर का तीन गुणा) से संशोधित अवार्ड जारी करवाया जावे।

उक्त बिन्दू के संबंध में अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं. 4 व 5 में उक्त भूमि को व्यावसायिक नहीं मानते हुए आवासीय दर से भुगतान किये जाने को उचित ठहराया है। दौरान-ए-बहस भी उनके कथन उपरोक्तानुसार ही रहे

तथा उनके द्वारा कथन किये गये कि उक्त संपरिवर्तन धारा 3A की अधिसूचना दिनांक 21.08.18 से तो पूर्व है परन्तु उक्त अवाप्ति के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात हुई है अत: उक्त भूमि को व्यावसायिक भूमि माना जाना उचित नहीं है।

उक्त बिन्दू के संबंध में अप्रार्थी सं. 4 ने अपने जवाब के पैरा सं. 4, 5, 8 व 11 में प्रार्थी द्वारा चाहे अनुतोष को स्वीकार करते हुए कथन किए है कि प्रार्थीगण की ग्राम नौरंगदेसर के खसरा नं. 1148/19 में 0.2000 हैक्टेयर में से 0.1932 हैक्टेयर अवाप्तशुदा है। उक्त भूमि गै.मु. व्यावसायिक दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि मुआवजे का निर्धारण गै.मु. आवासीय मानकर किया गया है। चूँकि उक्त अवाप्तशुदा भूमि गै.मु. व्यावसायिक दर्ज रिकॉर्ड है। अत: मुआवजा निर्धारण व्यवसायिक दर (आवासीय दर 540 रु. प्रति वर्गमीटर की तीन गुना) से किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.07.2018 को उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 1148/12 में तादादी 2500 वर्ग मीटर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि में से 2000 वर्ग मीटर भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। प्रार्थी सं. 4 (सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर) द्वारा भी व्यावसायिक दर से मुआवजा निर्धारण को उचित बताया गया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 का यह कथन कि भूमि का रूपांतरण सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् होने के कारण प्रार्थी व्यावसायिक दर से अवार्ड पाने का हकदार नहीं है, विधिसम्मत नहीं पाया जाता है। अत: उक्त बिन्दू सं. 02 के संबंध में प्रार्थी के कथन विधिसम्मत होने से स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रार्थी को व्यावसायिक दर से अवार्ड पाने का हकदार माना जाता है। उक्तानुसार अवार्ड संशोधित किया जावें।

III. बिन्दू सं. III के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 5 में कथन किया गया है कि प्रार्थी के स्वामित्व की कुल 2500 वर्ग मीटर भूमि में से अवार्ड में केवल 1932 वर्ग मीटर भूमि ही शामिल की गई है। शेष बची 68 वर्ग मीटर व्यवसायिक एवं 500 वर्ग मीटर आवासीय भूमि जो प्रार्थी के किसी उपयोग उपभोग की नहीं रही, का भी मुआवजा व्यावसायिक डीएलसी दर से निर्धारित किया जाना चाहिए। दौरान-ए-बहस भी प्रार्थी के कथन उपरोक्तानुसार ही रहे।

उक्त बिन्दू के संदर्भ में प्रार्थी सं. 1, 2, 3 द्वारा अपने जवाब के पैरा सं. 5 में

कथन किये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि की अवाप्ति व्यापक लोकहित को देखते हुए केवल उतनी ही भूमि अवाप्त की जाती है जितनी भूमि वाहनों के आवागमन के लिए आवश्यक हो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक रूप से भूमि की अवाप्ति नहीं की जाती है क्योंकि इससे बिना किसी कारण एवं अनावश्यक रूप से मुआवजे का बोझ प्राधिकरण पर पड़ता है। उल्लेखनीय है कि भूमि की अवाप्ति से पूर्व स्वतंत्र सलाहकार व तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक मशीनों की मदद से राजमार्ग का अलाइनमेंट एवं भूमि अवाप्ति प्लान बनाया जाता है जिसका अनुमोदन सक्षम स्तर पर किया गया है। उक्त अनुमोदन के पश्चात् धारा 3A की अधिसूचना व धारा 3D की अधिसूचना जारी की गई है, जिनका अक्षरश: पालन करते हुए भूमि अवाप्ति प्लॉन के अनुसार ही प्राधिकरण द्वारा सड़क का निर्माण एवं भूमि की अवाप्ति की जाती है। अवाप्ति योग्य भूमि का मूल्यांकन एवं क्षेत्रफल का नियमानुसार आंकलन किया गया है तथा मुआवजा जारी किया गया है। उक्त बिन्दू के संबंध में अप्रार्थी सं. 4 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन नहीं किये गये हैं।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अवाप्ताधीन भूमि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार एवं तकनीकी रूप से परीक्षण पश्चात् किया गया है, अवाप्ताधीन भूमि का नियमानुसार मुआवजा बनाया गया है। अवाप्ति से शेष बची भूमि का नियमानुसार मुआवजा बनाया गया है। अवाप्ति से शेष बची भूमि के अवार्ड में शामिल करने का कोई कानूनी एवं उचित आधार नहीं होने के कारण उक्त बिन्दू में प्रार्थी का कथन एवं अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी की अवाप्ति से शेष बची भूमि को अवार्ड में शामिल नहीं किया जाता है।

IV. बिन्दू सं. IV के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 9 में यह कथन किये गये हैं कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्त भूमि के Village Multiplication Factor का निर्धारण सही नहीं किया है। अवाप्तशुदा भूमि ग्राम नौरंगदेसर में स्थित है तथा ग्राम नौरंगदेसर बीकानेर शहरी क्षेत्र की सीमा से 20 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर राजस्थान सरकार (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक:-प 1 (3) राज 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.16 के अनुसार गुणांक

1.75 (20 किमी से अधिक व 30 किमी. तक) लागू किया जाना चाहिए था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा गुणांक 1.5 (10 किमी. से 20 किमी) से मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जो अनुचित है। प्रार्थी Village Multiplication Factor गुणांक 1.75 से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है जो दिलाया जावे। दौरान-ए-बहस भी प्रार्थी के कथन उपरोक्तानुसार ही रहे।

उक्त बिन्दू के संदर्भ में अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 द्वारा अपने जवाब के पैरा सं. 9 में कथन किया है कि दूरी का निर्धारण शहरी क्षेत्र की सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना दूरी के आधार पर किया जाता है, न कि ग्राम की सीमा से किया जाता है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि 20 किमी. से कम दूरी पर स्थित है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक :- प 1. (3) राज. 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.16 के अनुसार बाहरी क्षेत्र की दूरी 0 से 10 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणांक 1.25, 10 किमी. से अधिक व 20 किमी. तक दूरी के लिए गुणांक 1.50, 20 किमी. से अधिक व 30 किमी. तक की दूरी के लिए गुणंक 1.75 तथा 30 किमी. से अधिक दूरी के लिए गुणांक 2.00 का निर्धारण किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण 1.50 के गुणांक से ही मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ प्रार्थीगण ने 1.75 के हिसाब से मुआवजे की माँग की है वह स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुँचाने की नियत से किये गये हैं जो गलत होने के कारण किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की पालना में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, 1.50 के गुणांक को उपयोग में लिया जाकर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। दौरान-ए-बहस भी अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 के कथन उक्तानुसार ही रहे।

उक्त बिन्दू के संदर्भ में अप्रार्थी सं. 4 ने अपने जवाब के पैरा सं. 9 में प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार किया है तथा कथन किये है कि पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर की शहरी सीमा से नौरंगदेसर की दूरी करीब 20 किमी. है, मुआवजा निर्धारण सही है। दौरान-ए-बहस अप्रार्थी सं. 4 के कथन उक्तानुसार ही रहे।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि उक्त बिन्दू पूर्ण रूप से

तथ्यात्मक है तथा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक:-प. 1 (3) राज 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.16 के अनुसार दूरी के आधार पर गुणंक का निर्धारण किया गया है। प्रश्नगत अवार्ड में उक्त आवासीय भूमि निकटतम शहरी क्षेत्र की सीमा से 10 से 20 किमी. तक की दूरी में रखा गया है तथा 1.5 गुणंक के आधार पर बाजार मूल्य गुणित किया गया है। प्रार्थी के कथनानुसार उनकी भूमि 20 से 30 किमी. तक के दायरे में आकर अवार्ड में 1.75 गुणंक किया जाना चाहिए। हम यह उचित समझते हैं कि उक्त बिन्दू के संदर्भ में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर इस परिपत्र के अनुरूप इस दूरी की गणना गिरदावर स्तर के अधिकारी से करवाकर नियमानुसार निर्णय करें। अत: उक्त बिन्दू में प्रार्थी के कथन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी को दूरी का पुन: परीक्षण करवाकर नियमानुसार निर्णय किये जाने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को निर्देशित किया जाता है।

V. बिन्दू सं. 5 के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 10 में यह कथन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्त भूमि के मुआवजा राशि पर ब्याज की गणना की है तथा भूमि की मुआवजा राशि पर सोलेशियम जोड़ा है, लेकिन सोलेशियम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना नहीं की है। कानूनन सोलेशियम की राशि पर भी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जानी चाहिए थी। प्रार्थी सोलेशियम की राशि पर भी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। दौरान-ए-बहस भी प्रार्थी के कथन उक्तानुसार ही रहे।

उक्त बिन्दू के संदर्भ में अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 द्वारा अपने जवाब के पैरा सं. 10 में कथन किये है कि अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे व सोलेशियम पर अलग-अलग ब्याज की गणना नहीं की जाती है जबकि वास्तविकता यह है कि मुआवजे व सोलेशियम की राशि के योग पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया है तथा उसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3G व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार अधिनियम, 1956 की धारा 3A के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 21.08.18 का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक

10.09.18 से अवार्ड पारित होने की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज भी दिया गया है, अतः प्रार्थी सोलेशियम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी सं. 4 ने अपने जवाब के बिन्दू सं. 10 में प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार किया है तथा कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के नियमों के अंतर्गत सोलेशियम पर ब्याज के प्रावधान नहीं है। दौरान-ए-बहस भी अप्रार्थी सं. 4 के कथन उक्तानुसार ही रहे।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में सोलेशियम पर ब्याज का कोई अलग से प्रावधान नहीं पाया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 3 में वर्णित है- 'In addition to the market value of the land provided under section 26, the Collector shall, in every case, award an amount calculated at the rate of twelve percent. per annum on such market value for the period coomencing of the notification of the Social Impact Assessment study under sub-section (2) of section 4, in respect of such land, till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the land whichever is earlier' जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि केवल मार्केट वेल्यू पर ब्याज का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त बिन्दू स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी को सोलेशियम पर 12 प्रतिशत ब्याज पाने का हकदार नहीं माना जाता है।

4. इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 की और से आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवार्ड दिनांक 21.06.19 के खिलाफ पेश किया गया है। जिसमें संशोधित अवार्ड दिनांक 09.09.19 के बाबत् कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, अतः खारिज किया जाना चाहिए। दौरान-ए-बहस भी अप्रार्थी कथन उक्तानुसार ही रहें।

इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा दौरान-ए-बहस यह कथन किये गये कि प्रथम अवार्ड दिनांक 21.06.19 में मुआवजा निर्धारण हेतु ली गयी DLC दर पूर्णतः गलत होने के कारण भूमि

अवाप्ति अधिकारी द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 09.09.19 पारित किया गया जिसमें DLC दर का संशोधन कर 540 रु. प्रति वर्ग मीटर आवासीय दर की गई। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.19 में चाहे गये सभी अनुतोष संशोधित अवार्ड में भी बरकरार है तथा कोई अनुतोष संशोधित अवार्ड में भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र में संशोधित अवार्ड का संदर्भ नहीं दिया जाना केवल मात्र एक तकनीकी त्रुटि है जिससे कि इस प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष पर कोई असर नहीं पड़ता है। अत: आपत्ति को खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 द्वारा जो आपत्ति की गई है वो तकनीकी प्रकृति की है तथा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष पर निर्णय करने से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अत: अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज किया जाता है।

5. अत: उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष पैरा सं. 3 में उल्लेखित 5 बिन्दुओं के अनुतोष में से बिन्दू सं. I, III व V खारिज किये जाते हैं। बिन्दू सं. II स्वीकार किया जाता है तथा बिन्दू सं. IV पुन: परीक्षण कर नियमानुसार निर्णय हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को निर्देशित किया जाता है। उक्तानुसार संशोधित अवार्ड पारित किया जावें।

6. आदेश आज दिनांक 18.06.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/-

(नमित मेहता)

जिला कलक्टर, बीकानेर

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (जयपुर) पर चयनित प्रविष्टि)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(पीठासीन अधिकारी उमरदीन खान, आई.ए.एस.)

अपील संख्या 34/2021

1. अयूब अली पुत्र हासिम खाँ, जाति कायमखानी, निवासी मौहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं (राज.) व अन्य

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. जीवण खाँ पुत्र मीनखां उर्फ मीना, जाति कायमखानी, निवासी मौहल्ला बटवालान, झुंझुनूं व अन्य।

.....रेस्पोंडेंण्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण 4452, दिनांक 10.03.2021

उपस्थितः-

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट-अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट-रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 3 लगायत 12 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक-राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.09.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश नामान्तरकरण संख्या 4452 दिनांक 10.03.2021 वाके कस्बा झुंझुनूं के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार जमीन पुराना खसरा नम्बर 838 तादादी 20 बीघा 1 व पुराना खसरा नम्बर 929 तादादी 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा झुंझुनूं स्थित रही। जिसके नये सैटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 3401 तादादी 2.5600 हैक्टर, ख. नं. 3401/3887 तादादी 0.0100 हैक्टर, ख. नं. 3404 तादादी 2.5000 हैक्टर व ख.न. 3452 तादादी 2.1600 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 7.2300 हैक्टर वाके कस्बा झुंझुनूं पड़े हैं। उक्त वर्णित जमीन अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 व 9 लगायत 12 के पूर्वज मोती खाँ की खातेदारी व कब्जा की रही जिनका देहान्त पैमाईस संवत् 1992-93 से पहले ही हो चुका था। उसकी मृत्यु के बाद इस

जमीन के खातेदार काश्तकार उक्त मोती खाँ के तीन लड़के जुमर्दी खाँ, कालू खाँ व मीन खाँ उर्फ मीना हुए व प्रत्येक का इस जमीन में 1/3 हिस्सा रहा। अपीलान्ट्स उक्त जुमर्दी खाँ के पुत्र हासिम खाँ उर्फ मदन के वारिसान है। उक्त हासिम खाँ की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स विवादित जमीन में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व काबिज है। उक्त कालू खाँ का भी देहान्त हो गया। विवादित जमीन में उक्त कालू खाँ के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार उसके वारिसान हुए तथा शेष 1/3 हिस्से की मीनखाँ की जमीन के खातेदार काश्तकार उसके वारिसान उसके पुत्रगण रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 जीवणखाँ व मृतक पुत्र हाकिम अली हुए। रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 2 लगायत 8 उक्त हाकम अली के वारिसान है। अपीलान्ट्स व उक्त कालू खाँ के वारिसान व रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 व उक्त हाकम अली के पिता मीनखाँ उर्फ मीना ने चालाकी से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जबकि इस जमीन पर उक्त मीनखाँ व उसके अन्य भाइयों जुमर्दी खाँ व कालू खाँ का भी मीन खाँ के बराबर ही हिस्सा रहा व तीनों भाई व उसके वारिसान इस जमीन को अपने-अपने हिस्से के अनुसार ही काश्त करते रहे व काबिज रहे। खसरा गिरदावरियां संवत् 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2017 से 2020 व संवत् 2030 से 2033 तक में इसी प्रकार कब्जा काश्त दर्ज है। वर्तमान में भी उक्त मोती खाँ के तीनों वारिसान उक्त जुमर्दी खाँ, कालू खाँ व मीनखाँ के वारिसान ही अपने-अपने बराबर-बराबर 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार काबिज है। अपीलान्ट्स के पिता हासिम खाँ उर्फ मदन को इस भूमि के उक्त अनुसार बने हुए गलत राजस्व रिकॉर्ड के बाबत् जानकारी होने पर उक्त हासिम खाँ ने रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 को विवादित जमीन का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने व विधिवत् खाता विभाजन करवाने के लिए कहा, पहले तो रेस्पोंडेन्ट्स बहाना बनाते हुए टालमटोल करते रहे तथा बाद में रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने व विधिवत् खाता विभाजन करवाने से इंकार किये जाने पर उक्त हासिल खाँ ने एक दावा उनवानी हासिम खाँ बनाम जीवण खाँ वगैरह, दावा बाबत् इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकॉर्ड व खाता विभाजन मु. नं. 131/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में किया बाद में उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 55/2013 प्रस्तुत कर रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 के खिलाफ दिनांक 04.03.2013 को विवादित जमीन के बाबत् स्टे आदेश दिया गया जो स्टे आदेश कभी भी वेकेंट नहीं किया गया तथा प्रभावी रहा। बाद में रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने बाला बाला अपीलान्ट्स को बिना किसी प्रकार के नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये राजस्व मंडल अजमेर में कार्यवाही कर न्यायालय को मुगालता देकर उक्त स्टे आदेश को दिनांक 05.03.2020 को स्वत: ही प्रभावहीन होने बाबत् विधिविरुद्ध आदेश पारित करवा लिया। उसके बाद कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से व न्यायालय सरकारी कार्यालयों में कामकाज नहीं होने के कारण उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तारीख पेशियाँ दी जाती रहीं।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त अनुसार दावा नम्बर 131/2012 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. न. 55/2013 के लम्बित रहते दिनांक 03.03.2021 को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने विवादित जमीन में से ख. न. 3401 तादादी 2.56 हैक्टर में गलत रूप में दर्ज 1/2 हिस्से की जमीन के बाबत एक विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 के हक में तथा उसी रोज विवादित शेष जमीन ख. न. 3401/3887, 3404 व 3452 कुल रकबा 4.67 हैक्टर में अपने नाम से गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्से की जमीन के बाबत् एक उपहार पत्र अपनी तीन पुत्रवधुओं रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 10 लगायत 12 के हक में उप पंजीयक झुंझुनूं से पंजीकृत करवा दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 23.03.2021 को विवादित जमीन की जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई जिसमें रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 लगायत 12 का नाम दर्ज होना पाया गया तथा उसी रोज जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 4452 दिनांक 10.03.2021 जरिये बेचान के बाबत पृष्ठांकन होने के बाद भी जानकारी हुई। विवादित जमीन के बाबत लम्बित उक्त दावा मु. नं. 131/2012 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. न. 55/2013 के अनुसार विवादित जमीन से अपीलान्ट्स का 1/3 हिस्सा है तथा रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा उक्त कालूखाँ के वारिसान का है जिसकी ताईद इस जमीन के करीब 65 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरियों से होती है। इसके 1/3 भाग पर अपीलान्ट्स का भौतिक कब्जा है तथा 1/3 भाग पर उक्त कालूखां के वारिसान का भौतिक कब्जा है तथा शेष बचे हुए 1/3 भाग पर सभी रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 का कब्जा काश्त है। उक्त अनुसार विवादित जमीन में हक अधिकारों बाबत् निस्तारण अन्तिम रूप से उक्त दावा में ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है। नामान्तरकरण की कार्यवाही मात्र फिसकल एक्ट है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। दौराने दावा विवादित भूमि के किसी प्रकार से किया गया अन्तरण सम्पत्ति स्थानान्तरकरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of List-Pendence सिद्धान्त से हिट होने से विवादित सम्पत्ति के दावा के दौरान किये गये अन्तरण को अवैध माना है। उक्त अनुसार विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी हासिम खाँ बनाम जीवण खाँ वगैरह, दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड मु. नं. 131/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूँ में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान् के मध्य विवादित जमीन के संबंध में हक अधिकार अन्तिम रूप से तय होंगे। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदारी की जमीन के बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना कानून से निषेध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 13 के द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण नम्बर 4452 दिनांक 10.03.2021 को पुर करवाकर दिनांक 15.03.2021 को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 के नाम से स्वीकृत किया है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि

दावा लम्बित रहने के दौरान कोई नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जाता है तो इस प्रकार के नामान्तरकरण को खारिज किया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही लम्बित रखते हुए दावा के निर्णय के अनुसार किये जाने की हिदायत दी जाने को समुचित ठहराया गया है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 व उक्त कालूखां के वारिसान अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है व काश्त करते है तथा अपने-अपने हिस्से के अनुसार तारबन्दी की हुई है। नामान्तरकरण पुर किये जाने व तस्दीक किये जाने से पूर्व विवादित जमीन पर कब्जा ही स्थित बाबत भौतिक सत्यापन किया जाकर उसके बाद ही नामान्तरकरण भरे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित जमीन में रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 का कुल जमीन में से केवल 1/3 हिस्से की जमीन पर ही भौतिक कब्जा है। कानून की यह भी सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी व्यक्ति का विवादित जमीन पर कब्जा नहीं है तो कब्जा के अभाव में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। तहसीलदार झुंझुनूं ने न तो मौके पर सत्यापन करवाया व न भौतिक रूप से विवादित जमीन का निरीक्षण ही किया। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर बहस विधि विरुद्ध है। उक्त अनुसार रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 द्वारा दिनांक 03.03.2001 को रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 के हक में विक्रय पत्र व रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 10 लगायत 12 के हक में उपहार पत्र पंजीकृत करवाये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण जैर बहस रेस्पोंडेन्ट नम्बर 13 द्वारा विधि विरुद्ध तस्दीक किया गया है जिसके आधार रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 9 लगायत 12 के हक में विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में इनका नाम गलत अंकित हो गया है तथा भविष्य में वाद के लम्बित रहते रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 लगायत 12 भी विवादित जमीन को किसी अन्य के हक में अन्तरित कर सकते है जिससे विवादित जमीन के बाबत जटिलतायें बढ़ती चली जायेंगी। ऐसी स्थिति में कानून से आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर विवादित जमीन के बाबत होने वाली अनियमितताओं पर विराम लगाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। नामान्तरकरण जैर बहस का अवलोकन किया जावे तो इससे जमीन ख. नं. 3401/3887, ख. न. 3404 व 3454 कुल रकबा 4.67 हैक्टर 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जीवण खाँ के नाम से ही लगातार दर्ज होना इस नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 8 में दर्ज पृष्ठांकन से विदित होता है परन्तु इसके बावजूद भी इस जमीन की जमाबन्दी में उक्त जीवण खाँ के स्थान पर रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 10 लगायत 12 के नाम से प्रत्येक के 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि आलौच्य नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 10 लगायत 11 नाम से कोई प्रविष्टि ही नहीं है। इस तथ्य से भी आलौच्य नामान्तरकरण की क्रियान्विति गलत होना प्रमाणित होता है तथा यह भी स्पष्ट है कि कथित उपहार पत्र दिनांक 03.03.2021 के बाबत भी आलौच्य नामान्तरकरण से पृष्ठांकन नहीं है व न ही विक्रय पत्र दिनांक 03.03.2021 बहक रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 के बाबत कोई टिप्पणी दर्ज की गई

है बल्कि नामान्तरकरण से जमीन के राजस्व अभिलेख में किये जाने वाली किसी परिवर्तन का कोई आधार नामान्तरकरण में स्पष्ट किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण पुर किये जाने व तस्दीक किये जाने की समस्त कार्यवाही गलत है। अत: अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 4452 दिनांक 10.03.2021/15.03.2021 को निरस्त फरमाया जावे व नामान्तरकरण की कार्यवाही दावा नम्बर 131/2012 के निर्णय के अनुसार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने 1995 आरआरडी पृ. सं. 120, 1998 आरआरडी पृ.सं. 368, 1998 आरआरडी पृ.सं. 370, 2012 (1) आरआरटी पृ. सं. 520, 2011 (2) आरआरटी पृ.सं. 907 एवं 2010 (3) डीएनजे (एससी) पृ.सं. 1040 की नजीरों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपील अपीलान्ट के अनुसार उक्त विवादित जमीन अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 व 9 लगायत 12 के पूर्वज मोतीखाँ की खातेदारी व कब्जा की रही जिनका देहान्त पैमाईश संवत् 1992-93 से पहले ही हो चुका था। उसकी मृत्यु के बाद इस जमीन के खातेदार काश्तकार उक्त मोतीखाँ के तीन लड़के जुमर्दी खाँ, कालूखाँ व मीनखाँ उर्फ मीना हुए व प्रत्येक का इन जमीन में 1/3 हिस्सा रहा। अपीलान्ट्स उक्त जुमर्दीखाँ के पुत्र हासिम खाँ उर्फ मदन के वारिसान है। उक्त हासिमखाँ की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स विवादित जमीन में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व काबिज है। उक्त कालूखाँ का भी देहान्त हो गया। विवादित जमीन में उक्त कालूखाँ के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार उसके वारिसान हुए तथा शेष 1/3 हिस्से की मीनखाँ की जमीन के खातेदार काश्तकार उसके वारिसान उसके पुत्रगण रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 जीवणखाँ व मृतक पुत्र हाकिम अली हुए। रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 2 लगायत 8 उक्त हाकम अली के वारिसान है। अपीलान्ट्स व उक्त कालूखाँ के वारिसान व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त अनुसार अपने-अपने हिस्से की जमीन के खातेदार काश्तकार है व काबिज है। परन्तु इस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से तथा रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 व उक्त हाकम अली के पिता मीनखाँ उर्फ मीना ने चालाकी से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया जबकि इस जमीन पर उक्त मीनखाँ व उसके अन्य भाइयों जुमर्दीखाँ व कालूखाँ का भी मीनखाँ के बराबर ही हिस्सा रहा व तीनों भाई व उसके वारिसान इस जमीन को अपने-अपने हिस्से के अनुसार ही काश्त करते रहे व काबिज रहे। खसरा गिरदावरियां संवत् 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2017 से 2020 व संवत् 2030 से 2033 तक में इसी प्रकार कब्जा काश्त दर्ज है। वर्तमान में भी उक्त मोतीखाँ के तीनों वारिसान उक्त जुमर्दीखाँ, कालूखाँ व

मीनखाँ के वारिसान ही अपने-अपने बराबर-बराबर 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार काबिज है। इस संबंध में एक दावा उनवानी हासिम खाँ बनाम जीवण खाँ वगैरह, दावा बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकॉर्ड व खाता विभाजन मु. नं. 131/2012 न्यायालय उपखंड अधिकारी झुंझुनूं में किया गया था। बाद में उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 55/2013 प्रस्तुत कर रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 के खिलाफ दिनांक 04.03.2013 को विवादित जमीन के बाबत स्टे आदेश दिया गया जो स्टे आदेश कभी भी वेकेंट नहीं किया गया तथा प्रभावी रहा। बाद में रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने बाला बाला अपीलान्ट्स को बिना किसी प्रकार के नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये राजस्व मंडल अजमेर में कार्यवाही कर न्यायालय को मुगालता देकर उक्त स्टे आदेश को दिनांक 05.03.2020 को स्वत: ही प्रभावहीन होने बाबत विधिविरुद्ध आदेश पारित करवा लिया। उसके बाद कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से व न्यायालय सरकारी कार्यालयों में कामकाज नहीं होने के कारण उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तारीख पेशियाँ दी जाती रही। रेस्पोंडेण्ट नम्बर 1 ने उक्त अनुसार दावा नम्बर 131/2012 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. न. 55/2013 के लम्बित रहते दिनांक 03.03.2021 को रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने विवादित जमीन में से ख.न. 3401 तादादी 2.56 हैक्टर में गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्से की जमीन के बाबत एक विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 के हक में तथा उसी रोज विवादित शेष जमीन ख. न. 2301/3887, 3404 व 3452 कुल रकबा 4.67 हैक्टर में अपने नाम से गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्से की जमीन के बाबत एक उपहार पत्र अपनी तीन पुत्रवधुओं रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 10 लगायत 12 के हक में उप पंजीयक झुंझुनूँ से पंजीकृत करवा दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 23.03.2021 को विवादित जमीन की जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई, जिसमें रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 9 लगायत 12 का नाम दर्ज होना पाया गया तथा उसी रोज जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 4452 दिनांक 10.03.2021 जरिये बेचान के बाबत् पृष्ठांकन होने के बाबत भी जानकारी हुई। विवादित जमीन में अपीलान्ट्स का 1/3 हिस्सा है तथा रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा उक्त कालूखाँ के वारिसान का है जिसकी ताईद इस जमीन के करीब 65 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरियों से होती है। इसके 1/3 भाग पर अपीलान्ट्स का भौतिक कब्जा है तथा 1/3 भाग पर उक्त कालूखाँ के वारिसान का भौतिक कब्जा है तथा शेष बचे हुए 1/3 भाग पर सभी रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 का कब्जा काश्त है। उक्त अनुसार विवादित जमीन ने हक अधिकारों बाबत् निस्तारण अन्तिम रूप से उक्त दावा में ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है। नामान्तरकरण की कार्यवाही मात्र फिसकल एक्ट है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को किसी

प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। दौराने दावा विवादित भूमि के किसी प्रकार से किया गया अन्तरण सम्पत्ति स्थानान्तरकरण अधिनियम की धारा 52 के तहत doctorine of Lis-pendence सिद्धान्त से हिट होने से विवादित सम्पत्ति के दावा के दौरान किये गये अन्तरण को अवैध माना है। उक्त अनुसार विवादित जमीन के बाबत दावा उनवानी हासिम खाँ बनाम जीवण खाँ वगैरह, दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड मु. न. 131/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूँ में लम्बित है। जिसने पक्षकारान् के मध्य विवादित जमीन के संबंध में हक अधिकार अन्तिम रूप से तय होंगे। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी खातेदारी की जमीन के बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय में दावा विचाराधीन है तो नामान्तरकरण नम्बर 4452 दिनांक 10.03.2021 को पुर करवाकर दिनांक 15.03.2021 को गलत रूप से रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 के नाम से स्वीकृत किया है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि दावा लम्बित रहने के दौरान कोई नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जाता है तो इस प्रकार के नामान्तरकरण को खारिज किया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही लम्बित रखते हुए दावा के निर्णय के अनुसार किये जाने की हिदायत दी जाने को समुचित ठहराया गया है। अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 व उक्त कालूखाँ के वारिसान अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं व काश्त करते हैं तथा अपने-अपने हिस्से के अनुसार तारबन्दी की हुई है। नामान्तरकरण पुर किये जाने व तस्दीक किये जाने से पूर्व विवादित जमीन पर कब्जा की स्थिति बाबत् भौतिक सत्यापन किया जाकर उसके बाद ही नामान्तरकरण भरे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 8 का कुल जमीन में से केवल 1/3 हिस्से की जमीन पर ही भौतिक कब्जा है। कानून की यह भी सुस्थापित व्यवस्था है कि जब किसी व्यक्ति का विवादित जमीन पर कब्जा नहीं है तो कब्जा के अभाव में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। तहसीलदार झुंझुनूं ने न तो मौके का सत्यापन करवाया व न भौतिक रूप से विवादित जमीन का निरीक्षण ही किया। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर बहस विधि विरुद्ध है। उक्त अनुसार रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 द्वारा दिनांक 03.03.2001 को रेस्पोंडेन्ट नम्बर 9 के हक में विक्रय पत्र व रेस्पोंडेन्ट नम्बर 10 लगायत 12 के हक में उपहार पत्र पंजीकृत करवाये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण जैर बहस रेस्पोडेन्ट नम्बर 13 द्वारा विधि विरुद्ध तस्दीक किया गया है जिसके आधार रेस्पोंडेन्ट्स नम्बर 9 लगायत 12 के हक में विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में इनका नाम गलत अंकित हो गया है तथा भविष्य में वाद के लम्बित रहते रेस्पोंडेंट्स नम्बर 9 लगायत 12 भी विवादित जमीन को किसी अन्य के हक में अन्तरित कर सकते है जिससे विवादित जमीन के बाबत जटिलतायें बढ़ती चली जायेंगी। अत: अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 4452 दिनांक 10.03.2021/

15.03.2021 को निरस्त फरमाया जावे व नामान्तरकरण की कार्यवाही दावा नम्बर 131/2012 के निर्णय के अनुसार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोंडेन्ट्स ने नजीर आर.आर.टी. 2018 (2) 1552 की प्रति पेश कर वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपील मेमो के पेज सं. 2 के अनुसार मोती की मृत्यु संवत् 1992 से पहले ही हो चुकी थी। सेटलमेन्ट के वक्त मोती जिन्दा नहीं था। विवादित भूमि की खातेदारी संवत् 1999 से लेकर आज तक रेस्पोडेन्ट के नाम चली आ रही है। रेस्पोंडेन्ट का पिता मीनखाँ विवादित भूमि का अकेला काश्तकार था। रेस्पोंडेन्ट के पिता मीनखाँ को उक्त विवादित जमीन उत्तराधिकार में नहीं मिली है। जहाँ तक विवादित भूमि में से रेस्पोडेन्ट द्वारा विक्रय पत्र व उपहार तस्दीक करवाये गये हैं वे विवादित भूमि में 1/3 तक सीमा में ही बनाये गये है। यदि दावे में हिस्से तय होंगे तो भी विक्रय पत्र व उपहार पत्र द्वारा स्थानान्तरित की गई जमीन से अपीलान्ट के हक व अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अत: अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान वकील रेस्पोंडेन्ट के तर्कों का समर्थन किया तथा कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4452 पर आदेश दिनांक 10.03.2021 विक्रय पत्र की पालना में तस्दीक किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा निराधार तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अत: अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण 4452 विक्रय पत्र की पालना में दिनांक 10.03.2021 को तस्दीक किया गया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा:-

1. अपीलान्ट्स का प्रकरण में अहम तर्क यह रहा है कि कस्बा झुंझुनूं स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 3401, 3401/3887, 3404, 3452 कुल किता 4 कुल रकबा 7.2300 हैक्टर की खातेदारी खातेदार मोतीखाँ की रही है। उक्त खातेदार मोतीखाँ के तीन पुत्र हुये जिनके वारिस अपीलान्ट्स तथा रेस्पोंडेन्ट 1 लगायत 12 है। अपीलान्ट्स उक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्से भूमि की खातेदारी का अधिकार रखते हैं, जिसकी बाबत अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहाँ दावा बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती रिकॉर्ड व खाता विभाजन मु. न. 131/2012 पेश कर रखा है। अर्थात मीन के संबंध में हक एवं हकूक का विवाद है।

2. रेस्पोंडेन्ट्स का तर्क यह रहा है कि उनके द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान नियमानुसार किया है तथा विचाराधीन वाद में किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट्स ने नजीर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के द्वारा उनवानी प्रकरण हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिण्डौली में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2018 की प्रति पेश की जिसके अनुसार–"Rajasthan land Revenue Act, 1956-sec. 134—Appeal filed for cancellation of mutation-Apeals dismissed being bareed by limitation & the order affirmed by the additional Divisional Commissioner-No satisfactory reasons given in application u/sec. 5 of the limitation Act-Registered sale deed unless is cancelled by the Civil Court, it shall be treated as valid-Rights & title cannot be decided in mutation proceedings-Held, Revisions are devoid of miertis & dismissed." उक्त नजीर मियाद के बिन्दु तथा विक्रय पत्र को निरस्त करने के अधिकार सिविल न्यायालय को है के संबंध में है। प्रकरण में विवाद न तो मियाद का है और न ही विक्रय पत्र को निरस्त करने का है। यहाँ विवाद विक्रय पत्र की पालना में दर्ज हुए नामान्तरकरण के संबंध में है।

3. अपीलान्ट्स का तर्क यह है कि वाद के विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जमीन का बेचान किया है, जो अन्तरण सम्पत्ति स्थानान्तरकरण अधिनियम की धारा 52 के तहत के सिद्धान्त से अवैध माना है। इसके समर्थन में रेस्पोडेन्ट्स ने नजीर 2011 (2) आर.आर.टी. 907 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार–"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 76- Change of entries in the revenue record-'GS' sold the land by regd. Sale deed to respondent No. 1 & 2- Land transferred pending Litigation-provision of Sec. 52 of T.P. Act are attracted & sale was barred-No rights can be conferred upon the purchases-Mutation opened on the basis of sale deed is not legal-held, order set aside & the mutation be kept in abeyance till the final decision." प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर आंशिक चस्पा होती है। नजीर में सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। परन्तु इस प्रकरण में विक्रय पत्र के दौरान किसी न्यायालय स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। लेकिन वादों की बहुलता को रोकने के लिए हम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूँ के यहाँ विचाराधीन वाद संख्या 131/2012 के अंतिम निर्णय तक नामान्तरकरण संख्या

4452 पर पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 को प्रास्थगित रखा जाना उचित समझते हैं।

4. अत: अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वह नामान्तरकरण संख्या 4452 पर पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 तथा नामान्तरकरण की पालना में दर्ज हुये राजस्व रिकॉर्ड को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूँ के यहाँ विचाराधीन वाद संख्या 131/2021 के निर्णय तक प्रास्थगित रखें। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/-

(उमरदीन खान)

जिला कलक्टर,

झुंझुनूं

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (जोधपुर) पर चयनित प्रविष्टि)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

(बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सं. 32/2012

1. श्री जेठमल पुत्र क्षी हीराचन्द जाति जैन निवासी पाली निर्माता एवं ट्रस्टी पूज्य श्री महेन्द्रसुरी जी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरु मन्दिर परिसर अरठ, भटावा धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही फौत दिनांक 31.12.2013.
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री जेठमल जाति जैन निवासी पाली व्यवस्थापक पूज्य श्री महेन्द्रसुरी जी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरु मन्दिर परिसर अरठ, भटावा धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नानूराम पुत्र श्री नवाराम पुरोहित निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती सविता पत्नी श्री छतरिंगजी पुरोहित निवासी धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री हंसराज पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 2
3. श्री आश्विन मरड़िया, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3.

निर्णय

दिनांक : 01.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर मौजा धनारी, तह. पिण्डवाड़ा के वर्तमान में खसरा सं. 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 विस्वा को अप्रार्थीगण की खातेदारी से पुनः मंदिर श्री महेन्द्रसुरीजी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरु मन्दिर स्थान देह के नाम करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अश्विन मरड़िया ने उपस्थिति दी।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम धनारी की सरहद में मंदिर श्री महेन्द्रसुरीजी जिनेन्द्रसुरीजी जैन गुरु मन्दिर स्थित है। इस मंदिर के नाम पूर्व में कृषि भूमि अंकित थी लेकिन हाल राजस्व रेकर्ड में मंदिर का नाम हटाकर नामान्तरण संख्या 1152 दिनांक 30.07.1993 द्वारा कब्जा काबिज व्यक्तियों के नाम भूमि का अंकन किया गया। इस नियम विरुद्ध किये गये अंकन को हटाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 719 से 722 कुल रकबा 11 बीघा 18 विस्वा भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 08.09.1993 द्वारा जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर श्री पदमसुरीजी चेला श्री राज्य जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति के श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री छतरिंगजी जाति पुरोहित निवासी धनारी को रुपये 78,000/- में विक्रय किया था, जो अवैध है। मन्दिर की भूमि को जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी के बेचान नहीं किया जा सकता एवं यह पॉवर ऑफ अटॉर्नी स्वयंमेव अन्तरण पत्र नहीं है एवं यह रिवोकेवल है। नानूराम ने जैन समाज के धार्मिक आस्था स्थल के लिए दी गई सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 08.09.1993 को रुपये 78,000/- में अरठ का आधा खातेदारी हक एवं सम्पूर्ण कृषि आराजी का विक्रय लेख करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम नायब तहसीलदार पिण्डवाडा से नामान्तरण स्वीकृति कराकर उक्त कृषि भूमि एवं अरठ के आधे हिस्से की खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज किया। खसरा संख्या 722 की सम्पूर्ण सम्पत्ति आचार्य पदमसुरीजी महाराज के जरिये प्रार्थीगण के कब्जे हक अधिकार व व्यवस्था में आज तक है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये किया गया हस्तान्तरण अवैध बिन अधिकार है एवं इस हस्तान्तरण का नामान्तरकरण भरने का अधिकार ग्राम पंचायत को था लेकिन इस नामान्तरकरण को स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत को पेश नहीं किया गया। यह नामान्तरकरण संख्या 1161 विधि विरुद्ध होने से रद्द करने हेतु रेफरेन्स योग्य है। जैन समाज के धार्मिक कमलगन्ध गादी का पवित्र व गुरु स्थान है एवं इस गुरु स्थान की व्यवस्था हेतु सिरोही रियासत द्वारा दी गई सम्पत्ति धार्मिक स्थल की सम्पत्ति है जो लोकहित में किसी को हस्तान्तरण करने व खातेदारी देने योग्य नहीं है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये नानूराम को कब्जा नहीं दिया गया था और न ही क्रेता का कब्जा कानूनन नानूराम दे सकता था। रियासत द्वारा कमलगन्ध गादी की व्यवस्था हेतु दी गई सम्पत्ति अरठ भटावा व आराजी पर जैन समाज का आश्रय स्थल, गुरु मन्दिर परकोटा सहित सम्पत्ति है जिसे न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही उसकी खातेदारी कमलगन्छ के लोगों

के अलावा किसी अन्य को दी जा सकती है। जनहित व जनउपयोगिता व धार्मिक प्रयोजन के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण सम्पूर्ण सम्पत्ति का विकास करने में व धार्मिक आस्था को चीर स्थान बनाने को प्रार्थीगण प्रयत्नशील है एवं कमलगन्छ गादी के अनुयाईयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँच रही है। विक्रय विलेख के पंजीकृत के समय उप पंजीयक के पॉवर ऑफ अटॉर्नी को गम्भीरता से नहीं देखा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सम्पत्ति का कब्जा पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को नहीं दिया गया है। इस विक्रय विलेख के अनुसार विक्रेता को विक्रय कीमत अदा करने का उल्लेख भी नहीं है व विक्रेता द्वारा क्रेता को कब्जा सुपुर्द करने का भी अधिकार नहीं है। विक्रय विलेख अनाधिकार है व इस आधार पर भरा गया नामान्तरकरण भी विधि विरुद्ध है जो निरस्त योग्य है। विधि दृष्टान्त आर.आर.टी. 2012 पेज 1313, पेश करते हुए निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स करने के आदेश पारित करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन करीबन 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर है। मंदिर का कब्जा होने के तथ्य गलत है। कब्जा किस व्यक्ति के जरिये मंदिर का था, को प्रार्थी ने न तो दर्शाया है और न ही कोई प्रलेख प्रस्तुत किये है। प्रार्थी का आवेदन कब्जे के प्रमाण के अभाव में परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी जैन मंदिर एवं उसकी आराजी खसरा नं. 719 से 722 कुल 11 बीघा सम्बन्धित राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी में श्रीमती सवितादेवी पत्नी श्री छतरींगजी पुरोहित सा. देह खातेदार के नाम से वर्ष 1993 से आज तक उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में श्री पदमपुरी चेला पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा. देह खातेदार के पॉवर ऑफ अटॉर्नी से क्रय करने के बाद आज तक गत 28 वर्षों से दर्ज बतौर खातेदार है तथा सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में मौजा धनारी खसरा नम्बर 722/2 रकबा 0.18 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा मात्र श्री पूज्य पदमसुरीजी चेला श्री पूज्य जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रश्नगत मौका धनारी तहसील पिण्डवाडा की आराजी पदमसुरीजी के पूज्य गुरु पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। इसके पूर्व खातेदार पदमसुरीजी चेला श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति दर्ज थी। जैन समाज की यति परम्परा में जो यति कौम से सम्बन्धित है उनमें शिष्य परम्परा होती है तथा कौम यति के साधु गृहस्थ अर्थात् विवाह भी कर सकते हैं तथा अपनी चल-अचल सम्पत्ति के हकदार होते हैं। पूज्य श्री पदमसुरीजी का रेफरेन्स विचाराधीन के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण-पत्र पत्रावली पर है। यति श्री पदमसुरीजी की सम्पदा का कोई ट्रस्ट उनके जीवनकाल में नहीं बना था और न ही उनका कोई जीवित शिष्य ही है। उनकी मात्र 18 बिस्वा भूमि का उत्तराधिकारी उनका शिष्य आदि होता

तो हो सकता था। प्रार्थीगण पदमसुरीजी की चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाहरी व्यक्ति एवं अजनबी है, जिसके सम्बन्ध में नजीर R.LW. 1964 Page No. 441 to 442 सुमेरचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की नजीर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त रेफरेन्स प्रस्तुति में कोई LOCUS STANDI नहीं है। वे AGGRIEVED PARTY भी नहीं है और न ही उन्हें रेफरेन्स करीब 19-20 वर्ष पश्चात् TOTAL LEGAL REMEDIES अपील रिवीजन वाद वगैराह सिविल न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में खत्म होने के पश्चात् यह अपरिपोषणीय रेफरेन्स कार्यवाही बदयान्तिपूर्ण आशय से अतिशय विलम्ब के प्रस्तुत की है, जो कानूनन खारिज योग्य है, जिसके सम्बन्ध में 1996 DNJ (RAJ) Page No. 100 Anandilal V/s. State of Rajasthan & Ors. अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ पेश है। अत: प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज करना फरमावे। विधिक दृष्टान्त विधिक दृष्टान्त जी.एन.जे. (राज.) 1995 पेज 38, आर.आर.डी. 1994 पेज 329, आर.आर. टी. 2012 पेज 34, 238, आर.आर.टी. 2014 पेज 534 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 3 के लायक राजकीय अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब पर गौर करने का निवेदन किया गया एवं उक्त प्रकरण में सरकार पक्ष का कोई लेना-देना नहीं है। यह रेफरेन्स कानूनी तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

हमने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मौजा धनारी तह. पिण्डवाड़ा में खसरा संख्या 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 विस्वा भूमि सन् 1993 तक पदमसुरीजी चेला पूज्य श्री जिनेन्द्रसुरीजी कौम यति सा. देह खातेदार के रूप में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, मन्दिर के नाम दर्ज नहीं थी। सिरोही रियासत काल के समय यह भूमि श्री जिनेन्द्रसुरीजी चेला महेन्द्रसुरीजी महाराज कमलगन्ध गादी मौजा धनारी तहसील भावरी में अरठ भटावा व उसका वेरा (कुआँ) जो संवत् 1931 रा माह सुद 7 को दान में अर्पण किया जो खालसा होने से नीलाम की कार्यवाही जारी होने पर उनकी दरख्वास्त पेश होने पर वाद तपास अर्ज मंजूर फरमाओ नीलाम की कार्यवाही मनसुख कर संवत् 1931 रा परवाना माफीक कायम रखी जो गादी रे कायम रहे सी, खुशी राखजो फकत दिनांक 25.04.1948 ई. मुताबिक मीति बैशाख वद 2 वार सूरज। जिस पर सिरोही रियासत के रेवेन्यू ऑफिसर श्री डी.सी. गैमावत रेवेन्यू मेम्बर श्री के.सी. सिंधी चीफ मिनिस्टर श्री के.के. ठाकुर तहसीलदार भावरी श्री एस.एन. सिंधी एवं गिरदावर भावरी श्री नोनिदराय गुप्ता के हस्ताक्षर दिनांक 08.07.1948 के है। उस अनुसार परवाना नम्बर 1917

दिनांक 29.10.1917 के तहत उक्त विवादित भूमि का नामान्तरकरण होने पर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में कॉलम संख्या 4 में सुरेश्वरजी गुरु महेन्द्रसुरेश्वरजी कौम यति सा. देह खातेदार दर्ज हुआ। उसके बाद जमाबन्दी संवत् 35 से 38 में श्री पूज्य जिनेन्द्रसुरीजी चेला महेन्द्रसुरी कौम यति सा. देह खातेदार दर्ज हुआ। उसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 1161 दिनांक 31.10.1993 के जरिये विक्रय विलेख रजिस्ट्री क्रमांक 543 दिनांक 08.09.1993 के द्वारा बेचान करने पर खरीददार श्रीमती सवितादेवी पत्नी श्री छतरींगजी पुरोहित खातेदार के नाम आज तक चल रही है, न कि मंदिर के नाम। किसी भी खातेदार को अपनी कृषि भूमि बेचान करने का हक है। प्रार्थी अधिवक्ता यह तथ्य सिद्ध नहीं कर सके कि यह भूमि एवं उसका वेरा (कुआँ) मन्दिर का था। सिरोही रियासत द्वारा जारी परवाना नम्बर 1917 दिनांक 29.10.1917 के तहत विवादित भूमि श्री सुरेश्वरजजी गुरु महेन्द्र सुरेश्वरजी कौम यति को दान दी गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ तब राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि बतौर खातेदार दर्ज हुई, जो जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में सा. देह खातेदार दर्ज है। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी न्यायालय में या राजस्व कार्यालयों में कोई उजर-ऐतराज आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: विवादित भूमि मौजा धनारी खसरा नं. 719 से 722 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा को किसी खातेदार की कृषि भूमि ही माना जायेगा, न कि किसी संस्था या मन्दिर के। चूँकि यह भूमि आज से 27 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी में निर्विवाद रूप से चली आ रही है, जिसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाया जाने से विधिविरुद्ध है। अत: प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त डी.एन.जे. (राज.) 1995 पेज 38, आर.आर.डी. 1994 पेज 329, आर.आर.टी. 2012 पेज 374, 238, आर.आर.टी. 2014 पेज 534, आर.आर.टी. 2012 पेज 1313 एवं न्यायालय द्वारा अपनी लाइब्रेरी से देखे गये विधिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1984 पेज 363, आर.आर.डी. 1999 पेज 351, आर.आर.डी. 2000 पेज 189, आर.आर.डी. 1996 पेज 170, आर.आर.डी. 1974 पेज 359, आर.आर.डी. 1982 पेज 298 का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए निवेदन एवं रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर आज दिनांक 01.02.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

ह0/-

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरोही

(सर्वश्रेष्ठ निर्णय प्रतियोगिता 2021 में संभाग स्तर (उदयपुर) पर चयनित प्रविष्टि)

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

(निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 50/2019 अपील (राजस्व)

1. श्री रतनलाल पिता श्री नानूराम कुम्हार, निवासी–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री बाबूलाल उर्फ श्यामलाल गायरी पिता खुमा जी गायरी, निवासी–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

.....अपीलाण्टगण

बनाम

1. तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अपील विरुद्ध निर्णय माननीय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 921/19 बउनवान सरकार बनाम पटवार हल्का वल्लभननगर में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 22.03.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 921/19 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 17.09.19 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का वल्लभनगर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उदाखेड़ा की आराजी नंबर 264/2 क्षेत्रफल 0.10 बीघा भूमि को अनाधिकृत सरकारी भूमि मानकर उस पर अतिचार का नोटिस दिया जाकर अपीलार्थी को तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा दिनांक 28.06.2019 को बेदखली के आदेश पारित कर भूमि पर स्थित ईंटों को राजसात किया जाकर इन ईंटों की नीलामी हेतु दिनांक 17.09.2019 को इस्तीयार जारी किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश विधिक प्रावधानों से परे जाकर प्रार्थना–पत्र की

नोईयत को समझे बिना केवल मात्र अपनी महत्त्वाकांक्षा थोपने के आधार पर कयासी आधारों पर उक्त निर्णय पारित किया गया। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि अपीलाण्ट संख्या 2 बाबूलाल उर्फ श्यामलाल पिता खुमा गायरी के नाम दर्ज होकर इस भूमि का अपीलाण्ट द्वारा उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। परन्तु तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बेदखली के आदेश प्रदान कर दिये जबकि ऐसी भूमि पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 कार्यवाही लागू नहीं होती है। वादग्रस्त आराजी नंबर 2964/2 रकबा 0.10 बीघा किस्म खादी-II होकर वर्तमान में पड़त है। सिंचाई का भी कोई स्रोत नहीं है। अपने निजी जरूरीयातों में रुपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि में से आंशिक भूमि 2500 वर्गमीटर जरिये इकरार उपयोग उपभोग हेतु निश्चित अवधि के अपीलान्ट सं. 1 को दी गई है, जिससे अपीलान्ट सं. 1 द्वारा अपने निजी कार्य में उपयोग उपभोग लिया जा रहा है। अपीलान्ट सं. 1 जाति से कुम्हार होकर ईंट बनाने का कार्य कर स्टॉक करता है। उसके परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। उक्त भूमि का क्षेत्रफल में दो एकड़ से भी कम भूमि है। राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 की धारा 9 संपरिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी के (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन वहाँ अपेक्षित नहीं होगा, जहाँ अभिधारी उसके द्वारा धारित भूमि के 2500 वर्गमीटर से अनाधिक क्षेत्र पर छोटे ईंट भट्टा स्थापित करना चाहता है और ऐसी भूमि ऐसे छोटे ईंट भट्टों के लिए संपरिवर्तित हुई समझी जावेगी। उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर की गई है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अत: अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णय दिनांक 28.06.2019 की अनुपालना में जारी निलामी इश्तिहार दिनांक 17.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली में बस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी नंबर 2964/2 रकबा 0.10 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट सं. 2 बाबूलाल उर्फ श्यामलाल गायरी के नाम खाते दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट सं. 2 द्वारा यह भूमि असिंचित व पड़ी हुई होने के कारण अपीलान्ट सं. 1 को जरिये इकरार निश्चित अवधि के लिए दी गई है। जिस पर अपीलान्ट सं. 1 जो कि जाति से कुम्हार है जिसके द्वारा एक छोटा-सा भट्टा स्थापित कर ईंट बनाने का कार्य स्टॉक कर रहा है। यह भूमि सरकारी नहीं है। खाते की भूमि है। जिस पर

धारा 91 की कार्यवाही विधिक रूप से लागू नहीं होती है एवं प्रकरण में धारा 90ए के अन्तर्गत की जाने वाली सारी कार्यवाही अवैध होकर शून्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2019 को इस भूमि से बेदखली के आदेश प्रदान किये गये। यह भूमि सरकारी भूमि नहीं है, अपीलाण्ट के खाते की भूमि है जिस पर धारा 91 की कार्यवाही लागू नहीं होती है। राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए संपरिवर्तन नियम, 2007 की धारा 9 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि 2500 वर्गमीटर से अनाधिक क्षेत्र पर छोटे ईंट भट्टा स्थापित करना चाहता है तो ऐसी भूमि छोटे ईंट भट्टों के लिए संपरिवर्तित हुई समझी जायेगी। अपीलाण्ट सं. 1 जाति से कुम्हार है जिसका परिवार का पालन-पोषण इसी कार्य से हुई आय से होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली का एवं नीलामी इश्तिहार दिनांक 17.09.2019 को अपास्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस का मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 2964/2 रकबा 0.10 किस्म खादी-II वाके ग्राम उदाखेड़ा तहसील वल्लभनगर में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में श्री बाबूलाल उर्फ श्यामलाल खातेदार दर्ज है एवं मौके पर अपीलार्थी रतनलाल पिता नानूराम कुम्हार द्वारा बिना अनुमति/संपरिवर्तन कराये ईंट भट्टा चलाने के कारण अधीनस्थ अदालत तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा धारा 90ए एवं धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने एवं मौके पर उपलब्ध 80,000 ईंटों को राजसात कर नियमानुसार नीलामी हेतु निर्णय दिनांक 28.06.19 द्वारा आदेशित किया है एवं उक्त निर्णय दिनांक 28.06.19 की अनुपालना में जारी नीलामी इश्तिहार दिनांक 17.09.19 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत अपील पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण के तर्क है कि खातेदारी भूमि पर ईंट भट्टा लगाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मौके पर ईंट भट्टे का एरिया 2500 वर्गमीटर से कम होने के कारण भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (2) के प्रोविजनों की तरफ आकर्षित किया। यह भी निवेदन किया कि ईंट भट्टा खातेदारी भूमि पर है जबकि अधीनस्थ अदालत ने सरकारी जमीन पर ईंट भट्टा मानते हुए धारा 91 की कार्यवाही की है जो सरासर गलत होने से अपास्त योग्य है।

रेस्पोंडेन्ट की तरफ से प्रस्तुत अपील का जवाब पेश नहीं किया गया एवं वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 2964/2 रकबा 0.10 किस्म खादी-II वाके ग्राम उदाखेड़ा वल्लभनगर श्री बाबूलाल उर्फ श्यामलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं अधीनस्थ अदालत की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर श्री रतनलाल पिता नानूलाल कुम्हार द्वारा ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा था एवं मौके पर 80,000 ईंटों को राजसात कर नीलामी हेतु अधीनस्थ अदालत ने आदेशित किया है।

क्या खातेदारी कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन के ईंट भट्टा संचालित किया जा सकता है या नहीं? इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(2) के परन्तुक की तरफ ध्यान आकर्षित कर संपरिवर्तन आवश्यक नहीं बताया है। उक्त विधिक प्रावधान निम्नानुसार है-

नियम 9(2) द्वितीय परन्तुक ''परन्तु यह और कि संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन अपेक्षित नहीं होगा, जहाँ अभिधारी उसके द्वारा उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि के एक एकड़ से अनधिक क्षेत्र में माइक्रो, लघु उद्योग इकाई, कजावा (छोटा ईंट भट्टा) स्थापित करना चाहता है या अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर एक एकड़ से अनधिक क्षेत्र में संस्थानिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना चाहता है और ऐसी भूमि ऐसी माईक्रो, लघु उद्योग इकाई, कजावा (छोटा ईंट भट्टा) ऐसे संस्थानिक प्रयोजन, चिकित्सा प्रसुविधा या लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित हुई समझी जायेगी। ऐसे संपरिवर्तन के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार संदेय नहीं होंगे।''

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि खातेदार स्वयं को स्वयं की भूमि पर एक एकड़ से अनधिक क्षेत्र में कजावा (छोटा ईंट भट्टा) लगाने हेतु संपरिवर्तन कराने एवं कोई प्रभार संदेय करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ईंट भट्टा खातेदार के बजाय अन्य व्यक्ति (अपीलान्ट संख्या-1 श्री रतनलाल कुम्हार) द्वारा संचालन किया जा रहा है तथा यह कजावा (छोटा ईंट भट्टा) नहीं होकर व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन हो रहा है जिसका सबूत मौके पर राजसात की गई 80,000 ईंटे हैं। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(2) के द्वितीय परन्तुक के द्वारा दी गई छूट में कवर नहीं होता है एवं इस तरह की गैर कृषि गतिविधियाँ के लिए नियमों के तहत विधिवत स्वीकृति/संपरिवर्तन कराया जाना

आवश्यक है। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आराजी पर संचालित ईंट भट्टा बिना संपरिवर्तन/अनुमति से संचालित होने से इस पर धारा 90ए एवं धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं।

धारा 90ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान खातेदारी कृषि भूमि के गैर कृषि कार्यों में बिना अनुमति प्रयोग करने पर प्रभावी होता है। इसमें ऐसी भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिए धारण करने वाला व्यक्ति एवं बाद में समस्त अन्तरितिगण, यदि कोई हो तो, यथास्थिति अतिक्रमणकारी या अतिक्रमण करने वाले समझे जाने एवं धारा 91 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा। अत: अधीनस्थ अदालत द्वारा धारा 90ए एवं धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 90ए एवं धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 28.06.19 के विरुद्ध दायर नहीं की जाकर इस आदेश की अनुपालना में राजसात की गई ईंटों की नीलामी हेतु जारी नीलामी इश्तिहार दिनांक 17.09.19 को अपास्त करने हेतु दायर की है। इस संबंध मेरा यह मत है कि जब प्रकरण में धारा 90ए एवं धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जारी मूल आदेश, जिसकी अनुपालना में नीलामी इश्तिहार जारी किया गया है, प्रभावी रहता है तब तक नीलाम हेतु जारी नीलामी इश्तिहार को निरस्त/अपास्त करना वैसे भी संभव नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के आलोक में मेरा विनम्र मत है कि अधीनस्थ अदालत द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत एवं उचित है। उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण या आधार नहीं है।

अत: अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ अदालत तहसीलदार वल्लभनगर की पत्रावली सं. 921/19 प्रेषित की जावें।

निर्णय खुली अदालत सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल की जावे।

ह0/-
(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

राजस्व मंडल स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये वाद निस्तारण की समीक्षा

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.4.2022 से 30.06.2022 में निस्तारित किये गये राजस्व-प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.4.2022 से 30.06.2022 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प. 12 (18) राम/निरी/78/975, दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है–

निर्धारित मापदण्ड– 10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह

त्रैमासिक 30 अपील/निगरानी एवं 60 विविध प्रकरण = 60 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधार :

1.	मानदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए +
2.	मानदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3.	मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी +
4.	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5.	मानदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, अजमेर	A +
2.	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	B +
3.	जिला कलेक्टर, नागौर	A +
4.	जिला कलेक्टर, टोंक	A +

सम्भाग-भरतपुर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, भरतपुर	B+
2.	जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
3.	जिला कलेक्टर, करौली	A +
4.	जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	A

सम्भाग-बीकानेर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2.	जिला कलेक्टर, चुरू	A +
3.	जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर	A+
4.	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C

सम्भाग-जयपुर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2.	जिला कलेक्टर, दौसा	A +
3.	जिला कलेक्टर, जयपुर	A +
4.	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A +
5.	जिला कलेक्टर, सीकर	A

सम्भाग-जोधपुर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	A +
2.	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3.	जिला कलेक्टर, जालौर	C +
4.	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A +
5.	जिला कलेक्टर, पाली	A +
6.	जिला कलेक्टर, सिरोही	A +

सम्भाग-कोटा

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, बारां	A +
2.	जिला कलेक्टर, बून्दी	A
3.	जिला कलेक्टर, झालावाड़	C +
4.	जिला कलेक्टर, कोटा	A +

सम्भाग-उदयपुर

क्र.सं.	जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	A +
2.	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	A +
3.	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4.	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5.	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	B
6.	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A +

ह0/-

(खजान सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स न्यायालय द्वारा अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 में निस्तारित किये गये राजस्व-प्रकरणों पर मण्डल की त्रैमासिक समीक्षा।

अति जिला कलेक्टर्स न्यायालयों द्वारा अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 में किये गये राजस्व-प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प. 12 (18) राम/निरी/78/975 दिनांक 03.04.2012 एवं मण्डल के पत्र क्रमांक 8260 दिनांक 18.12.2018 के संशोधन पश्चात् परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया है-

निर्धारित मापदण्ड- प्रतिमाह 50 अपील / निगरानी / स्टाम्प / सीलिंग आदि

त्रैमासिक 150 अपील / निगरानी / स्टाम्प / सीलिंग आदि

ग्रेडिंग का आधार :

1.	मापदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए +
2.	मापदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3.	मापदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी +
4.	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5.	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

सम्भाग-अजमेर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, अजमेर	B +
2.	अति. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A
3.	अति. जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, नागौर	C
5.	अति. जिला कलेक्टर, कुचामन सिटी (नागौर)	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, टोंक	C

सम्भाग- भरतपुर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2.	अति. जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3.	अति. जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, करौली	B
5.	अति. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, (गंगापुर सिटी) स. माधोपुर	C

सम्भाग-बीकानेर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, बीकानेर	B+
2.	अति. जिला कलेक्टर, चुरू	C
3.	अति. जिला कलेक्टर, सुजानगढ़ (चुरू)	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर (प्र.)	B
5.	अति. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर (सतर्कता)	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ (गंगानगर)	C
7.	अति. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C
8.	अति. जिला कलेक्टर, नोहर	C

सम्भाग-जयपुर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	C
2.	अति. जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	C
3.	अति. जिला कलेक्टर, भिवाड़ी (अलवर)	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, दौसा	C
5.	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
7.	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	C

8.	अति. जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	C
9.	अति. जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
10.	अति. जिला कलेक्टर, दूदू (जयपुर)	C
11.	अति. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A +
12.	अति. जिला कलेक्टर, सीकर	C
13.	अति. जिला कलेक्टर, नीमकाथाना (सीकर)	C

सम्भाग-जोधपुर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2.	अति. जिला कलेक्टर, बालोतरा (बाड़मेर)	नवसृजित
3.	अति. जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, जालौर	C
5.	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
7.	अति. जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C
8.	अति. जिला कलेक्टर, फलौदी (जोधपुर)	C
9.	अति. जिला कलेक्टर, पाली	C
10.	अति. जिला कलेक्टर, पाली (सिलिंग)	C
11.	अति. जिला कलेक्टर, बाली (पाली)	नवसृजित
12.	अति. जिला कलेक्टर, सिरोही	C

सम्भाग-कोटा

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, बारां	B
2.	अति. जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	C
3.	अति. जिला कलेक्टर, बून्दी	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, झालावाड़	C
5.	अति. जिला कलेक्टर, कोटा	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, कोटा (सिलिंग)	सूचना अप्राप्त

सम्भाग-उदयपुर

क्र.सं.	अति. जिला-कलेक्टर	ग्रेडिंग
1.	अति. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	A +
2.	अति. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	C
3.	अति. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	C
4.	अति. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	C
5.	अति. जिला कलेक्टर, राजसमन्द	C
6.	अति. जिला कलेक्टर, उदयपुर	A

अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा (बाड़मेर) तथा बाली (पाली) नवसृजित कार्यालय होने के कारण एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग (कोटा) से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण समीक्षा जारी नहीं की गई है।

ग्रेड ''सी'' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावे तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

ह0/-
(खजान सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के समस्त उपखण्ड न्यायालयों एवं सहायक कलक्टर न्यायालयों की त्रैमासिक अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

त्रैमासिक अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 में राज्य के समस्त उपखण्ड न्यायालयों एवं सहायक कलक्टर न्यायालयों की समीक्षा की गई।

निर्धारित मापदण्ड- 1- उपखण्ड अधिकारी- 30 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

2- सहायक कलक्टर-40 वाद एवं 60 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह

तीन विविध प्रार्थना पत्रों को 1 बहुपक्षीय माना गया है।)

(अ) मानदण्ड का 100 से अधिक- ''उत्कृष्ट-ए +''

1. उपखण्ड अधिकारी-अजमेर, ब्यावर, तिजारा, कोटकासिम, नीमराणा, बारां, जहाजपुर, नोखा, राजगढ़, सरदारशहर, बांदीकुई, श्रीगंगानगर, घड़साना, पदमपुर, हनुमानगढ़, नोहर, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा, भादरा, दूदू, उदयपुरवाटी, बुहाना, भोपालगढ़, बाप, लोहावट, रामगंजमण्डी, रियांबड़ी, नीमका थाना, मालपुरा, टोडारायसिंह, गोगुन्दा, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी।

2. सहायक कलक्टर-शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक- ''बहुत अच्छा-ए''

1. उपखण्ड अधिकारी- केकड़ी, कठूमर, शिव, बायतु, चित्तौड़गढ़, भदेसर, विराट नगर, पावटा, झुंझुनूं, चिड़ावा, हिण्डौन, डीडवाना, सीकर, दातारामगढ़, देवली, पीपलखूंट।

2. सहायक कलक्टर-शून्य।

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक-''अच्छा-बी +''

1. उपखण्ड अधिकारी-अटरू, श्रीकरनपुर, नवलगढ़, बिलाड़ा, जायल, जैतारण, श्रीमाधोपुर।

2. सहायक कलक्टर-शून्य।

(द) मानदण्ड का 70% से 80% तक- ''औसत-बी''

1. उपखण्ड अधिकारी-रामगढ़, रेणी, गुढ़ामालानी, सिणधरी, सेड़वा, भरतपुर, पहाड़ी, भीलवाड़ा, रायपुर, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत, निम्बाहेड़ा, बेगूं, बड़ी सादड़ी, गंगरार, राशमी, सुजानगढ़, बिदासर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सादूलशहर, सांभर, खेतड़ी, परबतसर, नावां, स. माधोपुर, बामनवास, चौथ का बरवाड़ा, धोद, पीपलू, धरियावाद।

2. सहायक कलक्टर- बीकानेर (मु.), नवलगढ़।

(ड) मानदण्ड का 70% से नीचे- ''औसत से नीचे-सी''

1. उपखण्ड अधिकारी–किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, पीसांगन, सरवाड़, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, टॉटगढ़, अराई, अलवर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कि. बास, मुण्डावर, बहरोड़, बानसुर, मालाखेड़ा, नारायणपुर, गोविन्दगढ़, बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, बागीदौरा, गढ़ी, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, छबड़ा, किशनगंज, मांगरोल, शाहबाद, छिपाबड़ोद, अन्ता, बाड़मेर, बालोतरा, चौहटन, रामसर, सिवाना, धोरीमन्ना, गडरारोड़, डीग, कामां, बयाना, कुम्हेर, बैर, नदबई, रूपबास, नगर, भूसावर, शाहपुरा, गुलाबपुरा, बनेड़ा, माण्डल, माण्डलगढ़, गंगापुर, बिजौलिया, कोटड़ी, आसींद, फूल्याकलां, हमीरगढ़, करेड़ा, बदनोर, बीकानेर, खाजूवाला, लूणकरणसर, पूंगल, छत्तरगढ़, बज्जू, बून्दी, नैनवा, के. पाटन, हिण्डोली, लाखेरी, तालेड़ा, कपासन, रावतभाटा, डूंगला, भूपालसागर, चुरू, रतनगढ़, तारानगर, दौसा, महुवा, सिकराय, लालसोट, नागलराजावतान, रामगढ़ पचवारा, लवाण, मण्डावर, धौलपुर, बाड़ी, बसेडी, सैंपऊ, राजाखेड़ा, सरमथुरा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा, सांवला, गलियाकोट, चिकली, श्रीविजयनगर, जयपुर (प्रथम), बस्सी, जयपुर (द्वितीय), चाकसू, आमेर, कोटपूतली, ज. रामगढ़, चौमू, शाहपुर, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, भनियाना, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, सांचौर, सायला, बागौड़ा, जसवन्तपुरा, चितलवाना, झालावाड़, भवानीमण्डी, अकलेरा, खानपुर, पिड़ावा, मनोहरथाना, गंगधार, असनावर, मल्सीसर, सूरजगढ़, फलौदी, पीपाड़ शहर, औसियाँ, शेरगढ़, लूमी, बावड़ी, बालेसर, जोधपुर (उत्तर), जोधपुर (दक्षिण), करौली, मण्डरायल, सपोटरा, टोडाभीम, नांदौती, कोटा, दीगोद, सांगोद, ईटावा, कनवास, नागौर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, लाडनूं, खींवसर, कुचामनसिटी, पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, रोहट, मा. जक्शन, रायपुर, रानी, राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ़, रेलमगरा, आमेट, देवगढ़, गंगापुरसिटी, बौली, खण्डार, मलारनाडुंगर, वजीरपुर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ शेखावाटी, सिरोही, आबू पर्वत, रेवदर, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, आबूरोड़, टोंक, निवाई, उनियारा, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली, खैरवाड़ा, कोटड़ा, सलूम्बर ऋषभदेव, बड़गाँव।

2. सहायक कलक्टर–अजमेर, अलवर, मुण्डावर, बहरोड, बानसूर, बहरोड़ (फाट्रे.) बाड़मेर, चौहटन, भरतपुर, नगर, कुम्हेर, नदबई, उच्चैन, भीलवाड़ा, जहाजपुर, माण्डल, बीकानेर (फाट्रे.), बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, लालसोट, बांदीकुई, धौलपुर, गंगानगर, भादरा, जयपुर (प्रथम), जयपुर (द्वितीय), आमेर, आमेर (फाट्रे.), बस्सी, फागी, सांभर, चौमूँ, चौमू (फाट्रे.), कोटपूतली, शाहपुरा, दूदू, ज. रामगढ़, सांचौर, झुंझुनूं, उदयपुरवाटी, चिड़ावा, फलौदी, कोटा,

ईटावा, करौली, नागौर, जैतारण, स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर (प्रथम), सीकर (द्वितीय), दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, टोंक, निवाई, वल्लभनगर, मावली।

उपखण्ड अधिकारी सावर, सीकरी, उच्चैन, बसवा, सैंथल, जोबनेर, मौजमाबाद, मण्डावा, देचूं, मूण्डवा, नेछवा, खण्डेला, झाडोल, लसाड़िया, सराड़ा, भीण्डर, सेमारी, नयागाँव एवं सहायक कलक्टर तिजारा, कठूमर, थानागाजी, कि. बास, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कोटकासिम, राजगढ़, डीग, हनुमानगढ़, जोधपुर, बिलाड़ा, प्रतापगढ़, खण्डेला, गिर्वा, नाथद्वारा का पद नवसृजित/ पदरिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

ह0/-

(खजान सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 (त्रैमासिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

त्रैमास अवधि 01.04.2022 से 30.06.2022 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू–प्रबंध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति (ग्रेडिंग को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्ड– न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार पर:–

1– राजस्व अपील प्राधिकारी :–

1000 या अधिक लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से 999 लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह

500 से कम लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी:–

(क) 1000 या अधिक लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 50 मामले बहुपक्षीय – 30 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(ख) 500 से 1000 लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 30 मामले बहुपक्षीय – 15 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(ग) 500 से कम लम्बित राजस्व मुकदमों पर – 20 मामले बहुपक्षीय – 10 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह

(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया है)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन:–

(अ) मानदण्ड का 100 प्रतिशत से अधिक–उत्कृष्ट– 'ए'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी – जयपुर।

2– भू.–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी – शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक - 'बहुत अच्छा'- 'बी'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी - कोटा।

2- भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी - शून्य।

(स) मानदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक - 'अच्छा'- 'सी'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी - शून्य।

2- भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी - शून्य।

(द) मानदण्ड का 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक - 'औसत'- 'डी'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी - शून्य।

2- भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी - शून्य।

(य) मानदण्ड का 70 प्रतिशत से नीचे- 'औसत से नीचे'- 'ई'

1- राजस्व अपील प्राधिकारी - अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।

2- भू. प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी - भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, सीकर, टोंक व उदयपुर।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर एवं भीलवाड़ा का पद रिक्त होने के कारण समीक्षा नहीं की गई है।

ग्रेड ''ई'' के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावें तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

ह0/-
(खजान सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक : प. 10 (3) राज-6/2001/पार्ट/142 जयपुर, दिनांक: 06.09.2022

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

परिपत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (3) राज-6/2001/पार्ट-5 दिनांक 26.06.2012 की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते हैं:-

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोई भी गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बाँध अथवा पायतन या अन्य केचमेंट एरिया में किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया जाना प्रतिबंधित है।

अत: यदि ऐसी भूमियों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 का उल्लंघन कर किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो ऐसे अधिकारी अनाधिकृत रूप से किये गये आवंटन/नियमन के लिये व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे एवं उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से,
ह0/-
(एम.डी. रतनू)
उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F. 6 (25) Rev-6/14pt/135 Jaipur, dated : 01.08.2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 102 of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following amendent in this department's order No. F. 5 (109) Rev. B/60, dated 20.07.1963, as amended from time to time, pertaining to allotment of unoccupied Government Agricultural Land for the construction of Schools, College, Dispensaries, Dharamshala and other building of public Utility, namely :-

Amendment

In the said order, after the existing item (d) and entries thereto of sub-clause (ii) of clause 3, the following new item (e) and entries thereto shall be added, namely:-

''(e) Collector may allot land upto an area not extending 2000 Sq. yard on free of cost to non-profitable institutions eligible under the Social Security Investment Promotion Scheme, 2021.''

By order of the Governor

Sd/-

(M.D. Ratnoo)

Deputy Secretary to the Government

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 09.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जोधपुर की तहसील बाप का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील घंटियाली को क्रमोन्नत कर तहसील घंटियाली का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील घंटियाली, जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	घंटियाली (पुनर्गठित)	20437.82	घंटियाली	4287.22	1
			खाजूसर (नवसृजित)	2606.89	2
			चिमाणा	5872.26	1
			जैसला	7671.45	1
2.	रोहिणा (पुनर्गठित)	20611.69	रोहिणा	6932.87	1
			केलनगर	4684.32	2
			अजासर (नवसृजित)	4680.79	4
			ढाढरवाला (नवसृजित)	4313.72	3

3.	चाम्पासर (नवसृजित)	14984.07	चाम्पासर	4931.56	4
			मानेवड़ा (नवसृजित)	1555.66	2
			बूंगड़ी	8496.86	1
4.	लूणा (नवसृजित)	23998.56	लूणा	10310.07	6
			उदट (नवसृजित)	7594.05	1
			मिठड़िया (नवसृजित)	6094.44	3
5.	चाखू (पुनर्गठित)	18178.90	चाखू	3891.70	4
			नारायणपुरा (नवसृजित)	9295.41	6
			बाबा का धोरा (नवसृजित)	4991.79	4
योग	**05**	**98211.05**	**17**	**98211.05**	**46**

पुनर्गठित तहसील बाप के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एव पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	बाप (पुनर्गठित)	37551.79	बाप	11020.73	1
			जतडासर (नवसृजित)	3479.21	5
			बड़ी सादड़ी देगावड़ी (नवसृजित)	18799.09 4252.76	6 4
2.	जाम्बा (पुनर्गठित)	15324.26	जाम्बा	4346.44	5
			कृष्णनगर कलां (नवसृजित)	6877.38	7
			चारणाई	4100.45	4

3.	कानासर (पुनर्गठित	28842.60	कानासर	11377.54	4
			नेंवा (नवसृजित)	12579.68	3
			नूरे की भुर्ज	4885.39	2
4.	कल्याणसिंह सिड्ड	44262.15	कल्याणसिंह की सिड्ड	10857.47	9
			कानसिंह की सिड्ड	9598.65	2
			श्री सुरपुरा	120666.91	11
			खिदरत (नवसृजित)	11839.12	4
5.	घटोर (नवसृजित)	24111.80	घटोर	7902.54	6
			रावरा (नवसृजित)	9713.37	4
			सांवरा गाँव	6495.88	3
6.	हिण्डालगोल (नवसृजित)	11304.35	हिण्डालगोल (नवसृजित)	690.66	1
			जोड़	2432.58	2
			खीरवा (नवसृजित)	8181.11	6
योग	**06**	**161396.96**	**20**	**161396.96**	**89**

पुनर्गठित उप-तहसील शेखासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एव पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**राजस्व ग्रामों की संख्या**
1.	शेखासर (पुनर्गठित)	20034.55	शेखासर	7604.49	4
			भाखरीया (नवसृजित)	6290.55	5
			अखाधना (नवसृजित)	6139.50	5

2.	देदासरी (नवसृजित)	3798.71	देदासरी	10701.01	6
			भड़ला (नवसृजित)	14850.04	2
			राणेरी	12147.66	10
3.	टेपू उर्फ जोधाणी (पुनर्गठित)	42836.89	टेपू उर्फ जोधाणी	11854.55	7
			धोलिया (नवसृजित)	11702.00	4
			बारू	19280.33	2
4.	टेकरा (नवसृजित)	25315.31	टेकरा	8020.52	4
			सिंहडा	9564.21	3

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (28) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 09.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जोधपुर की तहसील जोधपुर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील कुडी भगतासनी को क्रमोन्नत कर तहसील कुड़ी भगतासनी का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	कुड़ी भगतासनी	5480	कुड़ी भगतासनी	1044	1
			सागरिया	1289	1
			पाल	3147	2
2.	काकेलाव	14174	काकेलाव	4932	2
			फिटकासनी	2012	3
			बिरामी	4668	4
			झालामण्ड	2562	1
3.	पालासनी	16119	पालासनी	4494	3
			खारीखुर्द	2404	2
			लोलावास	3659	3
			भटिण्डा	5562	2
योग	**03**	**35773**	**11**	**35773**	**24**

पुनर्गठित तहसील जोधपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगेः-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	जोधपुर (उत्तर) (पुनर्गठित)	5033	नान्दड़ा कला	3756	6
			जोधपुर (उत्तर)	1277	3 (जोधपुर आंशिक)
2.	जोधपुर (दक्षिण) (नवसृजित)	12616	जोधपुर (दक्षिण)	5666	(जोधपुर आंशिक
			गेवा	5134	3
			दिगाड़ी	1816	5
3.	मण्डार	11803	मण्डोर प्रथम	3992	1
			मण्डोर द्वितीय	1605	1
			पून्दला	1051	2
			कडवड	5155	5
4.	बागा	16946	बागा	5444	4
			चौखा	2412	1
			रोहिला कला	4947	5
			लोरड़ी देजगरा	4143	3
5.	केरू	20712	केरू	7347	4
			जोलियाली	5910	10
			पोपावास	4912	4
			चावण्डा	2543	2

6.	माणकलाव	23015	माणकलाव	6371	4
			नारवा खिचिया	6127	8
			इन्द्रोका	4675	3
			बेरू	5842	5
7.	जाजीवाल कलां	22008	जाजीवाल कला	4425	7
			सुरपुरा	5183	8
			बनाड़	6394	6
			लोरड़ी पण्डित जी	6006	4
योग	**07**	**112133**	**25**	**112133**	**102**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (61) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 06.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला नागौर की तहसील डीडवाना का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील मौलासर को क्रमोन्नत कर तहसील मौलासर का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील मौलासर, जिला-नागौर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	मौलासर	9376.43	मौलासर	2439.92	2
			अलखपुरा	2477.86	4
			रसीदपुरा	2353.24	2
			छापरीकलां	2105.41	3
2.	निमोद	7947.38	निमोद	1944.84	2
			लादड़िया	1836.23	1
			भदलिया	2417.56	5
			बासां	1748.75	3
3.	धनकोली	10075.69	धनकोली	1889.53	3
			डाबड़ा	2811.17	3
			दाउसर	2552.40	4
			डाकीपुरा	2822.59	5

4.	नूवां	9451.93	नूवां	2344.90	4
			सुद्रासन	3608.07	5
			बेरी खुर्द	1102.39	2
			खाखोली	2396.57	3
5.	बेगसर	8771.42	बेगसर	2428.26	4
			बेड़वा	2260.90	2
			आकोदा	2264.96	4
			छापरी खुर्द	1817.30	3
6.	दीनदारपुरा (नवसृजित)	7554.41	दीनदारपुरा	2656.53	3
			चौलूखां	2350.64	5
			फोगड़ी	2547.24	3
योग	**06**	**53177.26**	**23**	**53177.26**	**75**

पुनर्गठित तहसील डीडवाना के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**राजस्व ग्रामों की संख्या**
1.	डीडवाना	15826.27	डीडवाना	4847.81	3
			कलवानी	3716.07	6
			सिंघाना	4464.66	7
			दौलतपुरा	2797.73	3
2.	दयालपुरा	15723.64	मावा	4519.36	5
			ललासरी	3465.83	4
			बरड़वा	2308.29	2
			सूपका	5430.16	6
3.	कोलिया	16383.54	कोलिया	4245.67	3
			दादूबासी	5083.73	6
			पालोट	7054.14	8

4.	खुनखुना	13081	खुनखुना	2515.28	3
			खरेश	3910.85	4
			आगुन्ता	3561.60	3
			सानिया	3093.27	2
5.	केराप	14645.23	केराप	4580.01	4
			मामड़ोदा	3094.31	5
			लोरोली कलां	4419.88	5
			बिचावा	2551.03	3
6.	खाटू खुर्द	11088.12	खाटू खुर्द	3077.11	2
			शेरानी आबाद	1408.32	1
			मण्डूकरा	2576.91	2
			पावा	4025.78	6
7.	तोषीणा	12657.36	तोषीणा	3499.79	7
			थेबड़ी	2822.34	4
			पीड़वा	3640.58	4
			खरवालिया	2694.65	5
8.	निम्बी कलां (पुनर्गठित)	12894.31	निम्बी कलां	2573.65	4
			बरांगना	3098.33	4
			बालिया	4872.04	6
			खोजास	2350.29	3
योग	**08**	**112299.47**	**31**	**112299.47**	**130**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (61) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 06.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला नागौर की तहसील जायल का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील डेह को क्रमोन्नत कर तहसील डेह का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील डेह, जिला-नागौर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	डेह	17986	डेह	8202	2
			सोमणा	4588	2
			छापड़ा	5196	2
2.	सुरपालिया	21061	सुरपालिया	7355	4
			तंवरा	3898	4
			गुगरियाली	4459	4
			झाड़ेली	5349	3
3.	कमेड़िया	24327	कमेड़िया	4365	3
			आंवलियासर	7406	5
			आकोड़ा	7570	5
			खेराट	4986	5

4.	मांगलोद	14030	मांगलोद	4713	4
			सोनेली	4926	2
			रातंगा	4391	2
योग	**04**	**77404**	**14**	**77404**	**47**

पुनर्गठित तहसील जायल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**राजस्व ग्रामों की संख्या**
1.	जायल (पुनर्गठित)	20893	जायल	7979.00	3
			नोखाजोधा	3514.00	4
			कठौती	5186.00	1
			दुगस्ताऊ	4214.00	2
2.	तरनाऊ	15487	तरनाऊ	2921.00	1
			रोहिणा	5392.00	5
			दोतीणा	2632.00	3
			ढेहरी	4542.00	3
3.	फरड़ोद	16554	फरड़ौद	4763.00	1
			बुगरड़ा	2945.00	3
			धारणा	5272.00	4
			टांगला	3574.00	4
4.	दुगोली	24354	दुगोली	8116.00	6
			खिंयाला	4339.00	1
			रोटू	5819.00	3
			राजोद	6080.00	4

5.	रोल	17252	रोल	3966.00	1
			डिडियाकलां	6342.00	4
			बोड़वा	3678.00	2
			रूपाथल	3266.00	4
6.	लूणसरा	15041	लूणसरा	3715.00	1
			भावला	4319.00	3
			गैलोली	3539.00	2
			अड़वड़	3468.00	2
7.	खाटूकलां	21117	खाटूकलां	7398.00	10
			बरनेल	5228.00	6
			पीण्डिया	3871.00	4
			छाजोली	4620.00	8
योग	**07**	**130698.00**	**28**	**130698.00**	**95**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (57) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 10.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सवाई माधोपुर की तहसील बामनवास का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील बरनाला को क्रमोन्नत कर तहसील बरनाला का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील बरनाला, जिला-सवाई माधोपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	बरनाला	6422.31	बरनाला	1479.24
			साचोली	2116.33
			महरावण्ड	1279.08
			सुन्दरी	1547.66
2.	बाटोदा	7526.60	बेराड़ा	1416.67
			जीवद	2202.61
			गोठ	1295.28
			बैरखण्डी	1008.33
			मोरपा	1603.71
3.	बैराड़ा	4399.67	बैराड़ा	1163.00
			सुमेल	1179.00
			गढ़ी गोपालपुरा	1092.58
			बिन्जारी	964.49

4.	बिछौछ	6052.94	बिछौछ	1565.73
			नारौली चौड़	1711.13
			फूलवाड़ा	728.83
			भावड़	2,047.25
योग	**04**	**24401.52**	**17**	**24401.52**

पुनर्गठित तहसील बामनवास के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	सुकार	5585.38	सुकार	1255.27
			रिवाली	1165.16
			बिचपुड़ी	1011.57
			भांवरा	2153.38
2.	अमावरा	6628.26	अमावरा	1663.65
			डूंगरपट्टी	2357.88
			डूंगरवाड़ा	1035.03
			सीकरोली	1,571.70
3.	जाहरा	5077.86	जाहरा	1016.55
			टोडा	1052.12
			रानीला	1898.36
			बड़ीला	1110.83
4.	बामनवास पट्टी खुर्द	2583.83	बामनवास खुर्द ए	532.83
			बामनवास खुर्द बी	488.74
			बामनवास खुर्द सी	887.13
			बामनवास खुर्द डी	675.13

5.	बामनवास पट्टी कलां	3726.61	बामनवास पट्टी कलां ए	918.20
			बामवास पट्टी कलां बी	919.16
			बामनवास पट्टी कलां सी	879.83
			बामनवास पट्टी कलां डी	1009.42
6.	पिपलाई	5757.46	पिपलाई	1759.09
			सीतोड़	1027.95
			कोयला	1647.46
			गूर्जर बड़ौदा	1322.96
7.	शफीपुरा	5911.03	शकीपुरा	1628.09
			सराय	1565.50
			नागतलाई	1058.78
			गण्डाल	1656.66
8.	लिवाली	4827.02	लिवाली ए	1715.25
			लिवाली बी	973.68
			कोहली प्रेमपुरा	919.66
			नावण्ड किशनपुर	1218.13
9.	ककराला	4579.74	ककराला	2265.96
			भीटोली	1369.17
			मीना कोलेता	944.61
10.	खेड़ली	3859.08	खेड़ली	1162.40
			डाबर	1092.53
			चांदनहोली	1604.15
योग	**10**	**48536.27**	**38**	**48536.27**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (57) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 10.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सवाई माधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील तलावड़ा को क्रमोन्नत कर तहसील तलावड़ा का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील तलावड़ा, जिला-सवाई माधोपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	तलावड़ा	7055.76	तलावड़ा	1560.30
			हीरापुर	1360.95
			नारायणपुर	1655.80
			खेड़ाबाढ़ रामगढ़	2478.71
2.	कुनकटा कलां	6573.20	कुनकटा कलां	1553.92
			बूचोलाई	2524.23
			अमरगढ़	1446.82
			नौगांव	748.23
योग	**02**	**13328.96**	**08**	**13328.96**

पुनर्गठित तहसील गंगापुर सिटी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	गंगापुर	5147.90	गंगापुर	830.30
			टोकसी	1100.02
			महूकलां	878.40
			चूली	2339.18
2.	उदेईकलां	5421.75	उदेईकलां अ	1265.73
			उदेईकलां ब	1125.36
			उदेईकलां स	1405.40
			खानपुर बड़ौदा	1625.26
3.	बाढ़कलां	6060.44	बाढ़कलां	1841.90
			उमरी	1487.44
			सलेमपुर	1398.73
			हिंगोटिया	1332.37
4.	खूंटलासलोना	4899.22	खूंटलासलोना	1548.51
			बामनबड़ौदा	1397.10
			अहमदपुर	1186.50
			आस्ट्रोली	767.11
योग	**04**	**21529.31**	**16**	**21529.31**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (15) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 10.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सीकर की तहसील सीकर एवं धोद का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील सीकर ग्रामीण का सृजन करती है। उक्त नवीन तहसील का मुख्यालय सबलपुरा रहेगा।

नवीन तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	कूदन	7530.76	कूदन	1258.80
			गोठड़ा भूकरान	2053.48
			पलथाना	2146.30
			जेरठी	2072.18
2.	रसीदपुरा	6639.65	रसीदपुरा	1470.17
			सांवलोदा पुरोहितान	2144.62
			सांवलोदा घायलान	1492.76
			खाखोली	1532.10
3.	सबलपुरा	6334.305	सबलपुरा	1862.55
			किरडोली	1569.20
			झीगर छोटी	1216.95
			भढ़ाढ़र	1685.605

4.	सिहोट छोटी	9591.24	सिहोट छोटी	1947.44
			श्यामपुरा	2653.10
			सेवा	2514.14
			सेवद बड़ी	2476.56
5.	दूजोद	10493.54	दूजोद	1703.56
			मण्डावरा	2147.85
			मूण्डवाड़ा	2327.46
			पुरां बड़ी	1863.34
			कासली	2451.33
6.	माण्डोता	10310.79	माण्डोता	1772.34
			गोठड़ा तगेलान	1979.83
			बाडलवास	3007.61
			बिडोली	3551.01
7.	नानी (नवसृजित)	7126.25	कंवरपुरा	2139.24
			चन्दपुरा	1348.98
			नानी	1703.13
			हर्ष	1934.90
योग	**07**	**58026.53**	**29**	**58026.53**

नवीन तहसील सीकर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	सीकर	2472.52	सीकर	2472.52
2.	गोकुलपुरा	5553.6969	गोकुलपुरा	2576.9969
			मलकेड़ा	1826.80
			बाजौर	1149.90

3.	पलासरा	12214.89	पलासरा	3966.44
			जुराठड़ा	2750.42
			राजपुरा	2448.44
			श्यामगढ़	3049.59
4.	पिपराली	11252.62	पिपराली	3117.40
			सिंहासन	872.06
			पुरोहित का बास	3097.55
			रघुनाथगढ़	4165.61
5.	दादिया	10019.39	दादिया	1552.87
			कोलीड़ा	2745.54
			तारपुरा	2387.19
			बेरी	3333.79
6.	कुड़ली	6623.40	कुड़ली	1826.02
			भादवासी	1484.80
			चैनपुरा	2131.90
			राधाकिशनपुरा	1180.68
7.	कटराथल	7286.88	कटराथल	2323.84
			दौलतपुरा	1655.99
			गुंगारा	3307.05
योग	**07**	**55423.3969**	**23**	**55423.3969**

पुनर्गठित तहसील धोद के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	शाहपुरा	8307.80	शाहपुरा	2499.37
			गुनाठूं	2538.92
			मोरडूंगा	3269.51

2.	सिंगरावट	6434.16	सिंगरावट	1317.21
			लोसल छोटी	2091.07
			सरवड़ी	1016.28
			पूर्णपुरा	2009.60
3.	सिहोट बड़ी	6519.07	सिहोट बड़ी	2104.28
			बिंज्यासी	2517.08
			अनोखूं	1897.91
4.	धोद	9267.07	धोद	2078.15
			बोसाना	1685.50
			भुंवाला	3124.53
			पेवा	2378.89
5.	नेतड़वास (नवसृजित)	7560.35	नेतड़वास	2157.59
			नागवा	3077.04
योग				

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (29) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 31.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सीकर की तहसील खण्डेला का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील रींगस को क्रमोन्नत कर तहसील रींगस का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील रींगस, जिला सीकर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	कूदन	7943.21	बावड़ी	1759.02
			ठिकरिया	2310.85
			मलिकपुर	2556.34
			लाखनी	1217.00
2.	रींगस	8117.43	रींगस	2995.75
			सरगोठ	2785.85
			कोटडी धायलान	1238.37
			तपीपल्या	1097.46
3.	चौमूं पुरोहितान	8006.72	चौमूं पुरोहितान	2726.01
			लांपुवा	1356.08
			दादिया रामपुरा	2016.85
			आभावास	1907.78

4.	पटवारी का बास	4599.32	जैतुसर	489.40
			मालाकाली	782.89
			पटवारी का बास	830.52
			कासरडा	2496.51
योग	**04**	**28666.68**	**16**	**28666.68**

पुनर्गठित तहसील खण्डेला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	खण्डेला	8187.54	खण्डेला	1858.36
			दायरा	1619.74
			गुरारा	1676.11
			गोकुल का बास	1378.99
			रोयल	1654.34
2.	कोटड़ी लुहारवास	11624.80	कोटड़ी लुहारवास	2732.25
			पनिहारवास	4961.80
			ढाणी गुमानसिंह	1376.21
			केरपुरा	2554.54
3.	बासड़ी	8136.64	बांसड़ी	2440.79
			सुजाना	2638.08
			चौकड़ी	1697.32
			रामपुरा	1360.45
4.	कावट	7567.54	कांवट	1848.59
			लोहरवाड़ा	1937.07
			जुगलपुरा	1852.76
			भादवाड़ी	1929.12

5.	रलावता	7045.44	रलावता	1260.12
			जयरामपुरा	2144.81
			बरसिंहपुरा	1886.79
			दुल्हेपुरा	1753.72
6.	गोविन्दपुरा	6664.04	गोविन्दपुरा	2316.86
			पुजारीकाबास	1227.12
			खटून्दरा	1177.05
			दूधवालों का बास	1943.01
7.	जाजोद	3961.01	जाजोद	1847.18
			नीमेड़ा	1566.75
			ढाल्यावास	907.08
योग	**07**	**53187.01**	**28**	**53187.01**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (43) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 31.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील पाटन को क्रमोन्नत कर तहसील पाटन का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील पाटन, जिला सीकर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	पाटन	7062.12	पाटन	1904.58
			राजपुरा	1170.10
			डूंगा की नांगल	2144.48
			श्यामपुरा	1842.96
2.	रायपुरपाटन	13505.15	रायपुरपाटन	2170.94
			घासीपुरा	2743.36
			लादी का बास	4223.94
			डोकन	4366.91
3.	बेगा की नांगल	4198.51	बेगा की नांगल	1322.71
			दलपतपुरा	1258.53
			मोठूका	888.94
			बल्लुपुरा	728.33

4.	हसामपुर	2751.17	हसामपुर	634.36
			छाजा की नांगल	1168.34
			रामसिंहपुरा	948.47
			डाबला	1212.17
5.	डाबला	5590.78	बिहारीपुरा	1704.36
			बिहार	1086.15
			स्यालोदड़ा	1588.1
योग	**05**	**33107.73**	**19**	**33107.73**

पुनर्गठित तहसील नीम का थाना के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	नीमकाथाना	4507.81	नीमकाथाना	1265.50
			गोडावास	1466.14
			नयाबास	763.89
			कोटड़ा	1012.28
2.	भूदौली	10489.61	भूदौली	1466.76
			झिराणा	1247.01
			बासड़ी खुर्द	3324.96
			पीथमपुरी	4450.88
3.	सिरोही	8048.7	सिरोही	2242.58
			आंगनवाड़ी	2735.60
			भगेगा	2018.68
			गोविन्दपुरा	1051.84

4.	चला	6354.13	चला	1619.27
			गुहाला	455.81
			नृसिंहपुरी	1444.07
			डेहराजोहड़ी	1548.79
			ठिकरिया	1286.19
5.	नाथा की नांगल	8440.73	नाथा की नांगल	2046.81
			मावण्डाकलां	1969.35
			मावण्डाआर एस	531.18
			जीलो	1987.70
			दयाल का नांगल	1905.69
6.	मण्ढोली	6363.39	मण्ढोली	2512.96
			मांकड़ी	1674.11
			पुरानाबास	395.12
			मावण्डा खुर्द	1781.20
7.	गांवड़ी	13521.82	गांवड़ी	4322.55
			गणेश्वर	5155.81
			महावा	2361.95
			खादरा	1681.51
8.	टोड़ा	13544.79	टोड़ा	3083.03
			दरीबा	4940.58
			मोकलवास	2870.20
			दीपावास	2650.98
योग	**08**	**71270.98**	**34**	**71270.98**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (44) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 01.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला उदयपुर की तहसील सलूम्बर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील झल्लारा को क्रमोन्नत कर तहसील झल्लारा का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील झल्लारा, जिला उदयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	झल्लारा	8936.28	शेषपुर	1695.75	07
			धोलागीर खेड़ा	2146.49	05
			झल्लारा	2221.1	11
			देवगाँव	2872.94	10
2.	जैताणा	6246.69	कराकला	1960.59	08
			जैताणा	2364.49	07
			अमलोदा	1921.61	12
3.	कल्याण कलां	11272.87	घटेड	2205.75	07
			कल्याण कलां	1298.68	08
			मातासुला	1384.75	04
			मानपुर	4636.98	03
			पायरा	1746.71	04

4.	भबराना	7474.93	बुडेल	1132.05	03
			भबराना	2076.2	03
			जोधपुर खुर्द	2328.56	11
			आमलवा	1938.12	07
5.	बनोडा	5486.01	बनोडा	2142.64	06
			मोरीला	1277.27	05
			मालपुर	2066.10	09
योग	**05**	**39416.78**	**19**	**39416.78**	**130**

पुनर्गठित तहसील सलुम्बर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**राजस्व ग्रामों की संख्या**
1.	गींगला	7306.83	मैथुडी	1074.42	09
			उथरदा	2500.51	05
			गींगला	850.77	01
			गुडेल	2881.13	05
2.	खरका	6169.91	खरका	1374.19	04
			ईडाणा	2773.40	06
			कडुणी	1012.62	03
			सराडी	1009.70	05
3.	करावली	5906.86	करावली	1360.99	03
			माकडसीमा	1019.19	09
			ओरवाडिया	2067.50	05
			गांवडा पाल	1459.18	04

4.	खैराड	5405.56	खैराड	1294.86	06
			बस्सी झुझावत	1284.25	02
			बस्सी सामचोत	1955.44	04
			चिबोडा	871.01	06
5.	सेरिया	5203.76	थडा	1097.90	03
			सेरिया	1289.74	03
			टोडा	1775.69	04
			अदकालिया	1040.43	05
6.	सलुम्बर	5243.46	धारोद	1272.55	06
			ईसरवास	1624.31	06
			सलुम्बर	521.00	01
			डाल	1825.60	06
7.	बरोडा	9958.67	ईन्टाली खेडा	2323.20	06
			बरोडा	3320.41	07
			डगार	2272.39	08
योग	**07**	**45195.05**	**28**	**45195.05**	**144**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (76) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 30.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला झुंझुनूं की तहसील मण्डावा एवं मलसीसर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील बिसाऊ को क्रमोन्नत कर तहसील बिसाऊ का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील बिसाऊ, जिला-झुंझुनूं के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	बसाऊ	6881	बिसाऊ	2758	01
			महनसर	1363	01
			भिखनसर	2760	04
2.	बिरमी	12315	बिरमी	3167	08
			पिलानी खुर्द	2247	04
			पाटोदा	2092	03
			टांई	2910	01
			दिलोई	1899	05
3.	गांगियासर	7592	गांगियासर	1723	01
			कोदेसर	3230	05
			ढीलसर	2639	04
4.	कोलिण्डा	5746	कोलिण्डा	3078	03
			चुड़ैला	2668	06
योग	**04**	**32534**	**13**	**32534**	**46**

पुनर्गठित तहसील मण्डावा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	मण्डावा	9568	मण्डावा	2171	01
			कुहाडू	2527	05
			मेहरादासी	2661	07
			वाहिदपुरा	2209	04
2.	चुड़ीचतरपुरा	6183	चुड़ीचतरपुरा	857	01
			अजीतगढ़	1292	03
			हनुमानपुरा	2153	05
			बहादुरवास	1881	04
3.	नुआं	6080	नुआँ	1729	04
			भोजासर	2100	04
			सिरियासर कलां	2251	04
4.	भीमसर	9029	भीमसर	1788	04
			शेखसर	2363	03
			सीगड़ा	2314	06
			भारू	2564	05
योग	**04**	**30860**	**15**	**30860**	**60**

पुनर्गठित तहसील मलसीसर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	टमकोर	7820	टमकोर	1490	01
			जाबासर	1621	04
			कालियासर	2250	04
			बाडेट	2459	03

2.	अलसीसर	9238	अलसीसर	1637	01
			कंकड़ेउकलां	2845	05
			हरिपुरा	2622	07
			डाबड़ी धीर सिंह	2234	02
3.	हमीरीकलां	8298	हमीरीकलां	2099	07
			सोनासर	2159	03
			लूणा	2083	04
			हंसासर	2057	03
4.	मलसीसर	12846	मलसीसर	2023	01
			इटावा खुर्द	2712	06
			गोखरी	2808	07
			भूदाकाबास	2422	07
			निराधनूं	2881	01
5.	रामपुरा	10622	रामपुरा	2451	04
			बाजला	1939	04
			लादूसर	1857	04
			धनूरी	1692	02
			कांट	2683	05
योग	**05**	**49024**	**22**	**49024**	**84**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (36) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 06.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला दौसा की तहसील बसवा एवं मलसीसर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील बांदीकुई को क्रमोन्नत कर तहसील बाँदीकुई का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील बाँदीकुई, जिला-दौसा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	बाँदीकुई	1846	बाँदीकुई जागीर	353
			नन्देरा	638
			भाण्डेड़ा	855
2.	श्यालावास कलां	1708	श्यालावास कलां	521
			नारायणपुरा (नवसृजित)	449
			श्यालावास खुर्द	738
3.	देलाड़ी	6447	देलाड़ी	1884
			प्रतापपुरा	906
			अरनिया	2157
			धनावड़	1500

4.	पीचूपाड़ाखुर्द	3171	पीचूपाड़ाखुर्द	740
			पीचूपाड़ा कलां	1380
			उनबड़ागाँव	1051
5.	गुठलिया	5723	गुढ़लिया	847
			कोलवा	861
			भोजवाड़ा	760
			गादरवाड़ा गूजरान	1779
			भांवता	1456
6.	आभानेरी	3208	आभानेरी	1377
			अनन्तवाड़ा	948
			बासड़ा	883
7.	बड़ियालकलां	3924	बड़ियाल कलां	907
			रलावता	1382
			मूड़घिस्या	1635
8.	बिवाई	1843	बिवाई	811
			नांगलझामरवाड़ा	1032
योग	**08**	**27870**	**26**	**27870**

पुनर्गठित तहसील बसवा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र. सं.	**तहसील/ तहसील**	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त (है. में.)**	**भू. अ. नि. वृत्त का कुल क्षेत्रफल**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	तहसील बसवा	बसवा	6152	बसवा-ए	893
				बसवा-बी	295
				बसवा-सी	1622
				पंडितपुरा	1272
				झाझीरामपुरा	2070

2.		कौलाना	3815	कौलाना	875
				करनावर	1263
				गुल्लाना	1677
3.		गुढ़ाआंशिकपुरा (नवसृजित)	3105	गुढाआंशिकपुरा	975
				बेघाड़ी गुजरान्	1136
				लीलोज (नवसृजित)	994
4.		गुढा कटाला	4747	गुढाकटला	421
				रेहड़िया	2368
				चाँदेरा	1969
5.		बडियालखुर्द (नवसृजित)	4611	बडियालखुर्द	1208
				ऐचेड़ी	1423
				मुही	1980
	योग	**05**	**22430**	**17**	**22430**
1.	उप तहसील बडियालकलां	बडियालकलां	3924	बडियालकलां	907
				रलावता	1382
				मूण्डघिस्या	1635
2.		बिवाई	1843	बिवाई	811
				नांगलझामरवाड़ा	1032
	योग	**02**	**5767**	**05**	**5767**
1.	उप तहसील गुढ़ा कटला	गुढ़ा कटला	4747	गुढाकटला	421
				रेहड़िया	2367
				चाँदेरा	1959
2.		बड़ियाल खुर्द (नवसृजित)	4611	बड़ियाल खुर्द	1208
				ऐचेड़ी	1423
				मुही	1980
	योग	**02**	**9358**	**06**	**9358**
	कुल योग	**09**	**37555**	**28**	**37555**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (34) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 10.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला चुरू की तहसील सरदारशहर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील भानीपुरा को क्रमोन्नत कर तहसील भानीपुरा का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील भानीपुरा, जिला-चुरू के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	जैतासर	35176	जैतासर	9808
			सावर	6003
			जैतसीसर	10127
			तोलासर	9238
2.	भोजासर छोटा	23974	भोजासर छोटा	9177
			रणसीसर	8985
			बनियासर	5812
3.	मालकसर	20017	मालकसर	6288
			बायला	6496
			राजासर पंवारान	7233
4.	भानीपुरा	27561	बुकनसर बड़ा	4864
			भानीपुरा	7194
			मालसर	6925
			साडासर	8578

5.	रातूसर	21252	पिचकराई ताल	5585
			बरजांगसर	5035
			रातूसर	5148
			भाउवाला	5484
6.	बिल्यूं बास रामपुरा	28535	बिल्यूं बास रामपुरा	8760
			मेहरासर उपाधियान	4498
			शिमला	8907
			खेजड़ा दिखनादा	6370
योग	**06**	**156515**	**22**	**156515**

पुनर्गठित तहसील सरदारशहर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	**भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	रंगाईसर	34215	रंगाईसर	10634
			कीकासर	10629
			राजासर बीकान	6946
			खुण्डिया	6006
2.	घड़सीसर	35830	अड़सीसर	12191
			घड़सीसर	10763
			बैजाघर	7056
			भादासर दिखनादा	5820
3.	बंधनाउ	32583	बंधनाउ दिखनादा	6475
			बीकमसरा	7467
			भोजूसर उपाधियान	7398
			भीतासर	5063
			रामसीसर भेड़वालिया	6180

4.	आसपालसर	15268	आसपालसर बड़ा	7371
			बुकनसर छोटा	2778
			भोजरासर	5119
5.	दूलरासर	23643	अजीतसर	6792
			दूलरासर	7622
			रूपलीसर	4636
			मांगासर	4593
6.	धूलासर	23579	देराजसर	9029
			पूलासर	5450
			काकलासर	4170
			छाजूसर	4930
7.	जयसंगसर	19891	जयसंगसर	4877
			उडसर लोडेरा	5182
			मेलूसर	9832
8.	फोगां भरथरी	25480	फोगां भरथरी	6464
			ढाणी पांचेरा	5256
			कानड़वास	5665
			मेहरी राजवियान	8095
9.	कस्बा सरदारशहर	18218	गिड़गिचिया	6670
			मेहरासर चाचेरा	3516
			जीवणदेसर	4295
			सरदारशहर	3737
योग	**09**	**228707**	**35**	**228707**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (63) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 30.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जालोर की तहसील आहोर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील भाद्राजून को क्रमोन्नत कर तहसील भाद्राजून का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील भाद्राजून, जिला-जालोर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	भाद्राजून	18004	भाद्राजून	6343
			निम्बला	4481
			गुडारामा	1397
			नोरवा	2362
			मालगढ़	3421
2.	कंवला	11232	कंवला	3576
			चवरडा	2224
			वलदरा	5433
3.	शंखवाली	12500	शंखवाली	3927
			चूण्डा	1750
			किशनगढ़	2986
			पांचोटा	3837

4.	नोसरा	12741	नोसरा	5673
			बावड़ी	2584
			सुगालिया जोधा	2622
			कोराणा	1861
5.	रामा	13348	रामा	5390
			बांकली	3850
			सेलडी	4108
6.	भोरडा	20089	भोरडा	6935
			बाला	5985
			घाणा	3726
			बरवा	3443
योग	**06**	**87914**	**23**	**87914**

पुनर्गठित तहसील आहोर जिला-जालोर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	आहोर	11937	आहोर	2811
			भैंसवाड़ा	844
			काम्बा	2826
			खारा	2729
			अजीतपुरा	2727
2.	हरजी	10212	हरजी	2630
			थांवला	1760
			चवरछा	4375
			अगवरी	1447
3.	गुडाबालोतान	8990	गुडाबालोतान	1348
			बिठूडा	3069
			दयालपुरा	2523
			चरली	2050

4.	उम्मेदपुर	10195	उम्मेदपुर	2450
			डोडीयाली	3776
			सेदरिया बालोतान	1544
			पावटा	2424
5.	चान्दराई	12292	चान्दराई	2404
			कवराडा	2205
			भूति	1203
			रोडला	3324
			पादरली	3156
6.	भवरानी	18106	भवरानी 1	3050
			भवरानी 2	2865
			रायथल	5745
			आईपुरा	3440
			वेडिया	3006
7.	देबावास	9228	देबावास	3513
			देवकी	1375
			मीठडी	1899
			ओडवाडा	2441
8.	बादनवाडी	7698	बादनवाडी	1431
			देच्छू	3277
			सामूजा	2990
9.	गोदन	9409	गोदन	1716
			सांकरणा	2907
			उण	1928
			भागली पुरोहितान	2859
योग	**09**	**98067**	**38**	**98067**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (75) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 06.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जैसलमेर की तहसील भणियाणा का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील फलसूण्ड को क्रमोन्नत कर तहसील फलसूण्ड का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील फलसूण्ड, जिला-जैसलमेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	फलसूण्ड	30574	फलसूण्ड	7461
			मानासर	7362
			पदमपुरा	8336
			भुर्जगढ़	7415
2.	भीखोड़ाई जूनी	38149	भीखोड़ाई जूनी	6592
			बलाड़	9668
			दांतल	11697
			स्वामीजी की ढाणी	10192
3.	राजमथाई	32757	राजमथाई	23204
			बांधेवा	9553
योग	**03**	**101480**	**10**	**101480**

पुनर्गठित तहसील भणियाणा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	भणियाणा	47161	भणियाणा	13961
			पन्नासर	4239
			सरदारसिंह की ढाणी	8243
			जालोड़ा पोकरणा	11246
			रातड़िया	9472
2.	माडवा	47161	माड़वा	10005
			बारट का गांव	8631
			झलारिया	6675
			झाबरा	5958
योग	**02**	**78430**	**09**	**78430**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (75) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 06.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जैसलमेर की तहसील सम का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील रामगढ़ को क्रमोन्नत कर तहसील रामगढ़ का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील रामगढ़, जिला-जैसलमेर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**
1.	रामगढ़	52370	रामगढ़	189536
			लोंगेवाला	137058
			तेजपाला	99959
			रायमला	94817
2.	सोनू	114590	सोनू	16774
			राघवा	63463
			पूनमनगर	34363
3.	खुईयाला	121849	खुईयाला	9820
			सियाम्बर	23545
			बांधा	88484
योग	**03**	**757809**	**10**	**757809**

पुनर्गठित तहसील सम के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:–

क्र.सं.	भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	सम	118968	सम	23312
			लखमणों की बस्ती	58052
			दामोदरा	20365
			कनोई	17239
2.	शाहगढ़	464724	शाहगढ़	116084
			घोटारू	185585
			राबलाऊ फकीरों वाला	88314
			हरनाऊ	74741
3.	म्याजलार	123284	म्याजलार	48382
			करडा	33493
			दव	41409
4.	बीदा	162952	बीदा	15161
			फलेड़ी	19158
			लूणार	38136
			रहूं का पार	90497
5.	खुहड़ी	98090	खुहड़ी	34526
			सिपला	18390
			डेढ़ा	8417
			बैरसियाला	36757
योग	**05**	**968018**	**19**	**968018**

आज्ञा से,

ह0/–

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (39) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 19.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर की तहसील जयपुर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील कालवाड़ को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील कालवाड़ का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील कालवाड़, जिला-जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	कालवाड़	9326.6560	कालवाड़	2354.0626	03
			पचार	3103.2579	03
			श्योसिंहपुरा	1857.0996	06
			दुर्जनियावास	1998.7344	05
2.	माचवा	7965.9661	माचवा	1405.6724	03
			सरनाचौड	1790.6415	06
			सरनाडूंगर	1797.8487	09
			भम्भोरी	1180.5287	02
			हाथोद	1791.2738	05
3.	मूण्डिया रामसर	7474.8791	मूंडियारामसर	1905.0169	08
			धानक्या	967.8668	02
			निमेडा	1416.3587	05
			बेगस	3185.6367	07
योग	**03**	**24767.5012**	**13**	**24767.5012**	**64**

पुनर्गठित तहसील जयपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	जयपुर (पश्चिम)	6066.1737	सिरसी	1404.8125	03
			हीरापुरा	1443.5736	07
			सिंवार	1721.6427	04
			बिन्दायका	1496.1449	04
2.	झोटवाड़ा	5240.1105	नांगल जैसा बोहरा	1364.3567	04
			निवारू	1576.6002	03
			झोटवाड़ा	2298.1536	04
3.	जयपुर (पूर्व)	8077.1971	सुमेल	1555.6284	06
			रामपुरा रूपा	1429.5361	08
			जामडोली	3166.1504	03
			जयसिंहपुरा खोर	1925.8822	03
4.	बस्सी सीतारामपुरा	8564.3329	बस्सी सीतारामपुरा	2313.7045	07
			नाहरगढ़	2490.2525	07
			खातीपुरा	1698.2212	09
			सोडाला	819.0029	08
			मीनावाला	1243.1518	05
योग	**04**	**27947.8142**	**16**	**27947.8142**	**85**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (37) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 30.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला हनुमानगढ़ की तहसील रावतसर का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील पल्लू को क्रमोन्नत कर नवीन तहसील पल्लू का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील पल्लू, जिला-हनुमानगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	पल्लू	24571	पल्लू	8145	05
			मालासर	8278	05
			नैयासर	8149	05
2.	बिसरासर	34542	बिसरासर	10559	03
			केलनियां	7231	03
			मायला	7241	03
			झैदासर	9511	04
3.	बरमसर	27063	बरमसर	6796	02
			पूरबसर	5904	03
			पौहडका	6761	10
			न्यौलखी	7602	15
4.	मोटेर (नवसृजित)	28551	धान्धूसर	8474	04
			मोटेर	11861	04
			दनियासर	8216	05
योग	**04**	**114727**	**14**	**114727**	**71**

पुनर्गठित तहसील रावतसर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	रावतसर	9522	कस्बा रावतसर	920	05
			भाखरावाला	2448	11
			22AG	2819	14
			मोधूनगर	3335	15
2.	29 PWD	11312	4CYM	2938	17
			15 KWD	1527	08
			4 DWM	3167	14
			29 DWD	3680	14
3.	खोडां	10218	भैरूसरी	3137	11
			खैदासरी	3956	09
			खोडा	3125	08
4.	हरदासवाली	16034	धन्नासर	6209	13
			हरदासवाली	7906	06
			खेतावालीढाणी	1919	04
5.	रामपुरा	11784	रामपुरा	5287	21
			निरवाल	4226	15
			कनवानी	2271	11
6.	गन्धेली	14230	लालपुरा	6408	13
			चाईया	3467	20
			सरदारपुरा	3073	15
			गन्धेली	1282	06
योग	**06**	**73100**	**21**	**73100**	**250**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (77) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 22.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील पालदेवल का सृजन करती है।

नवीन तहसील पालदेवल, जिला डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	देवल	6635	देवलखास	887	03
			पालदेवल	2663	06
			पलवड़ा	1601	03
			गामडी देवल	1484	02
2.	वागदरी (नवसृजित)	3999	वागदरी	1676	02
			गुमानपुरा	1242	04
			मेताली	1081	02
3.	बोखला	3617	बोखला (पुनर्गठित)	651	01
			सेरावाडा (नवसृजित)	830	01
			शिशोद	2136	03
योग	**03**	**14251**	**10**	**14251**	**27**

पुनर्गठित तहसील डूंगरपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	डूंगरपुर	3895	डूंगरपुर	1212	01
			माथुगामडा खास	855	06
			पाल माथुगामडा	1562	02
			गोकुलपुरा (नवसृजित)	266	02
2.	बिलडी	4567	बिलडी	1100	05
			खेडाकच्छवासा	1455	03
			उपरगाव	948	03
			खिदडी खेरवाडा	1064	04
3.	गडामोंरैया (पुनर्गठित)	3353	गडामोंरैया	743	03
			पिपलादा	1798	07
			खेमारू (नवसृजित)	812	02
4.	सुरपुर	3115	सुरपुर	1034	03
			सुन्दरपुर	1120	05
			घुघरा	961	02
5.	थाणा	7137	थाना	1784	05
			बलवाडा	2438	03
			कांकरादरा	2915	07
6.	गैंजी	4713	गैंजी	954	06
			रेटा	968	06
			विकासनगर	1636	03
			महुडी	1155	02

7.	राजपुर (पुनर्गठित)	3216	राजपुर	562	05
			मालपुर	1448	05
			सतीरामपुरा	1206	06
योग	**07**	**29996**	**24**	**29996**	**94**

पुनर्गठित तहसील बिछीवाड़ा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	बिछीवाडा	5522	बिछीवाडा	776	02
			मालमाथा	2033	03
			धमोद	547	01
			अशियावाव	1184	07
			खजुरी	982	04
2.	तलैया	7177	तलैया	945	02
			गेड	1474	03
			पालिसोड़ा	1984	03
			मोदर	1772	05
			पन्थाल	1002	03
3.	चुंडावाडा	6170	चुंडावाडा	1322	01
			लाम्बाभाटडा	1056	01
			झिन्झवा	966	03
			बरोटी	935	02
			आमझरा	476	01
			करहल माता	377	01
			पालपादर	1038	03

4.	कनबा	4370	कनबा	752	04
			ओडा बड़ा	1074	01
			भेहणा	898	02
			छापी	791	03
			बिलपन	855	04
5.	नवलश्याम	4294	नवलश्याम	1103	02
			संचिया	912	02
			साबली	1272	03
			करोली	1007	03
योग	**05**	**27533**	**26**	**27533**	**69**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (27) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 31.05.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला दौसा की तहसील लालसोट का पुनर्गठन करते हुए नवीन तहसील निर्झरना, जिला दौसा का सृजन करती है।

नवीन तहसील निर्झरना, जिला दौसा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	निर्झरना (नवसृजित)	3630	निर्झरना	1202
			चौण्डियावास	1035
			संवासा	1393
2.	श्यामपुरा कलां	5016	श्यामपुरा कलां	1352
			नालावास	1185
			झापदा	870
			दौलतपुरा	1609
3.	शिवसिंहपुरा	4021	शिवसिंहपुरा	922
			होदायली	1811
			महाराजपुरा (नवसृजित)	1288
योग	**03**	**12667**	**10**	**12667**

पुनर्गठित तहसील लालसोट के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)
1.	लालसोट	4753	लालसोट	1526
			चांदसेन	1140
			लाड़पुरा (नवसृजित)	708
			राजौली	1379
2.	डीडवाना	10459	डीडवाना (ए+बी)	1933
			खटूम्बर	4166
			ड़िगो	4360
3.	भिलौना कलां	6634	बिलौना कलां	1414
			खटवा	1464
			बगड़ी	1330
			कांकरिया	2426
4.	टोडाठेकला	6927	टोड़ाठेकला	1935
			लालपुरा	2183
			सूरतपुरा	933
			पट्टी किशोरपुरा	1876
5.	मण्डावरी	6950	मण्डावरी	1191
			किशोरपुरा	1306
			खेड़ला खुर्द	1689
			महारिया	1098
			बिलौना खुर्द	1666

6.	देवली	8078	देवली	2171
			मिर्जापुरा	1825
			तलावगाँव	1494
			लाखनपुर (नवसृजित)	636
			श्रीमा	1952
योग	**06**	**43801**	**26**	**43801**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (83) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 28.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर की तहसील कोटकासिम का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील हरसौली को क्रमोन्नत कर तहसील हरसौली का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील हरसौली, जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	हरसौली	4461.47	हरसौली	1463	01
			पतलिया	584.95	02
			जटियाना	1662.19	10
			झाड़का	750.70	04
2.	नांगल सालिया (पुनर्गठित)	6635.75	नांगल सालिया	1654.31	05
			बघेरीखुर्द	1136.19	04
			जौनाल	1986.09	08
			पाटन अहीर	1337.02	04
			दौलतनगर माजरा	522.14	03
योग	**02**	**11097.22**	**09**	**11097.22**	**41**

पुनर्गठित तहसील कोटकासिम के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	कोटकासिम	6929.18	कोटकासिम	1238.86	02
			बघाना	2089.56	07
			कान्हडका	1872.30	06
			बिलाहेडी	1728.46	06
2.	बूढीबावल	5865.30	बूढीबावल	1157.25	03
			लालपुर	1597.64	06
			कुतुबपुर	1863.72	06
			उजौली	1246.69	03
3.	भौंकर	5477.06	भौंकर	1251.07	04
			टेउवास	1054.97	05
			जोडिया	1034.42	04
			लाडपुर	2136.60	07
4.	पुर (पुनर्गठित)	4941.40	पुर	1681.24	03
			खानपुर अहीर	1767.69	08
			गुणसार	1492.47	06
योग	**04**	**23212.94**	**15**	**23212.94**	**76**

आज्ञा से,
ह0/-
(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9 (74) राज-1/2022 जयपुर, दिनांक: 10.06.2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला अलवर की तहसील किशनगढ़ बास का पुनर्गठन करते हुए उप-तहसील खैरथल को क्रमोन्नत कर तहसील खैरथल का सृजन करती है।

क्रमोन्नत तहसील खैरथल, जिला अलवर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	**भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त**	**भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)**	**पटवार मण्डल**	**पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)**	**राजस्व ग्रामों की संख्या**
1.	इस्माईलपुर	6484.31	इस्माईलपुर	2779.29	4
			जीलोता	1388.74	4
			बाधोर	533.86	2
			राताखुर्द	1782.42	4
2.	खैरथल	5118.22	खैरथल ए	655.73	2
			खैरथल बी	1539.82	1
			नूरनगर	1089.86	5
			पाटन मेवान	1832.81	5
योग	**02**	**11602.53**	**08**	**11602.53**	**27**

पुनर्गठित तहसील किशनगढ़ बास के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल सम्मिलित होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	भू.अ.नि.वृत्त का कुल क्षेत्रफल (है. में.)	पटवार मण्डल	पटवार मण्डल का कुल क्षेत्रफल (है. में)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1.	किशनगढ़बास	6025.5400	किशनगढ़बास	583.9500	2
			गंज	1271.2100	8
			बम्बोरा	2407.0300	3
			बासकृपालनगर	681.9300	2
			मोठूका	1081.4200	3
2.	खानपुर मेवान	5397.3800	कोलगाँव	2006.4000	4
			खानपुर मेवान	1385.2200	3
			घासोली	784.6400	1
			महरमपुर	1221.1200	3
3.	धमूकड	6400.6300	धमूकड	1372.2700	5
			न्याणा	1228.5100	2
			बाघोडा	1244.3000	4
			बृसंगपुर	2555.5500	8
4.	मांचा	5781.2300	चामरोदा	1125.5200	4
			बोलनी	1706.4800	7
			मांचा	1692.1600	3
			माहोन्द	1257.0700	5
5.	माछरोली	5292.4112	तरवाला	1280.2800	6
			नयागाँव	1151.2500	5
			बघेरी कलां	1919.6300	6
			माछरोली	941.2512	4
योग	**05**	**28897.1912**	**21**	**28897.1912**	**88**

आज्ञा से,

ह0/-

(विश्राम मीणा)

विशिष्ट शासन सचिव

राजस्व समाचार

राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला
विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं जनहित के आधार पर निर्णय करें पीठासीन

–राजेश्वर सिंह

अजमेर, 23 नवम्बर। राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयो के पीठासीन अधिकारियों को लोकहित को सर्वोपरि रखकर अपने बेहतरीन अनुभव के साथ पूर्ण विधिक प्रक्रिया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित करने चाहिये।

राजस्व मण्डल अध्यक्ष अजमेर के आरआरटीआई सभागार में राजस्व मंडल की मेजबानी में आयोजित त्रिदिवसीय राजस्व निर्णय लेखन कार्यशाला के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यशाला में राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व मण्डल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व न्यायालयों का संचालन अति संवेदनशील एवं साधारण कृषक एवं आमजन से जुड़ा विषय है, इसे ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारियों को पूर्ण समर्पितभाव, निष्ठा एवं जवाबदेही के साथ निर्णय पारित करने चाहिये।

प्रत्येक निर्णय बने नजीर :– मण्डल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व अदालतों में निर्णय की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया जावे बल्कि हर साक्ष्य और पहलू को

मद्देनजर रखते हुये अपनी पूर्ण बौद्धिक क्षमता के आधार पर निर्णय ऐसे लिखे जायें कि प्रत्येक निर्णय राजस्व न्यायालयों के लिये आदर्श होकर श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाना जाये।

हर पहलू बने निर्णय का आधार :–

उन्होंने कहा कि प्रकरण के निर्णय के लिये पीठासीन अधिकारी सभी पहलुओं का भली भांति अध्ययन करें। सभी पक्षों के अभिवचनों, विवाद बिन्दुओं, साक्ष्य एवं दस्तावेजों को ध्यान में रखकर तनकीवार निर्णय पारित किये जाएं। अपीलीय न्यायालय को चाहिये कि वे विपक्षी को अनिवार्यतः नोटिस जारी करने के बाद ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें।

सिद्धान्तों एवं आदर्शों से न हो समझौता

श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये कार्यप्रणाली में पीठासीन अधिकारी न्यायालय सिद्धान्तों एवं आदर्शों से कभी समझौता नहीं करें। पीठासीन अधिकारियों को चाहिये कि वे न्यायालयों की बेहतरीन कार्यप्रणाली के लिए निरन्तर अध्ययन करें। कार्यशालाओं में रखे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनें एवं उन्हे कार्य व्यवहार में लाने के हरसम्भव प्रयास करें।

नवाचारों से बने आदर्श वातावरण

मण्डल अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को अपने दीर्घकालिक अनुभव एवं श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय कार्यक्षेत्र में नवाचारों के आधार पर देना चाहिये। यही उपाय आपकी श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में पहचान बनायेंगे।

राजस्व अधिकारियों में हो न्याय–कौशल – निबन्धक

राजस्व मण्डल निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने कहा कि न्याय प्रदान करना कौशल आधारित कार्य है। पीठासीन अधिकारियों को न्यायालयों में निष्कर्षों, सिद्धान्तों एवं न्यायिक कार्यव्यवहार की श्रेष्ठता को निर्णय का आधार बनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि निर्णय के मूल्यांकनकर्ता स्वयं पक्षकार हैं। यदि निर्णय से वे संतुष्ट होते है तो अदालतों में अपीलों की स्थिति नहीं बनती, ऐसे में संक्षिप्त, सरल व स्पष्टता आधारित निर्णय पारित किये जाने चाहिये।

उन्होंने त्रुटिविहीन एवं विधिसम्मत लेखन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अगस्त 2022 को पारित एसबीआई बनाम अजय कुमार सूद

के प्रकरण में न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण निर्णय पारित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के प्रतिभागी जिलों में आयोजित कार्यशालाओं में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाकर निर्णय लेखन गुणवत्ता कार्य में अपना योगदान दें।

सिविल प्रक्रिया संहिता पुस्तक का विमोचन

कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएसयू आसनानी द्वारा लिखित 'सिविल प्रक्रिया संहिताः प्रावधान प्रक्रिया एवं उपयोगी सुझाव' पुस्तक का विमोचन मण्डल अध्यक्ष ने किया। श्री आसनानी ने बताया कि कानून की भाषा, प्रावधान, आशय को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य को लेकर पुस्तक लेखन किया गया है। उन्होंने निर्णय लेखन कार्यशालाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक बताते हुए कहा कि ये प्रशासक वर्ग के लिए न्यायिक कार्य के क्षेत्र में श्रेष्ठता का आधार सिद्ध होगी।

कार्यक्रम में आरम्भ में आर.आर.टी.आई निदेशक श्री चेतन कुमार त्रिपाठी ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि विगत वर्ष तीन विविध स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया जा चुका है। इन कार्यशालाओं से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स को जिलों में प्रशिक्षण के दायित्व सौंपे जायेंगे। कार्यक्रम का संयोजन सुश्री सोनम रावत ने किया। कार्यक्रम में राजस्व मण्डल उप निबंधक श्रीमती ओम प्रभा, अब्दुल वाहिद चिश्ती, जिलों से आये राजस्व अपील अधिकारी, भू–प्रबंध अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मौजूद रहे।

त्रिदिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला का समापन

दायित्वों की पूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता, लोकोन्मुखी क्रियान्विति ही समग्र विकास की कल्पना होगी साकार

–राजेश्वर सिंह

अजमेर, 25 नवम्बर। राजस्व मण्डल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि राजस्व एवं प्रशासनिक क्षेत्र में दायित्वों की पूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता, लोकोन्मुखी एवम निष्ठापूर्ण क्रियान्विति के बगैर जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन की कल्पना अधूरी है।

वे अजमेर के आरआरटीआई सभागार में त्रिदिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मण्डल निबंधक श्री महावीर प्रसाद, जिला कलक्टर चुरू श्री सिद्धार्थ सिहाग, जिला कलक्टर बीकानेर श्री भगवती प्रसाद कलाल, जिला कलक्टर पाली श्री नमित मेहता, आबकारी आयुक्त श्री चेतन देवड़ा, पाली सीईओ श्रीमती दीप्ति शर्मा, मण्डल उप–निबंधक श्रीमती प्रिया भार्गव एवं श्रीमती ओमप्रभा सहित राज्य भर से आये राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में राजस्व प्रशासन के समक्ष कई वर्षों से लंबित प्रकरणों की सूची का न्यूनीकरण करना सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्व अधिकारियों को चाहिये कि वे अन्य कार्यों की भांति राजस्व न्यायालयों को भी पूरी प्राथमिकता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि त्रुटिविहीन निर्णयों से ही राजस्व अदालतों में अपीलों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। राजस्व अदालतों को चाहिये कि राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, राजस्व भू राजस्व अधिनियम एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करें। न्यायालय का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर हो। यदि कोई आदेश ओवर रूल किया गया है तो उसका स्पष्ट कारण भी लिखा जाये।

उत्तरदायी होने का भाव जागृत हो

मण्डल अध्यक्ष ने कहा कि अदालतों के पीठासीन अधिकारियों में उत्तरदायी होने का भाव जागृत करने की आवश्यकता हैं जो भी निर्णय लिखा जाये उसका अधिकारी पहले स्वयं मूल्यांकन करें। उन्होंने राजस्व न्यायालयों प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन त्वरित, निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रतिबद्धता के साथ करने की जरूरत बतायी।

आरक्षित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो–

उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों व अन्य सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि उसका अन्यत्र अंकन नहीं हो पाए। उन्होंने कलक्टर्स से आवंटन संबंधी प्रकरणों की सतत् मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया।

परस्पर सहयोग से करें कार्य–

श्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि कार्य स्थल का वातावरण पूर्ण सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण हो। कार्मिकों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाये। उनके विरूद्ध अनावश्यक कार्यवाही से बचा जाये। सुदृढ़ राजस्व प्रशासन के माध्यम से ही समग्र विकास की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेखन प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता के श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को पारितोषिक एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही त्रिदिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र वितरित किये गये। सभी विजेता प्रतिभागियों एवं कार्यशाला में भागीदारी निभाने आने वाले अधिकारियों को मण्डल अध्यक्ष ने बधाई दी। आरंभ में आरआरटीआई निदेशक श्री चेतन प्रकाश त्रिपाठी ने कार्यशाला की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि कार्यशालाओं के आयोजन प्रतिवर्ष सतत् तौर पर जारी रहेंगे। कार्यक्रम का संयोजन सोनम ने किया।

राजस्व मंडल में वरिष्ठ सदस्य श्री मीणा ने किया ध्वजारोहण कर्मचारी हुए सम्मानित

अजमेर, 26 जनवरी। राजस्व मंडल अजमेर मुख्यालय पर मंडल के वरिष्ठ सदस्य (आईएएस) श्री सी.आर. मीणा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे संविधान को विश्व में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व हमें स्वाधीनता के महान संग्राम की याद दिलाकर देश प्रेम भावना जागृत करने के साथ ही नागरिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं।

इस मौके पर उन्होंने श्रेष्ठ सेवाओ के लिए मंडल कार्मिकों एवम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण–पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

समारोह में देश प्रेम से ओत–प्रोत काव्य पाठ एवं गीत भी प्रस्तुत किए गए। समारोह में सदस्य श्री भँवर सिंह सांदू, श्री महेंद्र लोढ़ा, श्री सुरेंद्र पुरोहित, अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव, उप वित्तीय सलाहकार श्री चन्द्रशेखर शर्मा, सांख्यिकी निदेशक श्रीमती बीना वर्मा, आईटी उप निदेशक श्री सौरभ बामनिया, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) श्री पवन शर्मा, लेखाधिकारी श्री राकेश गौड़ विभागीय समिति अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा सहित अन्य अधिकारी, अभिभाषक एवं कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सँयोजन सहायक लेखाधिकारी श्री श्याम पारीक ने किया।

ये हुए पुरस्कृत

समारोह में राजस्व मंडल के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अतिरिक्त निबंधक श्रीमती प्रिया भार्गव ने बताया कि सम्मानित होने वालों में मंडल के निजी सचिव सुधीर शर्मा, लेखाधिकारी राकेश गौड़, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती भारती, सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नीलू मोदियानी, अतिरिक्त निजी सचिव श्रीमती कुसुम गुप्ता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती भारती, वरिष्ठ सहायक विशाल तत्ववेदी व अशोक खींचड़, भूअभिलेख निरीक्षक उमेंद्र कुमार शर्मा, सूचना सहायक राजकुमार पनियार, वरिष्ठ सहायक अमरचंद चौधरी तथा वाहन चालक महेंद्र सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसी प्रकार मंडल के पूर्व सदस्य एवं न्यायाधीश श्री प्रमिल माथुर के पिताश्री की स्मृति में 11 सौ रुपए नकद प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह वाहन चालक शेख अबू बकर को तथा मंडल के लेखा अधिकारी राकेश गौड़ की ओर से उनके माता पिता की स्मृति में जमादार मोहन सिंह को 11 सौ रुपए तथा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

गणतंत्र दिवस खेल प्रतियोगिताओं के विजेता भी हुए सम्मानित

राजस्व मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री सीआर मीणा ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण–पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजस्व मंडल स्तरीय खेलकूद संपन्न

अजमेर 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजस्व मंडल में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने बताया कि मंडल में 7 विविध खेलों के लिए मुकाबले हुए जिनमें 25 जनवरी को प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। अतिरिक्त निबन्धक श्रीमती प्रिया भार्गव ने बताया कि खेलों के आयोजन को लेकर विविध स्तर पर अधिकारी कार्मिकों को दायित्व सौंपे गए। सभी ने समर्पित सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाया।

प्रतियोगिताओं के लिए मंडल की ओर से नियुक्त खेल अधिकारी एवं एसीपी सौरभ बामनिया ने बताया कि कबड्डी के मुकाबलों में सईद अहमद, कुलदीप शर्मा, नितेश पवार, शिव भाकर, हरी भाकर, अमर चौधरी, विजय कच्छावा, विनोद सैनी, धर्माराम जाट व पवन भारद्वाज की टीम विजेता रही। इसी प्रकार केरम की एकल स्पर्धा में दीपेंद्र शर्मा और डबल्स में नीतेश कुमार मीणा और लोकेश प्रताप सिंह विजेता रहे। शतरंज में पुरुष वर्ग में शिव भगत व महिला वर्ग में एकता खंडवाल विजेता रहे।

इसी प्रकार बैडमिंटन के मुकाबलों में एकल में भूपेश झा एवं एकता खंडवाल तथा

डबल्स में भूपेश झा एवं संदीप फौजदार तथा एकता खंडवाल एवं संगीता भारती विजेता घोषित किए गए। टेबल टेनिस के एकल मुकाबलों में राजेश राठौड़ तथा डबल्स में राजेश राठौड़ व दीपक जेठवानी विजेता रहे। कुर्सी रेस व चम्मच रेस में वंदना बाकोलिया ने प्रतियोगिता जीती।

राजस्व मंडल विभागीय समिति के अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा ने बताया कि विगत कोरोना काल के बाद कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए राजस्व मंडल प्रशासन से खेल प्रतिस्पर्धाएं कराने की मांग की गई थी जिसे राजस्व मंडल प्रशासन ने सहज ही स्वीकारते हुए प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन करवाया।

राजस्व मण्डल की राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर नवाचारी पहल के तहत आयोजित विविध स्तरीय प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ चयनित प्रतिभागियों का सम्मान

राजस्व मण्डल में विविध आयोजन

राजस्व मंडल में गणतंत्र दिवस समारोह

राविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact us :
Website : http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email : bor-rj@nic.in